महानगर नई दिल्ली शुक्रवार 13 सितंबर, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

सेना प्रमुख ने कहा, इस बारे में फैसला सरकार को लेना है

पीओके में अभियान के लिए सेना तैयार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 सितंबर।

थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) को लेकर भारतीय सेना किसी भी अभियान के लिए तैयार है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संबंध में निर्णय सरकार को लेना है।

उन्होंने अमेठी के गौरीगंज में यह कहा है। वे वहां त्रिसुंडी स्थित सीआरपीएफ भर्ती प्रशिक्षण केंद्र में बोल रहे थे। सेना प्रमुख यहां होने वाली सेना भर्ती की तैयारियों की समीक्षा के लिए पहुंचे थे। पाकिस्तान बाकी पेज 8 पर

अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर कहा, कश्मीर के लोगों को शांति बहाल करने के लिए सुरक्षा बलों को कुछ मौका देना चाहिए : जनरल रावत

तीन आतंकी पकड़े गए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 सितंबर।

सुरक्षा बलों ने जम्मू-कश्मीर में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के लखनपुर में हथियार बाकी पेज 8 पर

हथियारों से लदा ट्रक जब्त

जाधव को राजनयिक पहुंच नहीं देगा पाक

भारत ने कहा, यदि बात नहीं बनी तो आइसीजे में जाएंगे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 सितंबर।

पाकिस्तान ने गुरुवार को भारत को कुलभूषण जाधव तक दूसरी बार राजनयिक पहुंच मुहैया कराने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा, 'कोई और बैठक नहीं होनी है।' पाकिस्तान के इस रवैए पर भारत ने संयत रवैया अख्तियार करते हुए कहा कि कुलभूषण जाधव तक दोबारा राजनयिक पहुंच के मुद्दे पर भारत ने कूटनीतिक चैनलों के जरिए पाकिस्तानी अधिकारियों से संपर्क बना रखा है। अगर बातचीत से रास्ता नहीं निकला तो भारत अंतरराष्ट्रीय अदालत (आइसीजे) तक जाएगा। पाकिस्तान के रवैए पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि जाधव के मामले में आइसीजे का फैसला स्पष्ट है। हम सुनिश्चित करेंगे कि आइसीजे का फैसला पूरी तरह लागू हो।

जाधव को 'जासूसी और आतंकवाद' के आरोप में एक सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद भारत ने उनकी मौत की सजा पर रोक तथा आगे के उपायों के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। आइसीजे के फैसले के बाद पाकिस्तान ने जुलाई में जाधव को राजनयिक पहुंच प्रदान की थी और इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के प्रभारी गौरव आहलुवालिया ने जाधव से दो सितंबर को दो घंटे तक मुलाकात की थी।

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, हम सुनिश्चित करेंगे कि आइसीजे का फैसला पूरी तरह लागू हो।

विदेश मंत्रालय ने कहा, कश्मीर पर पाकिस्तान की लामबंदी का हर हथकंडा नाकाम हो गया।

गुरुवार को पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने जाधव को फिर से राजनयिक पहुंच देने के बारे में कहा, 'कोई और बैठक नहीं होनी है।' पाकिस्तान के ताजा रवैए को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत ने भारत के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। हम राजनयिक पहुंच को लेकर विभिन्न कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से पाकिस्तान के संपर्क में हैं।' पाकिस्तान ने काफी आनाकानी के बाद जाधव को राजनयिक पहुंच तो दिलाई, लेकिन यह मुलाकात जिस माहौल में हुई उससे साफ था कि जाधव पर काफी दबाव है। उनसे मिलने गए भारतीय राजनयिक गौरव आहलुवालिया ने अपनी रिपोर्ट दी कि उन पर पाकिस्तान के आरोपों को दोहराने का दबाव था।

रवीश कुमार ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया की उन खबरों को बाकी पेज 8 पर

लद्दाख में भारत-चीन सैनिकों के बीच गतिरोध खत्म

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 सितंबर।

पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील में बुधवार को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई धक्का-मुक्की बाद सैन्य अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि अब इस मसले को बातचीत के जरिए सुलझा लिया गया है। झील में भारतीय सैनिकों की गश्त पर चीन के सैनिकों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और दोनों ओर के सैनिकों के बीच धक्का-मुक्की हुई।

घटना के बाद दोनों पक्षों ने और सहायता बुला ली। हालांकि गुरुवार को ब्रिगेडियर स्तर की फ्लैग मीटिंग के बाद विवाद सुलझ गया। भारतीय सेना के एक अधिकारी के मुताबिक, हमारे जवान भारतीय सीमा में थे। इसलिए चीन की आपत्ति के बाद भी वहां बाकी पेज 8 पर

जुर्माना कम करने पर विचार कर रही है यूपी सरकार

लखनऊ, 12 सितंबर (भाषा)।

गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड के बाद अब भाजपा शासित उत्तर प्रदेश की सरकार भी यातायात नियमों के उल्लंघन पर वसूले जाने वाले जुर्माने की दरों पर जनता के हित में फिर से विचार कर रही है। सपा ने भाजपा शासित राज्यों द्वारा चालान के नए नियमों को न मानने को भाजपा में अतिकेंद्रीकरण के विरोध की शुरुआत बताया है।

मंत्री कटारिया बोले, राज्य सरकार जल्द ही यातायात नियमों के उल्लंघन के जुर्माने की नई दरें घोषित करेगी

राज्य के परिवहन राज्य मंत्री अशोक कटारिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता के हित में जुर्माना राशि को कितना किया जाए, इसके बारे में सरकार पुनर्विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही यातायात नियमों के उल्लंघन के जुर्माने की नई दरें घोषित करेगी। भाजपा शासित गुजरात, उत्तराखंड और कर्नाटक राज्यों की सरकारों ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में जुर्माने की दरें अपने-अपने यहां आधी कर दी हैं, जबकि महाराष्ट्र और गोवा में इसके क्रियान्वयन को टाल दिया गया है।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर कहा कि भाजपा शासित राज्यों द्वारा चालान के नए नियमों को न मानना यह दर्शाता है कि ये नियम सच में कितने जनविरोधी व दमनकारी हैं। तभी तो उन राज्यों की इतनी हिम्मत हुई है कि वे सख्त फैसले लेने वाले व कथित निर्णायक नेतृत्व को चुनौती दे सकें। ये भाजपा में अतिकेंद्रीकरण के विरोध की शुरुआत है।

जनता को लूटने वालों को पहुंचा रहे सही जगह : मोदी

एजंसी/जनसत्ता ब्यूरो
रांची/नई दिल्ली, 12 सितंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई, मुसलिम महिलाओं के हितों की रक्षा तथा जम्मू कश्मीर के विकास के उपायों सहित अपनी सरकार के पहले 100 दिनों में उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए गुरुवार को यहां कहा कि इन सभी मामलों में देश ने अभी उनकी सरकार का बस ट्रेलर देखा है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है।

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि जनता को लूटने वालों को सही जगह पहुंचाने का काम चल रहा है। कुछ लोग भी चले भी गए हैं। कुछ लोगों ने सोच लिया था कि वे देश के कानून और अदालतों से भी ऊपर हैं। वे आज अदालतों से जमानत की गुहार लगा रहे हैं। अभी तो यह शुरुआत है। पांच साल बाकी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को लूटने वालों पर भी तेजी से काम कर रहा हूं। उन्हें अदालत तक पहुंचाया, अब जेल तक पहुंचा रहा हूं।

एक दिन के दौरे पर गुरुवार को रांची पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रांची के प्रभाततारा मैदान में आयोजित समारोह में राज्य की धरती से पूरे देश को तीन बड़ी योजनाओं की सौगात दीं। मोदी ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, खुदरा व्यापारिक एवं स्वरोजगार पेंशन योजना और एकलव्य मॉडल विद्यालय का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने झारखंड विधानसभा के नए भवन एवं साहेबगंज में मल्टीमॉडल बंदरगाह का उद्घाटन किया। उन्होंने 1238 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले झारखंड बाकी पेज 8 पर

प्रधानमंत्री ने कहा, अभी मेरी सरकार का सिर्फ ट्रेलर देखा है, पूरी फिल्म बाकी।

मोदी ने झारखंड से की तीन बड़ी योजनाओं की शुरुआत।

उत्तर प्रदेश के मंत्री का बयान निंदनीय

नई दिल्ली, 12 सितंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एक मंत्री की इस टिप्पणी की गुरुवार को निंदा की कि अयोध्या में राम मंदिर और विवादित भूमि की तरह ही शीर्ष अदालत भी 'हमारी' है।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में मुसलिम पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन के इस कथन का संज्ञान लिया कि उन्हें फेसबुक पर धमकी भरा एक संदेश मिला है और उनके क्लर्क के साथ गालीगलौज करने के अलावा कुछ लोगों ने क्लर्क पर हमला भी किया है। यह इसलिए हो रहा है कि वे इस मामले में हिंदू संगठनों के खिलाफ पेश हो रहे हैं।

प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले पीठ ने मंत्री की 'सुप्रीम कोर्ट हमारा है' संबंधी टिप्पणी पर कहा

पीठ ने कहा, 'देश में यह नहीं होना चाहिए। हम ऐसे बयानों की निंदा करते हैं। दोनों ही पक्ष बगैर किसी भय के न्यायालय में अपनी दलीलें पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं।'

गुरुवार को धवन ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए उचित माहौल नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा द्वारा 2018 में दिए गए कथित बयान का जिक्र किया और कहा, 'उन्होंने कहा था कि जगह हमारी है। मंदिर हमारा है और सुप्रीम कोर्ट भी हमारी है।' धवन ने कहा, 'मैं लगातार अवमानना याचिका तो दायर नहीं कर सकता हूं।' साथ ही उन्होंने कहा कि न्यायालय में तो 'सौहार्द' है लेकिन बाहर की स्थिति सुखद नहीं है और न्यायाधीशों की ओर से एक शब्द ही पर्याप्त होगा।

छाया शर्मा को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

न्यूयार्क, 12 सितंबर (भाषा)।

साल 2012 के वीभत्स निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच करने वाली भारतीय महिला पुलिस अधिकारी छाया शर्मा को महिला पुलिस अधिकारियों की भूमिका को पुनः परिभाषित करने के लिए छह अन्य लोगों के साथ 2019 के एशिया सोसायटी गेम चेंजर्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। भारत और नेपाल के बौद्ध भिक्षुणियों के समूह 'कुंग फू नन्स' को भी पुरस्कार के लिए बाकी पेज 8 पर

रिश्वत देने की कोशिश में गृह मंत्रालय का अफसर गिरफ्तार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 सितंबर।

सीबीआइ ने एक मामले को प्रभावित करने के लिए जांच कर रहे एक वरिष्ठ अधिकारी को दो करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश के आरोप में गृह मंत्रालय के एक अधिकारी सहित दो लोगों को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया।

सीबीआइ की कार्रवाई

अधिकारियों के मुताबिक, गृह मंत्रालय के पुलिस-1 डिवीजन में तैनात धीरज कुमार सिंह ने एक निजी कंपनी और सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम से जुड़ी प्राथमिक जांच को प्रभावित करने के लिए सीबीआइ में डीआइजी रैंक के एक अधिकारी को कथित तौर पर दो करोड़ रुपए की पेशकश की। डीआइजी ने इसकी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी और इस संबंध में एक शिकायत दर्ज कराई।

बातचीत पर नजर रखी गई और सहमति बनी कि गुरुवार को 16 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद जांच एजंसी ने जाल फैलाया और सिंह एवं एक व्यक्ति दिनेश चंद्र गुप्ता को 16 लाख रुपए नकदी संग गिरफ्तार कर लिया। सुबह दोनों की गिरफ्तारी के बाद जांच एजंसी के अधिकारियों ने सिंह और गुप्ता के आवास पर छापे मारे और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए।

सोशल मीडिया संग सड़क पर भी हों सक्रिय : सोनिया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 सितंबर।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सत्ता के दुरुपयोग को लेकर केंद्र की राजग सरकार को घेरते हुए पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि जनता से सीधा संवाद कायम करने के लिए वे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने के साथ ही सड़कों पर उतरकर संघर्ष करें।

कांग्रेस मुख्यालय में गुरुवार को पार्टी के महासचिवों-प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों, मुख्यमंत्रियों और विधायक दल के नेताओं की बैठक में सोनिया ने देश की अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात बाकी पेज 8 पर

कांग्रेस नेताओं को सलाह

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर देश भर में होगी पदयात्राएं।

सोनिया ने दावा किया कि लोकतंत्र को इतना खतरा कभी नहीं रहा। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ हफ्ते पहले भी कहा था कि सत्ता का बहुत ही खतरनाक ढंग से दुरुपयोग किया जा रहा है।

दरअसल

हरियाणा पुलिस इंस्पेक्टर पद से दिया इस्तीफा | **सियासी दांव** | **बाढड़ा या दादरी हलके से लड़ सकती हैं विधानसभा चुनाव**

राजनीति में हाथ आजमाने को तैयार हुईं बबीता

चंडीगढ़, 12 सितंबर (जनसत्ता)।

अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान बबीता फोगाट अब सक्रिय राजनीति में हाथ आजमाने को तैयार हैं। बबीता का हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर पद से इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। बबीता ने 13 अगस्त को इस्तीफा देने के बारे में उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा था। अब कहा जाता है कि सक्रिय राजनीति में आने के लिए बबीता ने इस्तीफा दिया है।

वैसे बबीता के पिता महाबीर फोगाट ने भी बबीता के हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर पद से उनका इस्तीफा मंजूर किए जाने की पुष्टि कर दी है। अब संभावना जताई जा रही है कि भाजपा आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में बबीता को बाढड़ा या दादरी हलका से प्रत्याशी बना सकती है।

अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन

कश्मीर घाटी से अनुच्छेद 370 खत्म होने पर भी बबीता ने लगातार ट्वीट किए थे, उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा, 'देश की आजादी देखने का तो सौभाग्य मुझे नहीं मिल पाया लेकिन कश्मीर घाटी से अनुच्छेद 370 और 35ए से निजात मिल जाए, ये सब देखना मेरा परम सौभाग्य होगा। भारत माता की जय।' ऐसे ही एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'कत्तेई लट्ठ गाड़ दिया, धुम्मा ठा दिया।--

बबीता ने राजनीति में अपनी शुरुआत की घोषणा ट्विटर अकाउंट के जरिए की। साथ ही आह्वान किया कि लोग भी भाजपा से जुड़ें। फोगाट ने गुरुवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, 'आज भारतीय जनता पार्टी, भाजपा' के साथ जुड़कर राजनीति में नई शुरूआत कर रही हूं। आप सब से भी आह्वान करती हूं कि आप भी भाजपा के साथ जुड़कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करें।

हालांकि बबीता ने अपने पिता महावीर फोगाट के साथ 12 अगस्त को दिल्ली के हरियाणा भवन में भाजपा का दामन थामा था, जहां उन्हें किरण रिजीजू ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई थी।

द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महावीर पहलवान ने दुष्यंत चौटाला का हाथ थामा था और जननायक जनता पार्टी, जजपा, में शामिल हो गए थे। उनको जजपा की खेल इकाई का राज्य प्रधान बनाया गया था और उनकी ताजपोशी उनके लिए अहम कामयाबी मानी जा रही थी। हालांकि अब महावीर फोगाट ने जजपा से किनारा कर लिया है। महावीर पहलवान दादरी के गांव बलाली के रहने वाले हैं।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is notified for the information that my Original Qualifying Examination Marksheet of Main Secondary Examination of Year 2014, Roll No.5114355 issued by CBSE has lost. Name of Candidate: Yash Tripathi, S/o Kishor Kumar Tripathi R/o 34-A, Chandu Park,Gali No-2, Chander Nagar, New Delhi-110051, Tel.9205054523. 0040512079-1

It is for general information that I, Pradip Kumar S/o Sunder Lal Dubey R/o E-600, Budh Nagar, JJ Colony, Inderpuri, Delhi-110012, informs that name of mine has been wrongly written as Ajay Dubey in My Minor son (Prince Dubey) School record. The actual name of mine is Pradip Kumar which may be amended accordingly. 0040512094-1

I,Vinay Sancha R/o K-403 Antriksh Golf View-2 Sector-78 Noida have changed my minor son's name from Aarav Sancha Trikey to Aarav Sancha 0040512153-1

I,Sumit S/o Subhash Chand R/o-469/7, Faiz Bazar, Jamal Pura, Sonipat,Haryana-131001, have changed my name from Sumit to Sumit Chaudhary for all future purposes. 0040512161-1

I,Devender Kumar s/o-Late Sh.Nanak Chand,R/o-H.No.F-IInd-328, Madangir, New-Delhi-110062,that inadvertantly in the school-records of my minor son aged about 14-years has been wrongly-written as Hansraaj instead of Hansraaj Budgujar which may be amended accordingly. 0040512150-5

I,DESHRAJ Arya,s/o-Ram mehar,R/o-B-145 pushpanjali-enclave,pitampura,New Delhi-34.,infrom that name of my and my minor son has been wrongly-mentioned as Desraj Arya and Luv Arya in his school-record & other-documents.The correct-name is Deshraj Arya & son name is Yuvaan Arya. Which may be amended accordingly. 0040512113-5

I,Chirag Jain S/o-Dinesh Chander Jain R/o-E-4/30, Block-E, Pkt-4, Sector-7, Rohini, Delhi-110085, have changed the name of my minor daughter's name from Sidhi Jain to Siddhi Jain for all purposes. 0040512133-1

I, Yogesh Gambhir S/o Sh. Pokhar Das Gambhir R/o A-685, Sector-19 Noida have Changed my Son's Name from Om Gambhir to Aum Gambhir for all Future purposes. 0040511940-2

I, Vikas Srivastava S/o Girish Kumar Srivastava R/o 35M, CPWD Colony, Vasant Vihar, New Delhi-110057, have changed my name to Vikas Shrivastava for all purposes. 0050155120-1

I, Ved Prakash Aggarwal/Ved Prakash Gupta S/o-Mahender Kumar Singhal R/o-H.No.117, Pocket-4-5,Sector-23, Rohini, Delhi-110085,have changed name to Ved Parkash Singhal. 0040512113-8

I, Usha Rani W/o-Sanjay Jindal R/o-H.No.31, First Floor, Block-I, Pkt-5, Sector-16, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Usha Jindal for all purposes. 0040512130-1

I, Trivender S/o Sh. Sheoraj Singh Rawat R/o H.No-1903, Sec-2, Ballabgarh, Faridabad-121004 have changed my name to Trivender Rawat for all purposes. 0040512150-1

I, Tej Pal Singh s/o Karan Singh r/o Plot No.-19, Sector-28, Faridabad, Haryana -121002, have changed my name to TEJ PAL SINGH UPADHYAY. 0040512105-4

I, Tej Pal Singh Upadhyay s/o Karan Singh r/o Plot No.-19, Sector-28, Faridabad, Haryana -121002, have changed my minor son's name from Sagar to SAGAR UPADHYAY. 0040512105-1

I, Tarun Kumar S/o.Lt.Sh.Satish Kumar, R/o-C-5,Plot-183, Gyankhand-1, Indirapuram, Ghaziabad, U.P. have changed my name to Taruun Gupta for all future purposes. 0040512123-3

I, Swarupkumar Tikadar S/O Jyotirmoy Tikadar, R/O-C-174, DDA-Flats, Kalkaji, New Delhi-110019, CHANGED My Name To Swarup Tikader. 0040512138-6

I, Sunil Singh Bhati R/o-D-198,Sector-47,Noida, Gautam Budh Nagar(U.P.),have change my son's name from Dev Singh Bhati to Dev Bhati Permanently. 0040512120-1

I, Sourabh Tiwari S/O, Ramesh Chandra Tiwari R/o New Mig Apartment, Flat No. 159-A, Mayur Vihar Phase 3, ND-96, have changed my name to Saurabh Tiwari for all purposes. 0040512174-1

I Clifford Angelo Alphonso S/o-Peter Alphonso,R/O-Flat no-60, Shama-Apartment,Plot no-32, Sector-10,Dwarka, New-Delhi-110075.Have Changed My Surname to Clifford Angelo Afonso,for all purposes. 0040512113-1

व्यक्तिगत

I, Shreeya Sharma D/O, Yogesh Kumar Sharma R/o Flat No-64, Mahabradrali Apartment Plot No-6, Sec-13, Dwarka ND-75 have changed my name to Shreya Sharma for all purposes. 0040512150-2

I, Shaif Khan R/o 12/34 KA, Purana Quila Cantt Road, Lucknow-226001, have changed my minor son's name from Arsh Khan to Arsh K. Jaiswal for all purposes. 0040511958-2

I, Sangeeta Gupta W/o Ashutosh Goel R/o-CP-145 Maurya-Enclave Pitampura Delhi-110034.changed my name to Sangeeta. 0040512113-3

I, Sanchi Grover W/o Sachin Grover R/o 40A/7, IInd Floor Ashok Nagar Delhi-110018 have changed my name to Chitra Grover permanently. 0040512115-1

I, Saharun Khatun W/o Sanarul Ansari R/o-E-44/45,Block-E, J.J.Camp,Okhla Phase-2,South New.Delhi-110020,inform that my and my Husband name is wrongly written in my minor daughter Meena Parveen school records as Jubeda Khatoon & Sanarul Haque instead of Saharun Khatun & Sanarul Ansari respectively. 0040512120-4

I, Saharun Khatun W/o Sanarul Ansari R/o-E-44/45,Block-E, J.J.Camp,Okhla Phase-2,South New.Delhi-110020,inform that my and my Husband name is wrongly written in my minor daughter Meena Parveen school records as Jubeda Khatoon & Sanarul Haque instead of Saharun Khatun & Sanarul Ansari respectively. 0040512120-2

I, Rohit Rawat S/o Meharban Singh R/o Flat No-UGF-C, Plot No-94-95, Kh.No-501, Shakti Enclave, Burari, Delhi-110084 do hereby solemnly inform that my father name is inadvertently written as Meharban Singh Rawat in 10th & 12th class certificate/Marksheet/Professional Degree instead of Meharban Singh. 0040512089-1

I, Sonu W/o Vinod Kumar R/o. House. No.602,D/9, Ward No.3, Mehrauli, Gadaipur, New Delhi-110030,have changed my name to Sunita. 0040512123-1

I, Sunil Bhatia S/O Tilak Raj Bhatia R/O H.No-1a/132 Nit-1 Faridabad-121001. Have Change My Name To Sunil Kumar Bhatia. 0040512138-9

I, Raman Kumar S/o. Sh. Uday Chand Kanojia R/o. A-1/68A, Gali No.11, Chanakya Place,Uttam Nagar, New Delhi -110059 have change my minor Daughter's name Surbhi to Surbhi Kanojia for future purposes.Videaffidavit dated 11.9.19 sworn before Notary Public, Delhi. 0040512085-1

I, Raman Kumar S/o. Sh. Uday Chand Kanojia R/o. A-1/68A, Gali No.11, Chanakya Place,Uttam Nagar, New Delhi -110059 have change my minor Son's name Yash to Yash Kanojia for future purposes Videaffidavit dated 11.9.19 sworn before Notary Public, Delhi. 0040512086-1

I, Ruqaiya Feroz W/o Sri Feroz Alam R/o 238/17 Katra Abu Turab Khan Nakkhas Lucknow have changed my name from Ruqaiya Faraz to Ruqaiya Feroz for all future purposes. 0060069387-2

I, Rajput Nizaamrin Nasim Alam W/o Mohd Shadab Alam, R/o H.No. 110 Street No.2 Kardampuri, Shahdra, Delhi-110094, have changed my name to Niza Aamrin Rajput for all purposes. Both are same person. 0040512098-1

I, Rajesh S/o Ram Uday Singh R/o-113 Gali.No-1 Rajeev Nagar DLF.Area, Faridabad, have Changed my Name to Rajesh Singh 0040512083-1

I, Rajesh Kumar Kanda S/o Ved Parkash R/o-678/3, Main-Road Vijay-Park MaujPur, Delhi-110053, have changed name to Rajesh Kanda. 0040512113-10

I, Pooja W/O Akhil Aggarwal, R/O-K-3/133, Vsnl Wireless-Colony, Greater-Kailash Part-1, New Delhi-110048., changed my name to Pooja Sood. 0040512150-8

I, Pooja D/o Umesh Rawat R/o-S-237/121, Shanker Camp Rang-Puri Pahadi, Delhi-110037, have changed my name to Puja. 0040512138-2

I, Parveen w/o Krishan R/o-SRS-204,Village-Peeragarhi, New Delhi-110087, have changed my name from Vanita to Parveen for all purposes. 0040512138-1

I, Parul d/o Tej Pal Singh Upadhyay r/o Plot No.-19, Sector-28, Faridabad, Haryana -121002, have changed my name to PARUL UPADHYAY. 0040512105-2

I, Nitin Aggarwal F/o-Radya R/o-2421-23 Tilak-Street, Paharganj, Delhi, have changed my minor daughter's name, from Radya to Radya Aggarwal. 0040512113-2

I Ajay Kumar Choudhary S/o Sh. Jawahar Lal R/o 2491,Bagichi Raghunath, Sadar Bazar,Delhi-110006 have changed my name to Ajay Kumar for all purposes. 0040512075-3

I, Munish Kumar S/o Mangat Ram R/o C-31, 1st Floor, Chanakya Palace Part-I, Uttam Nagar, Delhi-59 have changed my name to Munish Kumar Verma. 0040512084-1

I, Niraj S/o Kailash Chand R/o-Ground- Floor, Property-No. B,K-52, West-Shalimar-Bagh, North-West Delhi-110088. have changed my name to Neeraj Garg. 0040512113-6

I, Neelam W/o-Sandeep Arora R/o-H.No.T-927, Bagh-Raoji, Aryanagar, Kishanganj, Delhi-110006, have changed my name from Neelam to Neelam Arora., permanently. 0040512123-5

I, Mukesh Kumar S/o-Late Shri.Bhal Singh R/o-H.No.183-184, Shiv-Vihar, Rishal-Garden, Nangloi, Delhi-110041, declare that name of mine and my wife has been wrongly-written as Mukesh Kumar Kaushik and Sabita in my minor son Akash Attri school-records.The actual-name of mine and my wife is Mukesh Kumar and Savita. 0040512113-9

I, Mohammad Ahmed Siddiqi S/O-Mohammad Zaki, R/O-Rz-3258a,2nd-Floor, GaliNo-36, Tughlakabad-Extn, Kalkaji, N.Delhi-110019.,CHANGED My Name To Mohammad Ahmad. 0040512138-5

I, Kamlesh Kumar at Sarkaghat,Himachal Pradesh do hereby declare vide affidavit. That my father's actual & correct name is BALBIR SINGH. but wrongly mentioned in my service records BALBIR 0040512087-1

I, Milan Gupta S/o-Ved Parkash Singhal R/o-H.No.117, Pocket 4-5, Sector-23, Rohini, Delhi-110085, have changed name to Milan Singhal. 0040512123-4

I, Mehak D/o Sh.Mohan Lal R/o G/6-38 Ground-Floor Sector-11 Rohini Delhi-85.changed my name to Poonam,for all purposes. 0040512113-4

I, Manisha Dhaniwala D/o Sri. Anil Kumar Dhaniwala R/o Flat no 81,Pocket E,Mayur Vihar Phase 2, Delhi.110091, Inform that my name has been wrongly mentioned as Kumari Gudiya Sharma/ Gudiya Sharma in Unit/Bond certificate issued by Unit Trust of India, correct name of mine is Manisha Dhaniwala. 0050155123-1

I, Mamta D/o Sh. Jai Prakash W/o Sh. Arjun Singh R/o H.No.171, Purana Bazar, Burari, North Delhi,Delhi-110084 have changed my name to Mansi for all purposes. 0040512075-1

I, Laltesh S/o Sh. Dushasan Mudgal R/o Deen Dayal Dham, Nagla Chandrabhan, Baqalpur Farah, Mathura, UP-281122, have changed my name to Lalitesh Mudgal for all purposes. 0040512155-1

I, Lakshay Sharma,S/o Sh.Devender Kumar Sharma R/o-WZ-19 Mukh-Ram Park Tilak-Nagar Delhi-18,inform that my father name has been wrongly-written as Davender Kumar Sharma in my 10th-class marksheet and certificate the actual-name of my father is Devender Kumar Sharma. 0040512123-2

I, Krishna w/o Tej Pal Singh Upadhyay r/o Plot No.-19, Sector-28, Faridabad, Haryana-121002, have changed my name to KRISHNA SINGH UPADHYAY. 0040512105-3

I, Krishan Dev Yadav S/O Ramsukh, B-17, Saraipipalthala Adarshnagar Delhi-33, Have Changed My Name To Krishna Dev Yadav Permanently. 0040512138-3

I, Khalid Parvez S/o Mohammad Naqi R/o 956, Gali Tota Maina Behind Novelty Cinema Delhi-6 have changed my name to Mohammad Khalid for all purposes. 0040512099-1

I, Jitender Dhingra, S/o Sh. Dayanand Dhingra,R/o-126 Ist-Floor Shakti-Vihar Pitampura, Delhi-34.,have changed my Son name Shreyas to Shreyas Dhingra. 0040512113-7

I, Grace Hendry Moradi W/O-Hendry Moradi R/O-R-54, Flat.No. U-8, Khirki Extn, Malviya-Nagar, New Delhi-110017.Changed My Name To Grace Moradi. 0040512138-4

I, Feroz Alam S/o Sri Late Mohommad Alam R/o 238/17 Katra Abu Turab Khan Nakkhas Lucknow have changed my name from Faraz Alam to Feroz Alam for all future purposes. 0060069386-2

I, Deepak Chadha S/o Mr. Subhash Chadha R/o F-75, First Floor Lajpat Nagar -I, new Delhi-24 have changed my son's name Sameer Chadha to Rehaan Singh for all future purposes. 0040512093-1

I, Chander Parkash S/o Chunni Lal R/o A300a, first Floor, Sushant Lok-1, Gurgaon, (HR), have changed my name to Chander Prakash for all purposes. 0040512100-1

I, Army No-15436889F, Rank Hav/SKT,Unit-AMC C & C c/o 56 APO, Lucknow Cantt, inform u that my wife's name is corrected from VALA NAMRATABA to CHUDASAMA NAMRATABA DEVENDRASINH for all purpose. 0060069390-2

I Vansh Malhotra S/o Sh. Rajiv Malhotra R/o House No.50, Gali No.52, West Punjabi Bagh,New Delhi-110026 have changed my name to Vanssh Malhotra for all purposes. 0040512075-2

I Shruti Rathi W/O Sagar Shokeen R/o-487/39, National Market Peera Garhi Delhi-110087-changed my name to Shruti Shokeen. 0040512150-3

व्यक्तिगत

I, Brij Mohan Singh,S/o Sh.Mohan Singh R/o-Balchetan-Villa, Mandofal-Road, Sir-Hind-Tehsil & District-Fatehgarh Sahib, Punjab-140406.,that inadvertantly in the school-records birth-certificate and Passport my son's name has been wrongly-written aged about 15years as Binaypal Singh instead of Balrajpreet Singh which may be amended accordingly. 0040512150-6

I, Mohamad Haneef S/o Hazi Bashir Ahmed R/o-E-50 Behind Samrat-Cinema Shakurpur-Market Delhi-34,changed my name to Mohammed Hanif. also my DOB is wrongly mentioned 12.08.1954.in my passport but Correct DOB is 12.04.1958. 0040512138-10

I, Bhupender David S/o Pahal Singh R/o H. No. 42, Village Sadatpur Gujran, Gali No 1, Delhi-110094, have changed my name to Bhupender Singh for all purposes. 0040512109-1

I, Astha Purdani D/o Subhash Chander R/o A-235, Meera Bagh, Paschim Vihar-110087, have changed my name to Aastha Purdani for all purposes. 0040512111-1

I, Aman Kapoor S/O Shri Deptee R/O H.NO-383, Guru Nanak Gali, Maujpur, Delhi-110053, have changed my name to Aman Bhola. 0040512120-3

I, Alka Verma W/o Mr. Dinesh Verma R/o-A-507/10, Block-A, 2nd-Floor, Sastri-Nagar, New Delhi-110052.have changed my name to Alka Tailor. 0040512150-4

I, Ajay Kumar Jain Alias Pappu S/O-Kamta Prasad Jain.,R/O-647, GuruRam-Dass Nagar, Laxmi-Nagar, Delhi-110092., changed my name to AJAY Jain. 0040512150-7

I Shashi @ Shalini @ Shalini Tomar D/o Sh.Om Pal Singh W/o Sh. Anurag Tomar R/o 1/5557,Gali No.16, Balbir Nagar Extn., Shahdara,Delhi-110032 have changed my name to Shalini for all purposes. 0040512075-4

I Sanjay Kumar S/o-Gyani Ram Jindal R/o-H.No.31, First Floor, Block-I, Pkt-5, Sector-16, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Sanjay Jindal for all purposes. 0040512125-1

I Sachin Jain S/o Sh. Satish Kumar Jain R/o B-63,Near Kailash Dham, Sector-50,Noida, Uttar Pradesh have changed the name of my minor daughter from Anya Jain to Preksha Jain for all purposes. 0040512075-5

I Pankaj Thakran,s/o Sh.Ram Kanwar Thakran R/o-A-219 Ground-Floor today blossom-1 Mayfield-garden Sector-47,Gurugram,have changed my name,from Pankaj Kumar to Pankaj Thakran,for all purposes. 0040512123-6

I Kurban Shekh S/o-Kabeel Shaikh R/o-House No.246, Shahbad Daulatpur, Delhi-110042, have changed my name to Bablu Shekh for all purposes. 0040512116-1

I Govind Singh MES Colony Gundli Dhasuk Ajmer Rajasthan,In my service record my wife's Santosh Kumar D.O.B is wrongly entered 30/6/1979.In future wife's D.O.B is known as 05/04/1981. 0060069391-2

I, Babu Ahmad S/o Mr Irfanuddin R/o B-175, Gali No-5, Near Chand Masjid, Mandawali Fazalpur, Delhi-110092 have changed my name from Babu Ahmed to Babu Ahmad for all future purposes. 0040512097-1

I, Narang S/o Sh. Balu R/o B-1/182, J.J. Colony, Raghubir Nagar, New Delhi-110027, have changed my name to Narain for all purposes. 0040511471-1

I, Smita Khade, W/o Sh. Santosh Kumar R/o J-154, 3rd Floor, Saket, New Delhi-110017, have changed the name of my daughter SHANAYA aged 06 years and she shall hereinafter be known as SHANAYA SHARAN. 0040511992-5

I, Amida Devi D/O Brijnandan Singh Yadav, R/O-42, Kalyani-Appt, Sec-4, Plot.No-31, Dwarka, N.Delhi ,CHANGED My Name To AMINDA YADAV. 0040511799-2.

PUBLIC NOTICE

I, **Chattar Singh S/o Late Sh. Zile Singh R/o H. No. 416, Pehladpur Banger, Delhi-110042**, do hereby severe all my relations with my son, **Pawan Kumar s/o Sh. Chattar Singh and his wife Mamta Sindhu, his son's Namely Harash Sindhu and Anju Sindhu All R/o H. No. 416 V.P.O. Pharladpur Banger, Delhi-110042,** absolutely and completely, with immediate effect and hereby disown all of them from all my movable and immovable property. I shall not be responsible for his/their Acts, in any manner whatsoever. Any person dealing with his/them shall do so on his own risk and responsibility.

Sd/-
MOOL CHAND VERMA (Advocate)
Ch. No. 812, Rohini Courts, Delhi-85

PUBLIC NOTICE

My client Shri Mahavir Singh S/o Shri Sheodan Singh R/o S-105/373, Arjun Camp, Mahipalpur, New Delhi has disowned and debarred his elder son Vinesh Kumar from all his movable and immovable properties situated at Delhi as well as at his native village Ladhau Rampur, District Aligarh, U.P. and has severed all his relations from him as he is out of control of my client. Anybody is dealing with him can deal at his/their own risk, my client shall not be responsible for any act/acts, deed/deeds of Vinesh Kumar in future.

R.S. Mishra, Advocate
Ch. No. 1, Oppsite, Ch. No 211 Patiala House Courts, New Delhi-110001, (M) 9811047405

खोया+पाया

I, Sachin yadav s/o-Rajendra Kumar yadav R/o-Rzs-30 Nihal-vihar New Delhi-110041. Have lost my original certificate class-10th year-2017 Rollno-8205819 CBSE-Delhi. 0040512138-8

Original Allotment Letter Dated 05.12.75 & Possession Letter Dated 02.03.77 issued by DDA of Freehold LIG Flat Bearing No. 34A, Block-G8, Ground Floor, Rajouri Garden, New Delhi-110027, in the name of Sharvan Kumar Chhabra has been lost. Finder may inform at 9891500804. 0040512078-1

This is to notify and inform the public that,Sunil Kumar Budhraja S/o.Late Raghunath Rai Budhraja R/o-E-199 New-Rajinder Nagar, New Delhi-110060, has lost the Original lease Deed pertaining to the aforesaid Property(Regd-as s.No-1309 in Book-I,Volume.No-3921.at pages-177-180 On-o4-04-1978)Anyone finding the said deed and Returning the same to the abovementioned person Shall be Duly Rewarded Ph-9999909765, 9810480331 0040512083-4

I, Aryan Arora R/O C4F 277A Janakpuri ND-58 have lost my class 12th marksheet year 2014 roll no. 9165294 and my class 10th marksheet year 2012 roll no. 8197271. LR No. 1545301/2019. 0040512177-1

I, Mohinder Sahai S/o Mahabir Sahai Lost my Original Demand Letter, Original Form of Property No.-NP-117-A Pitampura Delhi-110034. 0040512171-1

I, PREETI Sardha D/o-Dayanad Sardha R/o-h.no-209 Mc primary-school khurd Delhi-82.have lost my original-certificate class-10th(2005) Rollno-6124736 class-12th(2007) Rollno-6218149 CBSE-Delhi. 0040512123-10

I, Aarti D/o-Pappu Yadav R/o-Gali. No.-8, Mukund Vihar Part-1, Mukundpur,Delhi-110042. has lost my Original-CBSE 10th-Class Certificate Roll.No.8653136 year-2017. 0040512123-9

I Rajat Jain S/o Pradeep Jain R/o-E-11/2 Krishna Nagar Delhi-110051 lost my Class-X/XII Pass Certificate/ Marksheet Year-2012/2014 Roll No.8119852/9113600 CBSE Delhi(MBBS all years Roll No.TMD-1401067-T.M.U.Muradabad U.P.) 0040512104-2

I Jyoti D/o Sulkhan Singh R/o-78-B Radhey Shyam Park Delhi-110051 lost my Class-X Pass Certificate/Marksheet Year-1998 Roll No.6305883 CBSE Delhi 0040512104-1

PUBLIC NOTICE

This is to inform to public at large that my client Suresh Kumar S/o Sh. Satya Narain Singhal R/o A-457, Sector-2, Pocket 00, Avantika Market, Rohini, North-West, Delhi-110085 purchased the agriculture land bearing Khata Khatoni No. 129/39 min, Khasra No. 260min(1-00) & 260min(1-00) total land measuring 02 bighas situated in Revenue Estate of Village Sahibabad, Daulatpur, Delhi-110042 from Mr. Mehruddin S/o Mr. Nuruddin R/o H. No. 346, Village Tejpur Kalan, Delhi-110036 and original sale deed vide documents No.5873 Book No. 1, Volume No.6089 from pages 97 to 99 registered on 22.5.1989 was misplaced from previous owner Sh. Jawahar Lal and Jawahar Lal vide FIR/Unique I.D. No.1969577 dated 3.5.2019 Rajpura District, Patiala, Punjab and if any person will raise any objection in respect of the said property, then please contact undersigned within 15 days from date of publishing the said notice.

Sd/-
MADAN LAL GUPTA (Advocate)
Ch. No. B-36, B.G.S. BLOCK, TIS HAZARI COURTS, DELHI-54

PUBLIC NOTICE

This is to inform to the general public on behalf of my client Sh. Amar singh S/o. Late Sh. Devi Dass & Smt. Raj Kumari W/o Shri Amar Singh, R/O 365, D.D.A Flats, (RPS), Mansarovar Park, Shahadra, Delhi-110032, Have disowned, disinherited and debarred their son Sandeep Satyarthy and daughter-in-law Smt. Madhu Bala Gautam from their all movable and immovable properties. My clients and their other family members have also severed all their relations with them due to their disobedient, misconduct, disgraceful and abusive behavior specially their daughter-in-law who used to threatened to involve them in false criminal cases if my clients shall not handover their properties to them if anybody deals with them in any regard, shall do so at his/her own cost, risk and consequences. My clients shall not be responsible for their any act or conduct in any manner whatsoever."

Sd/-
KARUNA SHANKER JAISWAL (ADVOCATE)
Ch. No. B-14, B.G.S. Block, Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that my Client, M/s Sachdeva Land and Finance Private Limited, having its registered office at Plot No.C-3 & C-4, Khasra No.104, Sardar Nagar, Near C.C. Colony, Delhi –110009, has initiated a "Suit for Specific Performance" titled "M/s Sachdeva Land and Finance Private Limited Vs. Hema Gupta & Ors." Vide Regn. No. CS/5096/2018 with respect to the property as per the details underneath:-

PPD -014, First Floor
DLF Park Place
DLF City Phase-V
Gurugram, Haryana

In this connection, the General Public, Banks/Financial Institutions/ NBFC's etc. are hereby informed that my client has obtained directions vide Order dt. 20.08.19 from the Hon'ble Court of Shri Pradeep Choudhry, ACJ(SD), Gurugram, UID No. HR0268, restraining the defendant No.7 namely Mrs. Geeta, W/o Naresh Lohmod from alienating the suit property.

A certified true copy is available at my office for inspection during the office hours.

In view of the above, the General Public, Banks, Financial Institutions/ NBFC's etc. are hereby cautioned that they should not enter into any transaction of whatever nature in respect of the above referred property, and if any such person, Bank (s) FIs, Company (ies) etc. enters into any agreement, understanding for purchase, lease, development etc. of the subjected property, the same shall not be binding in nature & be void-ab-initio in the eyes of law and would be entirely at their own risks, costs and responsibilities.

Sd/- Adv Mayank Raghava
Chamber No. 127,
Shaheed Bhagat Singh Block
Lawyers Chambers, Distt. Court
Mini Secretariat,
Near Rajeev Chowk
Gurgaon – 122001 M- 98718 77000

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल **श्रीमती लाली देवी** पत्नी स्व0. श्री धनराज, निवासी 800–बी, प्रजापति मोहल्ला, गांव मुण्डका, दिल्ली–110041, ने अपने पुत्र **राकेश कुमार** व इसकी पत्नी **श्रीमती सुमंत्रा** से इनके गलत कृत्यों/दुरव्यवहार के कारण अपने सभी सम्बंध विच्छेद कर लिये है तथा इनको अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। भविष्य में यदि कोई व्यक्ति इनसे कोई भी सम्बंध रखता/बनाता है या कोई लेन–देन करता है या इन पर कोई पुलिस केस/कोर्ट केस होता है तो मेरे मुवक्किल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

डी0 पी0 शर्मा (अधिवक्ता) 1, एस.डी.एम. ऑफिस, नांगलोई, दिल्ली–41

PUBLIC NOTICE

I Gurucharan S/o Sh. Ramsahay owner of Land at Khasra No. 23, Total area 5590 Meter, Village-Jahangirpur urf Dundahera, Post-Khekra, District-Baghpat, U.P. want to sale land area 2006.70 sq.meter out of it. I have been offered a rate of ₹20,00,000/- per Bigha. Any interested party who want to purchase in more price may contact- 9536709956, 8285006451

Neeraj Tyagi (Advocate) Reg No. 5059
Tehsil Compound, Khekra, Distt. Baghpat

PUBLIC NOTICE

Public at large hereby informed that my client Sh. Ved Prakash S/o Late Shri Itwari Lal R/o House No. 2832, Gali No.70, Sant Nagar, Burari, New Delhi-110084 has disinherited and debarred his son Sh. Manoj Kumar, from the inheritance of all his movable and immovable property on account of his non co-operative attitude and behavior and in-spite of the best efforts of my client he failed reform himself and his indulging in the activities which are pre-judicial to the interest of my client and consequently, under compelling circumstances my client has severed all his relation and connections with him and in case any one deal with him, he or she shall be doing so at his/her risk and my client shall not be responsible for his act and deed in any manner what so ever.

Ratnakar Maltiyar Advocate
Chamber No.P-46, Post Office Lane, Tis Hazari Court, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

My clients Sh. Gulshan Rai S/o Late Sh. R. R. Makol and Smt. Seeta Devi W/o Sh. Gulshan Rai R/oA-120, Surya Nagar, Chander Nagar,Ghaziabad, UP have severed all their relations with their son Anil Kumar Makol and his wife Harsha Makol for being not dutiful and obedient. Whosoever deals with them in any manner, shall be doing so at his/her own risk and responsibility .My clients or any family member of my clients shall not be responsible for the same.

MANU MINOCHA (Advocate)
Ch. NO. 438, W.Wing, Tis Hazari Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my clients namely Mr. Jai Nand Singla S/o Late Sh. Gori Shankar & Mrs. Laxmi W/o Jai Nand Singla both R/o #387, First Floor, Village Mundka, Delhi 110041 also at 462, Sector 6, Housing Board, Hansi, Distt. Hisar (HRY) have severed and ceased all their relations with their son namely Nitin Singla & Daughter in Law Tina Singla W/o Nitin Singla both R/o Pocket-2, Sector-22, Rohini, Delhi-110086 and also disowned/debarred them from all their movable and immovable properties. My clients shall not be responsible for any of their acts, deeds or activities, and if any one enters into any kind of dealings with them, he/she/they as well as any firm and company/companies shall do her/him/them so at their own risk cost and consequences.

KULDEEP KUNDRA (Advocate)
Ch. NO. 19, Tehsil Bulding, Tis Hazari Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

My client Saroj Garg w/o Sh. Rajinder Garg R/o C-15/9, RAMGARH, NEAR JAHANGIR PURI METRO STATION, Delhi-110033 has given public notice that my client have disown hersons PARVEEN GARG, PARMOD GARG, DEEPAK GARG daughter in law RADHA w/o PARVEEN GARG, daughter in law SUMAN w/o PARMOD GARG, ANU GARG W/O DEEPAK GARG and her grandsons/ granddaughter from all her movable and immovable properties and severe all relations from them absolutely and forever, because their acts, deeds and things are adverse and prejudice to right, interest, natural feelings and sentiments of us, any one dealing with them would be responsible and liable for the same and we shall not be responsible or liable for the same.

Sd/-
NISHA GARG (Advocate)
141, Vardhman Premium Mall, Pitam Pura, Delhi-34

PUBLIC NOTICE

To know all men that my clients Sh. Narain Gupta S/o Late Sh. Badrinath Gupta R/o 4/2911-A, Gali No. 1-C, Bihari Colony, Shahdara, Delhi-110032 and his wife Smt. Usha Rani have disowned and debarred their son Sh. Arun Gupta and his wife Smt. Shilpa Gupta from their all movable and immovable properties and my clients have severed their all relations with them due to their disobedience and bad behaviour. That my clients shall not be responsible for any of their act or conduct and if any person deals with them then he shall deal at his own risk, cost and consequences.

Sd/-
Rajesh Kumar (Advocate)
(M) 9871443590

PUBLIC NOTICE

It is hereby notified for General Public that my client Sh. Vijay Pal S/o. Late Sh. Gaje Singh, R/o. House No. 32, VPO-Bakoli, New Delhi, has severed all the relations with his son and daughter-in-law namely Sachin Chauhan and Komal respectively and has debarred them from inheriting any movable and immoveable properties of my client, due to their misbehavior, unbecoming act and neglecting their duties owing towards my client. If anybody deals with them, shall do so at his/her own risk and my client shall not be responsible for any act of his above named Sachin Chauhan and Komal in any manner whatsoever.

PAWAN SHARMA & ASSOCIATES-ADVOCATE
Ch. No. 492-A, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi -110054

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my clients namely Smt. Pushpa W/o. Late Satpal R/o. J-23, Block-J, Malka Ganj, Delhi -110007, has severed all relations and ties from her both sons (1) Joginder Pal Chopra and his family, (2) Mani Bhushan Chopra and his family due to their cruel and harassing behaviour towards my client. My client has disowned and debarred them from all her moveable & immoveable properties. Anyone dealing with them in future in any manner shall do so at their own risk and consequences. My client shall not be responsible for any acts, deeds and things done by them.

BRIJESH TIWARI-ADVOCATE
Ch. No. L-10, Near Tehsil Building, Tis Hazari Courts, Delhi -110054

PUBLIC NOTICE

I Meena Salwan W/o Kiranjeet Salwan R/o 198-A, GF, Pocket F, Mig Flats, GTB, Enclave, Delhi 110093, have lost my original documents, demand letter, site possession slip, allotment letter, possession slip. Any person claiming any rights, intrest having any objection or found in a possession of original documents may right/contact with above name person at above address phone N.-9971611265.

This is to inform public at large that my clients **Sh. Mahesh Thakur & Smt. Gayatri Thakur** R/o 38, 1st Floor, Vijay Block, Laxmi Nagar, Delhi-92 have disowned/disinherited and severed all relations with their Daughter **Ishu Thakur** aged 24 years because of her wrongful doings and bad behaviour. My clients have debarred her off all their moveable and immoveable properties and assets. Any person/ organisation/ authority who has dealt in past or deals in future shall be responsible at his/her own. My clients shall not be responsible for any act whatsoever done by her.

Sd/-
V. K. Baldev (Advocate)
CH-616, Patiala House, ND.

संसद भवन और केंद्रीय सचिवालय को सरकार देगी पांच साल में नया स्वरूप

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 सितंबर।

सरकार ने ब्रिटिश शासनकाल में निर्मित संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक तीन किमी के दायरे में मौजूद 'सेंट्रल विस्टा (केंद्रीय भूदृश्य)' को अगले पांच साल में नया स्वरूप देने की महत्त्वाकांक्षी परियोजना को शुरू कर दिया है। इस परियोजना के पीछे सरकार की सोच है कि 2022 में आजादी की 75वीं वर्षगांठ को नए या पुनर्विकसित संसद भवन में मनाया जा सके। आवास व शहरी मामलों का मंत्रालय इस परियोजना को अमली जामा पहनाएगा। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि 15 अक्तूबर तक संसद भवन, संयुक्त केंद्रीय सचिवालय और सेंट्रल विस्टा के नए डिजाइन का निर्धारण कर लिया जाएगा। अगले साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के बाद इस परियोजना का काम शुरू कर दिया जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग (सीपीडब्लूडी) ने तीनों परियोजनाओं के डिजाइन के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भवन निर्माण क्षेत्र की कंपनियों से 15 अक्तूबर तक प्रस्ताव (आरएफपी) मांगे हैं। फिलहाल इतना ही तय किया गया है कि प्रधानमंत्री के 'ड्रीम प्रोजेक्ट' के तौर पर इस काम को पांच साल के भीतर पूरा किया जाना है। जगह की कमी का सामना कर रहे संसद भवन में फिलहाल सिर्फ मंत्रियों को कामकाज के लिए अलग कमरे की सुविधा मिल पा रही है। सभी संसद सदस्यों को संसद भवन में कमरे मुहैया कराने और भविष्य में संभावित परिसीमन में संसद सदस्यों की संख्या बढ़ने पर अधिक स्थान की जरूरत के मुताबिक नया संसद भवन बनाने या मौजूदा इमारत का ही पुनर्विकास करने का प्रस्ताव है।

संभावित विकल्पों के बारे में अधिकारी ने बताया कि संसद भवन के ऐतिहासिक महत्त्व को देखते हुए मौजूदा इमारत को संग्रहालय बनाकर नई इमारत बनाने और मौजूदा इमारत का विस्तार कर इसे जरूरतों के मुताबिक बनाया जा सकता है। इस बारे में अंतिम फैसला समुचित डिजाइन के निर्धारण के बाद ही किया जा सकेगा। संसद भवन को नई डि

हर्जाने और माफीनामे के साथ लेखक को रॉयल्टी

मृणाल वल्लरी
नई दिल्ली, 12 सितंबर।

कल जब हिंदी दिवस पर हिंदी में पढ़ने-लिखने वालों की बात होगी तो उसमें लेखक बनाम प्रकाशकों के हित में यह अहम होगा कि साहित्यिक पुस्तकों के प्रकाशक किताबघर प्रकाशन ने कोर्ट में चली लंबी कार्यवाही के बाद हर्जाने के साथ रॉयल्टी का भुगतान किया और माफी मांगी। हिंदी में लिखने-पढ़ने वालों के बीच लेखक बनाम प्रकाशक का रिश्ता बहस में रहता आया है। हिंदी के साहित्यकारों का आरोप रहता है कि प्रकाशक उनके साथ गैर पेशेवराना रवैया अख्तियार करते हैं और ज्यादातर लेखक भी आवाज नहीं उठाते हैं। वे इसी में खुश हो जाते हैं कि उनकी किताब छप कर आ गई है। किताब प्रकाशित होने के बाद लेखकों को रॉयल्टी के बारे में समय-समय पर सही जानकारी नहीं दी जाती है और न ही लेखकों के किसी अधिकार को तवज्जो दी जाती है। साहित्यकार रमाकांत शर्मा 'उद्भ्रांत' के मामले में तो लेखक को बिना बताए किताब फिर से छापी गई, मूल्य दोगुना किया गया और उसे प्रथम संस्करण ही बताया गया। उद्भ्रांत अपने हक के लिए अदालत गए और प्रकाशन गृह से अपना हक हासिल किया। साहित्यकार उद्भ्रांत ने बताया कि 1998 में विकास पेपरबैक्स के अंतर्गत प्रकाशित गजल संग्रह 'मैंने यह सोचा न था' को किताबघर ने मेरी जानकारी के बिना दोगुने मूल्य पर दोबारा छापा। इसके साथ ही प्रकाशकीय विवरण में प्रथम प्रकाशन वर्ष और प्रथम संस्करण ही दिखाया। इसके खिलाफ वे अदालत पहुंच गए। उद्भ्रांत ने बताया कि बिक्री की पुस्तकों का वार्षिक ब्योरा और तदनुसार रॉयल्टी का भुगतान न करने, कई बार विभिन्न वकीलों की ओर से कानूनी नोटिस देने के बाद हुई आर्बिट्रेशन की कार्यवाही में अनुपस्थित रहने और आर्बिट्रेटर के अवार्ड को स्वीकार न करने पर मैंने पिछले साल दिल्ली की तीस हजारी अदालत में मामला दायर किया था।

'रुद्रावतार', 'प्रज्ञावेणु' और 'त्रेता' के रचनाकार उद्भ्रांत ने बताया कि अदालती कार्यवाही के बाद प्रकाशन गृह ने पत्र लिख कर मुझसे माफी मांगी है और उपरोक्त मदों व उनके कारण हुई परेशानियों के मद्देनजर आर्बिट्रेशन अवार्ड में तय एक लाख दस हजार रुपए की राशि का भुगतान कर अदालत से बाहर समझौता कर लिया है। उद्भ्रांत ने कहा कि जब मैं विश्व पुस्तक मेले में गया तो किताब घर के स्टॉल पर गया तो वहां मेरी किताब 'मैंने यह सोचा न था' थी, लेकिन उसके पन्नों और आवरण को देख कर लग रहा था कि इसे फिर से छापा गया है। लेकिन प्रकाशन वर्ष 1998 और प्रथम संस्करण ही लिखा था। सबसे आपत्तिजनक बात यह थी कि किताब का मूल्य 80 रुपए कर दिया गया था जो कि 1998 में प्रकाशित किताब में महज 40 रुपए थी। यह सरासर फर्जीवाड़ा था और मैंने तत्काल इसके खिलाफ कदम उठाया।

इस मामले में विकास पेपरबैक और किताब घर के देवव्रत शर्मा का कहना है कि हमारे बड़े भाई साहब के साथ उद्भ्रांत का करार हुआ था पेपरबैक और हार्ड बाउंड का। लेकिन हार्ड बाउंड छप नहीं पाई थी। देवव्रत शर्मा का कहना है कि उद्भ्रांत की किताब 'मैंने यह सोचा न था' ज्यादा बिकी नहीं थी। हमने लेखक को काफी प्रतियां भी दी थीं। उस किताब की कई जगह समीक्षाएं छपी थीं। हमने 1000 किताबें छापी थीं और वे बिकी नहीं थी। किताब नहीं बिकने से हमारा बहुत नुकसान हुआ था।

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय

बेहतर सेवा के लिए जनता आपका सहयोग

ट्रैफिक चालानों का निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत
में
14 सितम्बर, 2019
को
प्रातः 10:00 बजे से सायं 3:30 बजे तक

सभी प्रकार के वाहनों (व्यवसायिक वाहनों सहित) के
ऑन द स्पॉट एवं नोटिस ब्रांच के लंबित ट्रैफिक चालानों का तुरंत निपटारा

ऑन द स्पॉट ट्रैफिक चालानों के लिए
सभी संबंधित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के ट्रैफिक कोर्ट में

नोटिस ब्रांच के ट्रैफिक चालानों के लिए
तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाऊस, साकेत, रोहिणी एवं द्वारका
न्यायालय परिसर के किसी भी कोर्ट में

अपने वाहनों के लंबित नोटिस/चालानों के बारे में जानने के लिए
दिल्ली यातायात पुलिस वेबसाइट https://delhitrafficpolice.nic.in पर लॉग ऑन करें

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं हेल्पलाइन 1516
दिल्ली यातायात पुलिस हेल्पलाइन 1095, 25844444

DP/9151/19

आप हमसे जुड़े :
https://twitter.com/dtptraffic
https://www.facebook.com/dtptraffic

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण

पुलिस आयुक्त, दिल्ली को ई-मेल करें :
cp.amulyapatnaik@delhipolice.gov.in
लिखें : पुलिस आयुक्त, दिल्ली को
पोस्ट बॉक्स नं. 171, जीपीओ, नई दिल्ली पर

ट्रैफिक प्रहरी बनें
तुरंत पुलिस सहायता के लिए कॉल करें 100
एप डाउनलोड करें App Store Google Play
पुलिस को सूचना देने के लिए कॉल करें 1090

SIGNATURE GLOBAL
MAKING INDIA AFFORDABLE
ICRA

शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांक अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जा रहे अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
(विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)

प्रोजेक्ट के विवरण

1. कॉलोनाइज़र/डेवलपर	सिग्नेचर बिल्डिर्स प्राइवेट लिमिटेड
2. प्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृति	लाइसेंस नं./वर्ष – 51/2019 दिनांक : 06.03.2019, निर्माण योजना स्वीकृति तिथि : 08.08.2019. मेमो न.: ZP-1110/AD(RK)/2019/19109. हरियाणा रेरा प्रमाणित न.: 51 of 2019 dated 09.09.2019
3. स्थान	सेक्टर 93, गुरुग्राम, हरियाणा।
4. प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी प्रावधान	हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 5 एकड़ में कुल 720 अपार्टमेंट में से 720 अपार्टमेंट आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से पॉलिसी अनुसार 5% फ्लैट मैनेजमेंट कोटे में आरक्षित हैं और 95% अपार्टमेंट सर्वसाधारण के लिए हैं। समुदाय सुविधाएँ : 2000 वर्गफुट का एक समुदाय भवन और 2000 वर्गफुट का एक आँगनवाड़ी–सह–क्रेश।

5. अपार्टमेंट के विवरण, आवंटन दर और भुगतान के नियम

अपार्टमेंट के विवरण

कैटेगरी (टाइप)	यूनिट की संख्या	कारपेट एरिया वर्गफुट (लगभग)	बाल्कनी एरिया वर्गफुट (लगभग)	अपार्टमेंट के एलॉटमेंट की दर (सब मिला कर)*	आवेदन के साथ बुकिंग की राशि 5%	एलॉटमेंट पर 20%
2BHK TYPE -01	170	539.384	78.114	21,96,593.00	1,09,830.00	4,39,319.00
2BHK TYPE -02	170	603.677	76.058	24,52,737.00	1,22,637.00	4,90,547.00
2BHK TYPE -03	170	594.916	70.849	24,15,088.50	1,20,754.00	4,83,018.00
2BHK TYPE -04	170	577.112	79.029	23,47,962.50	1,17,398.00	4,69,593.00
3BHK TYPE -01	4	641.351	120.32	26,15,404.00	1,30,770.00	5,23,081.00
3BHK TYPE -01 (MQ)	36	641.351	120.32	26,15,404.00	1,30,770.00	5,23,081.00

ii) बाकी 75% राशि का तीन वर्षों के दौरान 6 महीने तक बराबर किस्तों में भुगतान। भुगतान की नियत तिथि से पहले कोई ब्याज नहीं लगेगा। भुगतान में किसी चूक के लिए हर्जाना ब्याज देना होगा जैसा कि हरियाणा रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, विनियम, 2017 के नियम 15 में प्रावधान है।

6. पार्किंग	प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए दुपहिया वाहन पार्किंग।
7. अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण	• फ्लोरिंग : कमरों में विट्रिफाइड टाइल्स, किचन में विट्रिफाइड/सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में एंटी स्किड सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में एंटी स्किड/मैट फिनिश सिरामिक टाइल्स, • खिड़कियाँ : IS कोड के अनुसार M.S. सेक्शन/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • दरवाज़ों के फ्रेम : रेड मरंडी/माइल्ड स्टील/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • वॉल टाइल : 4 फुट/7 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स एवं ऊपर ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर • किचन काउंटर टॉप ग्रीन मार्बल/ग्रेनाइट • दीवार : ऑयल बांड डिसटेंपर • सेनिटरी फिटिंग : ISI मार्क CP फिटिंग्स, W.C. और वॉश बेसिन • इलेक्ट्रिक फिटिंग : ISI मार्क। स्ट्रक्चर : IS कोर्ड और NBC के नवीनतम सुझावों के अनुसार, RCC फ्रेम स्ट्रक्चर को SESMIC फोर्स से बचाव के लिए डिज़ाइन किया गया है।
8. आवेदन की समय सीमाएँ	i) आवेदन पत्र दिनांक 13.09.2019 से आवेदन शुल्क 1000 रुपये भुगतान कर Signature Builders Pvt. Ltd., Corp. Office - Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001, 0124-4908200 से प्राप्त और इसी पते पर जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें : 7053–121–121 ii) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 05.10.2019. iii) वितरण और संग्रह केंद्रों की सूची www.signatureglobal.in पर उपलब्ध है। iv) आवेदन पत्र प्राप्त करने और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा www.signatureglobal.in पर भी उपलब्ध है।

योग्यता : 1. आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार करने पर रोक नहीं हो। 2. आवेदन कोई भी कर सकता है हालाँकि एलॉटमेंट में प्राथमिकता PMAY (पीएमएवाई) लाभार्थियों को दी जाएगी जिनमें आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान शामिल हैं जिनकी पहचान 'प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास' प्रोग्राम के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के तहत की गई हो। पहली प्राथमिकता कथित शहर के पहचान किए गए लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद बचे फ्लैट के एलॉटमेंट में ऐसे आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका हुडा की किसी कॉलोनी/सेक्टर या हरियाणा शहरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की किसी लाइसेंस्ड कॉलोनी में अपना फ्लैट/प्लॉट नहीं हो। 3. एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। इस नीति के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अन्य किसी कॉलोनी में अन्य फ्लैट के लिए आवेदन योग्य नही माना जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक कॉलोनी में आवंटन के लिए सफल होता है तो पसंद का केवल एक फ्लैट चुनना होगा।

आवंटन के मानक : 1. अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉट्री से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्कल कार्यालय), संबद्ध ज़िले के डीटीपी और संबद्ध कोलोनाइजर के प्रतिनिधि होंगे। 2. लॉट्री की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवेदकों को लॉट्री की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएँगे। 3. मानकों की पूरी जानकारी और आरंभिक जाँच और आवंटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवेदक अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन में उपलब्ध है। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)।

REGISTERED RERA REGISTERED
ORCHARD AVENUE 2
THE OASIS OF LIFE IN TOWN
SECTOR 93, GURUGRAM
UPSCALE
HAR PARIVAR EK GHAR

SIGNATURE BUILDERS PVT. LTD. | CIN: U70101DL2011PTC220275
Regd. Office - 1309, 13th Floor, Dr. Gopal Das Bhawan, 28 Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001
Corp. Office - Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001 | www.signatureglobal.in

HOME LOAN PARTNER HDFC HOME LOANS pnb Housing ICICI Bank Home Loans YES BANK Piramal ART TATA CAPITAL shubham

AVAIL INTEREST SUBSIDY BENEFITS OF RS. 2.67 LAC (APPROX) UNDER PMAY (PRADHAN MANTRI AWAAS YOJANA)**

Promoter urges every applicant to inspect the project site and shall not merely rely upon or to be influenced by any architectural impression, plan or sales brochure and therefore, requested to make personal judgment prior to submitting an application for allotment. The images shown here are indicative of design and for illustration purposes only. Further, the actual design may vary in fit and finished from the one displayed above. Project details / specifications can also be accessed at the office of Haryana Real Estate Regulatory Authority website https://haryanarera.gov.in/. Journey time shown, if any, is based upon google maps which may vary as per traffic at relevant point of time. *Rate mentioned above does not include GST and other statutory charges, if applicable. T & C Apply. 1 Sq. mt = 10.7639 sq. ft. **The subsidy differs as per the eligibility of the client's profile and the loan amount. This is the max amount of subsidy that a client can receive and the same goes with the loan amount too for availing the subsidy. Please note that the loan can be sanctioned more than 12 lacs but subsidy can be availed only till 12 lacs of loan amount.

7053-121-121

indianexpress.com

For me every story has a beginning, middle and end. And a counterpoint.

Inform your opinion with unbiased and comprehensive analysis.

The Indian Express.
For the Indian Intelligent.

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	37.1 डि.से.	37.1 डि.से.	37.2 डि.से.	39.0 डि.से.
न्यूनतम	29.6 डि.से.	29.6 डि.से.	28.0 डि.से.	28.8 डि.से.

मतदान खत्म, नतीजों का इंतजार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 सितंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के लिए गुरुवार को मतदान संपन्न हुआ। छिटपुट झड़पों को छोड़कर मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम में खराबी की भी सूचना मिली। एनएसयूआइ से सह सचिव पद के उम्मीदवार अभिषेक चपराणा को दयाल सिंह कॉलेज मतदान केंद्र के बाहर प्रचार करने पर पुलिस ने रोका और कुछ देर तक थाने में भी बिठाकर रखा। दो पालियों में हुए मतदान में प्रातकालीन कॉलेजों में 40 फीसद मतदान हुआ। कुल मतदान 39.9 फीसद रहा। अब शुक्रवार को किंग्सवे कैंप में सुबह साढ़े आठ बजे से मतगणना शुरू होगी और उम्मीद है कि दोपहर 12 बजे तक परिणाम आ जाएंगे।

उत्तरी परिसर में मतदान के दौरान एबीवीपी और एनएसयूआइ के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली। दोनों छात्र संगठनों के नेता परिसर में जमे रहे। उत्तरी परिसर के 17 मतदान केंद्रों पर कुल 38 फीसद मतदान हुआ। यहां पर किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए 400 पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। इस बार एक दो स्थानों पर कॉलेज में उम्मीदवार समर्थकों के

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव

फोटो : अरुष चोपड़ा

घुसने या ईवीएम खराब होने के कारण थोड़ा बहुत हंगामा हुआ बाकी मतदान शांतिपूर्ण से ढंग से हुआ। डूसू के चार पदाधिकारियों के लिए चुनाव मैदान में कुल 16 उम्मीदवार ताल ठोंक रहे हैं। इनमें अध्यक्ष पद पर चार, उपाध्यक्ष पद पर सबसे अधिक पांच, सचिव पद पर सबसे कम तीन और सह सचिव पद पर चार उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

चुनाव के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मतदान बूथ पर पहुंचने से पहले कॉलेज के प्रवेश द्वार पर विद्यार्थियों की जांच की जा रही थी। किसी भी बाहरी विद्यार्थी का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित था। इसलिए सभी विद्यार्थी अपने पहचान पत्र लेकर परिसर में आए थे। प्रवेश द्वार पर पुलिस की जांच के बाद अंदर अधिकारी पहचान पत्र देख रहे थे। डूसू चुनाव के लिए नियुक्त अधिकारी मतदान के दौरान विभिन्न केंद्रों पर घूम-घूमकर उम्मीदवारों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े साक्ष्य एकत्र करते नजर आए। कई मतदान केंद्रों पर वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई थी।

एबीवीपी बोली हमारी जीत सुनिश्चित

एबीवीपी राष्ट्रीय मीडिया संयोजक मोनिका चौधरी ने कहा कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और समर्थित उम्मीदवारों ने डीयू के करीब 30 से ज्यादा कॉलेजों में विभिन्न पदों पर जीत हासिल की है। डूसू में भी हम जीतेंगे। वहीं, एबीवीपी प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव ने दावा किया कि केंद्रीय पैनल की चारों सीटें एबीवीपी जीत रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जिस प्रकार से एनएसयूआइ के प्रत्याशियों ने दयाल सिंह कॉलेज और रामजस कॉलेज सहित कई जगहों पर विवाद की स्थिति उत्पन्न की वह निंदनीय है।

'प्रशासन और एबीवीपी की मिलीभगत'

एनएसयूआइ के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी नीरज मिश्रा का कहना है कि डूसू चुनाव में प्रशासन और एबीवीपी की मिलीभगत एक बार फिर से सामने आ गई। एनएसयूआइ के संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार अभिषेक चपराणा को दयाल सिंह कॉलेज में असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार करना और आर्यभट्ट कॉलेज में एनएसयूआइ के सचिव पद के उम्मीदवार आशीष लांबा की ईवीएम मशीन में खराबी से साफ जाहिर हो चुका है कि डीयू का पूरा प्रशासन पूरी तरह से एनएसयूआइ को हराने में जुट गया है। हमें इसके बावजूद अपनी मेहनत और संघर्ष के साथ विद्यार्थियों के समर्थन का पूरा विश्वास है। इन सब परिस्थितियों के बावजूद डूसू में एनएसयूआइ का परचम लहराएंगे।

अधिक माल ले जाने पर ट्रक का कटा दो लाख का चालान

निर्भय कुमार पांडेय
नई दिल्ली, 12 सितंबर।

नया मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम-2019 एक सितंबर से देश भर में लागू हो गया है। इसके बाद दिल्ली समेत देश भर में यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले वाहनों चालकों का मोटा चालान काटा जा रहा है। भलस्वा डेयरी में बुधवार रात को हरियाणा नंबर के एक ट्रक चालक का नियमों की अनदेखी करने की वजह से दो लाख 500 रुपए का चालान कटा गया। बताया जा रहा है कि चालान सीमा से अधिक माल ले जाने पर काटा गया। ट्रक में 18 टन अधिक माल था। ट्रक चालक के पास ट्रक के कागजात भी पूरे नहीं थे। यह कोई पहला मौका नहीं है। इससे पूर्व भी दिल्ली के रोहिणी इलाके में बीते दिनों एक ट्रक चालक का 1 लाख 41 हजार 700 रुपए का चालान काटा गया था।

चालान की रसीद

ट्रक मालिक कैलाश राणा ने बताया कि उनके ट्रक में भवन बनाने में इस्तेमाल होने वाला डस्ट लदा हुआ था। चालक माल को रोहिणी से भलस्वा झील इलाके में लेकर जा रहा था। इसी बीच हाइवे पर पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने ट्रक चालक को रोका और वाहन समेत उसे बुराडी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लेकर गई, जिसके बाद रोहिणी अदालत के लिए चालान कर दिया गया। चालन भरने पहुंचे कैलाश को बताया गया कि उनके ट्रक में 18 टन डस्ट अधिक था। साथ ही उसके पास प्रदूषण नियंत्रण का प्रमाण पत्र भी नहीं था। कैलाश का आरोप है कि नए नियम के हिसाब से ट्रक का 37 हजार रुपए का चालान काटा जाना था, लेकिन अदालत में पहुंचने पर पता चला कि दो लाख 500 रुपए का चालान काटा गया है। साथ ही कैलाश का आरोप है कि उसे यह भी नहीं बताया गया कि किस कारण इतने रुपए का चालान काटा गया है। कैलाश राणा ने जनसत्ता से बातचीत करते हुए बताया कि उसके पास ट्रक का प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं था। इसके अलावा सभी दस्तावेज मौजूद थे। उसके चालक के पास भी ड्राइविंग लाइसेंस था। साथ ही ट्रक का पंजीकरण नंबर, परमिट और अन्य दस्तावेज हैं। उसका आरोप है कि बिना दस्तावेज देखे ही पुलिसकर्मियों ने चालान काट दिया।

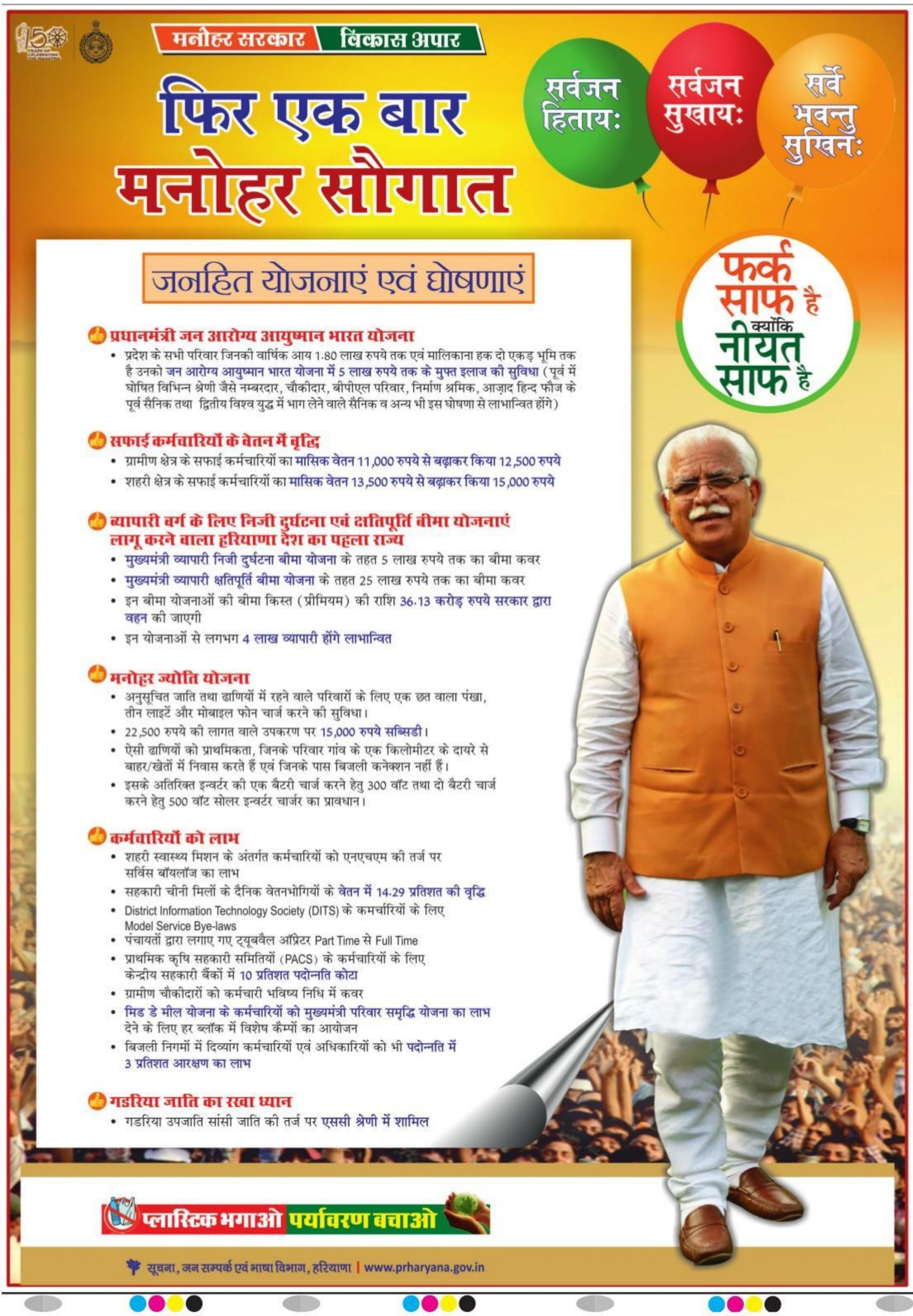

अनुच्छेद 370 पर सरकार के साथ आया मुसलिम संगठन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 सितंबर।

मुसलमानों की शीर्ष संस्था जमीयत उलेमा-ए-हिंद (जेयूएच) ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र के फैसले का गुरुवार को समर्थन किया और कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और घाटी के लोगों का कल्याण भारत के साथ एकीकरण में ही है। जेयूएच ने यहां आयोजित अपनी सालाना बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया और एकीकृत भारत का आह्वान किया।

अनुच्छेद 370 का जिक्र किए बिना प्रस्ताव में कहा गया है कि हमारा मानना है कि कश्मीर का कल्याण भारत के साथ उसके एकीकरण में ही है। पड़ोसी देश और विरोधी ताकतें कश्मीर को नष्ट करने पर तुली हैं। कश्मीर के परेशान और पीड़ित लोग विरोधी ताकतों के बीच फंस गए हैं। पाकिस्तान का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि वह कश्मीरियों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। जेयूएच के पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि मुसलिम समाज देश की एकता और अखंडता को सर्वोच्च महत्त्व देता है। वह इसके लिए लगातार खड़ा है। मुसलमानों की शीर्ष संस्था जेयूएच कभी भी किसी अलगाववादी आंदोलन का समर्थन नहीं कर सकता है और उसका मानना है कि इस तरह के आंदोलन न केवल भारत बल्कि कश्मीर के लोगों के लिए भी हानिकारक है। प्रस्ताव में कहा गया है कि कश्मीर की मौजूदा स्थिति मांग करती है कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए शांतिपूर्ण पहल शुरू की जाए।

कच्ची कॉलोनियों के नियमन पर 'आप' और भाजपा आमने-सामने

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 सितंबर।

विधानसभा चुनाव की तैयारियों के चलते आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी के बीच कच्ची कॉलोनियों के नियमन पर वार-पलटवार शुरू हो गया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली सरकार के कार्यकाल में एक भी कच्ची कॉलोनी को पक्का नहीं किया गया है। 'आप' के 70 सूत्रीय घोषणापत्र में से यह केवल एक मुख्य बिंदु की हकीकत है। इन कॉलोनियों को पक्का करने के लिए बार-बार दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से समय मांगा है। अब इस काम को 2021 तक पूरा होने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अराजकतावादी केजरीवाल को दिल्ली की जनता सत्ता से बेदखल करेगी।

उधर मामले में आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा पर पलटवार किया है। 'आप' ने कहा कि नवंबर 2015 में दिल्ली कैबिनेट ने कच्ची कॉलोनियों से संबंधित मसौदे को मंजूरी दी थी, लेकिन इस पर आज भी केंद्र सरकार की स्वीकृति नहीं मिली है। 'आप' ने कहा कि इस मसौदे को केंद्र सरकार को मंजूरी देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बीते माह ही इन कॉलोनियों के मामले में एक कैबिनेट नोट शहरी विकास मंत्रालय को भी भेजा गया है। इस नोट को स्वीकृति दी जाती है तो इसकी मदद से कॉलेनियों में पंजीकरण का काम शुरू हो सकता है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही कच्ची कॉलोनियों में काम संभव है। 'आप' ने कहा कि यह समय आरोप-प्रत्यारोप का नहीं है कि इन कॉलोनियों में सात दशक से लोग अमानवीय ढंग से जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

राकेश तिवारी को रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 सितंबर।

इस बार का रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार राकेश तिवारी को उनकी 'परिकथा' में प्रकाशित कहानी 'मंगत की खोपड़ी में स्वप्न का विकास' के लिए प्रदान किया जाएगा। निर्णायक और कथाकार महेश कटारे का कहना है कि

इस कहानी में स्वप्न की बेखबरी पर सवार मंगतराम की विडंबना सन्नाटे की बीहड़ आवाजों के शब्दों और वाक्यों की जिस कहन में दर्ज हुई है, उससे पाठक को महसूस होता है जैसे वह खुरदरे कैनवस की पेंटिंग पर कांपते विलाप के आगे आ पहुंचा हो। कहानी परिवेश और तनाव की उस भाषा में विन्यस्त है जिसमें समयबोध और कौशल के साथ आ जुड़ा है। इसलिए यह यथार्थ की उत्तप्त अनुभूति पर ही खत्म नहीं हो जाती, कुछ करने के लिए उकसाती भी है। राकेश तिवारी की कहानियां लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। उनकी एक कहानी पर फिल्म बन चुकी है। पुरस्कार समारोह दिसंबर में दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में आयोजित होगा।

आज के कार्यक्रम

सभा संगोष्ठी

एनडीएमसी और विहिप : दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, एनडीएमसी कंवेंशन सेंटर, जंतर मंतर, सुबह 11 बजे।

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : पुस्तक पर चर्चा, कमला देवी ब्लॉक, मल्टीपरपस हाल, 40 मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे।

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : साहित्य पर चर्चा, सभागार 2 और 3, कमला देवी ब्लॉक, 40 मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे।

तेजस के यात्रियों का होगा 25 लाख का निशुल्क बीमा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 सितंबर।

दिल्ली-लखनऊ के बीच तेजस से सफर करने वाले यात्रियों को 25 लाख रुपए का निशुल्क बीमा मिलेगा। आइआरसीटीसी पहली बार इस रूट पर यात्री ट्रेन का संचालन कर रहा है। इस सफर को बढ़ावा देने के लिए यह प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त ट्रेन में यात्रियों के घर से सामान स्टेशन लाने और फिर उसे गंतव्य तक पहुंचाने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यात्री आराम करने के लिए एक्सक्लूसिव लाउंज, टैक्सी और होटल की बुकिंग आदि की भी सुविधा ले सकते हैं।

आइआरसीटीसी के मुताबिक दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले यात्रियों को 25 लाख रुपये का निशुल्क यात्रा बीमा दिया जाएगा। ट्रेन के यात्रियों को लखनऊ जंक्शन पर प्रतीक्षालय और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक्जीक्यूटिव लाउंज और बैठकों के लिए लाउंज की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त ट्रेन में कोई छूट, विशेष सुविधा या ड्यूटी पास लागू नहीं होगा। यह भी प्रावधान किया किया है कि पांच साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए पूरा किराया देना होगा।

आइआरसीटी ने बताया कि ट्रेन में तत्काल कोटा की कोई सुविधा नहीं होगी। एक्जिक्यूटिव श्रेणी और एसी चेयर कार श्रेणी के प्रत्येक डिब्बे में पांच सीटें विदेशी पर्यटकों के लिए आरक्षित होंगी। ट्रेन का किराया डायनेमिक होगा लेकिन इसे विमान शुल्क से कम रखा जाएगा। ट्रेन के लिए बुकिंग यात्रा से 60 दिन पहले की जा सकेगी, जबकि सामान्य रेलवे बुकिंग यात्रा से 120 दिन पहले की जा सकती है। ट्रेन में चेयर कार भी होगी। इसमें यात्री पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर समूह में टिकट बुक कर सकेंगे। सामूहिक बुकिंग के लिए एक वातानुकूलित कोच में 78 सीटें उपलब्ध होंगी। बुकिंग कम से कम तीन दिन पहले करानी होगी। यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध होगी।

बताते चलें कि रेलवे ने यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रस्ताव रखा था कि वह 100 दिन के भीतर कुछ विशेष ट्रेनों का संचालन निजी ऑपरेटरों को सौंप सकती है। तेजस का संचालन आइआरसीटीसी को सौंपना इसी दिशा में एक कदम है। ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी। मंगलवार को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यह ट्रेन दिल्ली से शाम 4.30 बजे रवाना होगी और रात 10.45 बजे लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन लखनऊ से सुबह छह बजकर 10 मिनट पर रवाना होगी और दोपहर 12 बजकर 25 मिनट पर दिल्ली पहुंचेगी।

यात्रियों के लिए ये सुविधाएं भी हैं

- टिकट का भुगतान पेटीएम, फोनपे, मेक माइ ट्रिप, गूगल, रेल यात्री आदि से किया जा सकेगा
- ट्रेन को सेना के कर्मचारियों के लिए भी ऑनलाइन बुक किया जा सकता है
- इस ट्रेन में तत्काल कोटा का कोई प्रावधान नहीं होगा
- खाने की व्यवस्था अनिवार्य होगी, टिकट के समय भुगतान लिया जाएगा
- इस ट्रेन के यात्रियों के लिए भुगतान पर होटल या टैक्सी की भी बुकिंग कराई जा सकेगी
- विकलांग यात्रियों के लिए वील चेयर भी उपलब्ध रहेगी।

अयोध्या सुनवाई : मुसलिम पक्षों ने नमाज पर निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज किया

नई दिल्ली, 12 सितंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट में मुसलिम संगठनों ने गुरुवार को निर्मोही अखाड़े के इस दावे को खारिज कर दिया कि अयोध्या में विवादित स्थल पर मुस्लिमों का वैध मालिकाना हक नहीं हो सकता है क्योंकि उन्होंने 1934 से 1949 तक वहां नियमित नमाज नहीं पढ़ी। मुस्लिम संगठनों ने कहा कि अवैध कार्यों के लाभ हासिल नहीं किए जा सकते हैं। अखाड़ा ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को कहा था कि कब्जा 'पूरी तरह उसका' है क्योंकि 1934 के दंगों के बाद 1949 तक मुस्लिमों को केवल शुक्रवार की नमाज पढ़ने की इजाजत थी और वह भी पुलिस संरक्षण में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अखाड़ा को विवादित 2.77 एकड़ राम जन्मभूमि - बाबरी भूमि का एक-तिहाई आबंटित किया था।

हिंदू संगठन ने कहा था कि पुलिस संरक्षण में शुक्रवार की नमाज पढ़ना अखाड़ा के कब्जे की कानूनी प्रकृति में बदलाव नहीं लाएगा और इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि हिंदुओं और मुसलिमों दोनों का 'संयुक्त कब्जा' था। सुन्नी वक्फ बोर्ड और मूल याचिकाकर्ता एम. सिद्दीक सहित अन्य की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने यह कहते हुए हलफनामे का विरोध किया कि मुसलिमों ने इसलिए नमाज नहीं पढ़ी क्योंकि उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई।

परिजनों को सौंपी जाएंगी आठ लड़कियां

नई दिल्ली, 12 सितंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार के मुजफ्फरपुर आश्रय गृह की 44 में से आठ लड़कियों को सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनके परिवारों को सौंपने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति एम एम शांतानागौडार और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी के खंडपीठ ने राज्य सरकार को इन आठ लड़कियां को सभी आवश्यक वित्तीय और मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया।

पीठ ने राज्य सरकार को इस तरह की पीड़ितों को योजना के तहत देय क्षतिपूर्ति का आकलन करने और न्यायालय को इस बाबत रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया। पीठ ने टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज (टिस) को शेष लड़कियों के मामले में स्थिति रिपोर्ट तैयार करके आठ सप्ताह के भीतर न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया है।

शीर्ष अदालत ने टिस की कार्य परियोजना 'कोशिश' की रिपोर्ट के अवलोकन के बाद यह आदेश दिया। 'कोशिश' की सीलबंद लिफाफे में पेश की गई इस रिपोर्ट में कहा गया था कि आठ लड़कियों को उनके परिवारों को सौंपा जा सकता है। ये लड़कियां पूरी तरह फिट हैं।

मुजफ्फरपुर में गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित इस आश्रय गृह में कई लड़कियों का कथित रूप से यौन शोषण हुआ था और टिस की एक रिपोर्ट के बाद इस आश्रय गृह में रहने वाली लड़कियों के यौन शोषण की गतिविधियां सामने आई थीं। न्यायालय इस मामले में बिहार सरकार की एक अर्जी पर विचार कर रहा था। इसमें राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह की 44 लड़कियों के पुनर्वास और उन्हें उनके परिवारों को सौंपने की प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति मांगी थी। ये लड़कियां इस समय अलग अलग आश्रय गृहों में रह रही हैं।

बिहार सरकार की ओर से पेश वकील ने इससे पहले न्यायालय से कहा था कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह के बच्चों को बच्चों की देखभाल करने वाली अलग-अलग संस्थाओं में रखा गया है। वकील ने कहा कि इनमें से कुछ लड़कियों के व्यवहार में आक्रामकता नजर आने लगी है और वे खुद को नुकसान पहुंचाने का भी प्रयास कर रही हैं।

शीर्ष अदालत ने जून महीने में केंद्रीय जांच ब्यूरो को इस मामले की जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का समय दिया था। जांच ब्यूरो को इस दौरान संदिग्ध हत्या के मामलों की भी जांच पूरी करनी थी। न्यायालय ने जांच ब्यूरो को अपनी जांच का दायरा बढ़ाने और इस अपराध में 'बाहरी लोगों' के शामिल होने की जांच का पता लगाने का भी निर्देश दिया था।

मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामला

सुप्रीम कोर्ट ने सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दी अनुमति

न्यायाधीशों के तबादलों की सिफारिश हमेशा ठोस कारणों से : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 12 सितंबर (भाषा)।

मद्रास हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश वीके ताहिलरमानी का मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर तबादले से उठे विवाद के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि विभिन्न हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों व न्यायाधीशों का तबादला ठोस कारणों पर आधारित होता है। न्यायमूर्ति ताहिलरमानी के नाम का उल्लेख किए बगैर सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल संजीव एस कालगांवकर के कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा गया कि तबादले की प्रत्येक सिफारिश ठोस कारणों के आधार पर की जाती है। बयान में कहा गया है कि संस्था के हित को ध्यान में रखते हुए तबादले के कारणों का खुलासा नहीं किया जाता है लेकिन यदि परिस्थितिवश जरूरी हुआ तो शीर्ष अदालत का कॉलिजियम उन्हें सार्वजनिक करने में संकोच नहीं करेगी।

सीबीआइ ने तृणमूल सांसद दस्तीदार की आवाज के नमूने का परीक्षण किया

कोलकाता, 12 सितंबर (भाषा)।

सीबीआइ की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने नारद स्टिंग ऑपरेशन के सिलसिले में गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष दस्तीदार की आवाज के नमूने का परीक्षण किया।

एजंसी सूत्रों ने बताया कि तृणमूल नेता मध्य कोलकाता में निजाम पैलेस स्थित सीबीआइ कार्यालय में आईं और उन्होंने अपनी आवाज का नमूना रेकार्ड कराया। सीबीआइ ने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस के जिन दस नेताओं और मंत्रियों को परीक्षण के लिए बुलाया है, उनमें काकोली घोष दस्तीदार भी शामिल हैं। बारासात लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल सांसद ने पत्रकारों से कहा कि कानून का पालन करने वाली नागरिक होने के नाते मैंने पहले भी सीबीआइ के साथ सहयोग किया है और आगे भी ऐसा करती रहूंगी। उन्होंने कहा कि सीबीआइ नारद मामले की जांच कर रही है और यह जरूरी है कि उन लोगों को बेनकाब किया जाए जिन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की है। यह कथित स्टिंग आपरेशन मामला 2014 का है जिसमें नारद न्यूज पोर्टल के प्रमुख मैथ्यू सैमुअल को एक व्यवसायी के रूप में तृणमूल के मंत्रियों और नेताओं से फायदा लेने के लिए संपर्क करते हुए देखा गया और बदले में उन्हें नकद राशि देने की पेशकश की। जांच एजंसी तृणमूल नेताओं की आवाज के नमूने एकत्र कर रही है ताकि सैमुअल के साथ हुई बातचीत की सत्यता की जांच की जा सके।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को एतेद्वारा सूचना दी जाती है कि मेसर्स एस एस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड जिस का कॉर्पोरेट कार्यालस एस एस हाउस, प्लाट नंबर-77, सेक्टर- 44, गुरुग्राम, हरियाणा-122003 पर है।
जिले टाउन एवम कंट्री प्लानिंग विभाग हरियाणा सरकार द्वारा ग्राम-बढ़ा, सेक्टर-86, जिला-गुरुग्राम (हरियाणा) में 2.80625 एकड़ जमीन पर व्यावसासिक कॉलोनी को स्थापित करने के लिए लाइसेंस नम्बर 04/2019 दिनांक 17/01/2019 को मंजूरी दी गयी है।
नतीजतन दि स्टेट एनवायर्नमेंटल इम्पेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (एसईआईएए), हरियाणा बे न० 55-58, पर्यटन भवन, सेक्टर-2, (हरियाणा), उनके पत्र संख्या एसईआईएए / एचआर/2018/258 दिनांक 30/08/2019 द्वारा पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्रदान की है। सह एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस पत्र हरियाणा स्टेट पोल्लुशण कण्ट्रोल बोर्ड पंचकूला और एसईआईएए पंचकूला में उपलब्ध है।

मेमर्स एस एस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड
एस एस हाउस, प्लाट नंबर-77,
सेक्टर-44, गुरुग्राम, हरियाणा-122003

प्रारूप संख्या आईएनसी-25क
पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन के लिए समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य के मंत्रालय, के समक्ष उत्तरी क्षेत्र
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014, के नियम 41 के मामले में
और
मैसर्स कैलीबर बिल्डर्स लिमिटेड,
CIN:U67120DL1997PLC085024
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 15/16/7, नारायणा इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, कौम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली-110028 में स्थित है के मामले में, (आवेदक)
आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी को ऐसे संपरिवर्तन का अधिकार देने के लिए तारीख **बुधवार, सितम्बर 2019 के 11वें दिन** को आयोजित विशेष आम अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प की शर्तों के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संपरिवर्तन करने की इच्छा रखने वाली कंपनी ने पूर्वोक्त नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अधीन आवेदन किया है।
कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति के कारण यदि किसी व्यक्ति के हित पर प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन के भीतर निम्नलिखित पते पर आवेदक कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को भेजी गई प्रति सहित किसी हलफनामे द्वारा अपनी आपत्ति भेज सकता है या किसी के माध्यम से भिजवा सकता है या रजिस्ट्रीकृत पोस्ट द्वारा भेज सकता है जिसमें संबंधित **क्षेत्रीय निदेशक "क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2, विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003"** को उसके हित और आपत्ति के आधार की प्रकृति का उल्लेख किया जायेगा।
आवेदक के लिए या उसकी ओर से
कैलीबर बिल्डर्स लिमिटेड
हस्ता/-
अरविन्द कुमार कालरा
निदेशक
DIN: 00577625
दिनांक: 13.09.2019
स्थान: नई दिल्ली
कंपनी का पंजीकृत कार्यालय: 15/16/7, नारायणा इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, कौम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली-110028

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ शाखा के समक्ष
कॉर्पोरेट भवन, प्लॉट नं. 4 बी, सेक्टर- 27-बी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़
नं. एनसीएलटी/ सीएचडी/ आरईजी/ 323 तिथि: 11.9.2019
सीए नं. 233/ 2019
सीपी (आईबी) नं. 80/ सीएचडी/ एचआरवाई/ 2018 में
मामले में
मै. टाटा ब्लू स्कोप स्टील लिमिटेड - याचिकाकर्ता ऑपरेशनल क्रेडीटर
बनाम
मै. रिचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड - प्रतिवादी कॉर्पोरेट डेब्टर
सेवा में
आर 7. मै. सिंघल एण्टरप्राईजेज, 204-ए, 1ला तल, पॉकेट-सी-6, बस स्टैंड के निकट, केशव पुरम, नई दिल्ली, द्वारा उसके प्रॉप्राईटर श्री दीपक
कृपया ध्यान रहे कि 3.9.2019 को इस अधिकरण के समक्ष सुनवाई के लिये उपरोक्त कम्पनी आवेदन (कॉपी संलग्न) प्रस्तुत किया गया है तथा उसकी **अब 16 अक्टूबर, 2019 को 10.30 पूर्वा. में सुनवाई** निर्धारित की गई है।
आपको निर्देश दिया जाता है कि व्यक्तिगत अथवा किसी प्राधिकृत एजेन्ट या वकील के माध्यम से निर्धारित तिथि को इस अधिकरण के सिटिंग मेम्बर्स के समक्ष उपस्थित हों तथा यह कारण बतायें कि इस याचिका को क्यूं न स्वीकार की जाये तथा आपको विपक्ष के काउंसल के पास उसकी प्रति अग्रसारित करने के साथ निर्धारित तिथि से कम से कम दो सप्ताह पूर्व अपना जवाब/ आपत्तियां, यदि कोई हो, दाखिल करने का अवसर दिया जाता है।
मेरे हाथ से तथा इस अधिकरण की मुहर लगाकर **9 सितम्बर, 2019 को दी गई।**
सहायक रजिस्ट्रार,
रजिस्ट्रार के लिये
एनसीएलटी, चंडीगढ़ पीठ

भारत निधि लिमिटेड
CIN: L51396DL1942PLC000644
पंजी. कार्यालय: प्रथम तल, एक्सप्रैस बिल्डिंग, 9-10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली- 110002
ई-मेल आईडी: bharatnidhi1@gmail.com
फोन नं. : 011-43562982, वेबसाईट: www.bharatnidhi.com
सूचना
76वीं वार्षिक साधारण सभा के लिये ई-वोटिंग जानकारी
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:
1) कंपनी के सदस्यों की 76वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, 26 सितम्बर, 2019 को 11.30 बजे पूर्वा. में प्यारेलाल भवन, 2 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 में आयोजित की जायेगी जिसमें उसकी सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।
2) सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2019 से गुरुवार, 26 सितम्बर, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।
3) 76वीं एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2018-19 की प्रतियां सभी सदस्यों को स्वीकृत पद्धति में उनके पंजीकृत पते पर भेज दी गई है।
4) कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, समय-समय पर यथा-संशोधित के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग) के विवरण इस प्रकार दिये गये हैं:
क) एजीएम में निष्पादित होने वाले व्यवसायों को रिमोट ई-वोटिंग द्वारा निष्पादित किया जा सकता है।
ख) रिमोट ई-वोटिंग 23 सितम्बर, 2019 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी।
ग) रिमोट ई-वोटिंग 25 सितम्बर, 2019 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी। उसके बाद ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जायेगी।
घ) कट-ऑफ तिथि 19 सितम्बर, 2019 है। जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रतिबंधित लाभ-भोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा वे रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे।
ड.) यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 19 सितम्बर, 2019 को शेयर धारित करते हैं, वे सभा की सूचना में दी गई विस्तृत प्रक्रिया का अनुसरण कर यूजर आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि सदस्य ई-वोटिंग के लिये सीडीएसएल में पहले से पंजीकृत हैं तो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के लिये वे अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
च) एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
छ) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के लिये योग्य नहीं होंगे।
ज) ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम आमंत्रण सूचना की टिप्पणी उपबंध 12 में दी गई है।
ञ) यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.bharatnidhi.com तथा सीडीएसएल की वेबसाईट www. evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।
ट) ई-वोटिंग से संबंधित प्रश्नों/मुद्दो के लिये सदस्यगण सम्पर्क करें:
श्री राकेश डाल्वी अथवा श्री मेहबूब लखानी, पता: ए विंग, 25 वां तल, मैराथन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्ड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुम्बई-400013, ईमेल आईडी: helpdesk.evoting@cdslindia.com, फोन नम्बर: 1800225533 सदस्यगण parveen@skylinerta.com पर कम्पनी के आरटीए को भी लिख सकते हैं।
भारत निधि लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
तिथि: 12 सितम्बर, 2019 अमिता गोला
स्थान: नई दिल्ली (कम्पनी सचिव)

यूको बैंक UCO BANK
अंचल कार्यालय, रिकवरी विभाग, प्रथम तल, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन: 011-49498285, 011-49498281
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना
ई-नीलामी बिक्री सूचना (सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत)
प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 5, 6, 7, 8 एवं 9 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) के अंतर्गत बैंक के पास गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति की ई-नीलामी बिक्री, बैंक के बकाये की वसूली के लिए ''जैसा है जहां है'' तथा ''जो भी वहां है आधार'' पर उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ नीचे वर्णित ऋणधारक की खाता में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी सूचना के अनुपालन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नलिखित सम्पत्तियों का अधिग्रहण किया गया है। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 27.9.2019 के 5.00 बजे सायं तक है। ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 30 सितम्बर, 2019 को 11 बजे पूर्वा. से 2 बजे अप. तक प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ।

शाखा का नाम; आईएफएससी कोड नं.; खाता सं., टेलीफोन नं. एवं ई-मेल पता	ऋणधारक एवं गारंटर का नाम	बकाया राशि (रु./लाख)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम	कब्जा का प्रकार	पहचान की गई सम्पत्तियाँ	आरक्षित मूल्य (ईएमडी)	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं सम्पर्क व्यक्ति	सरकारी बकाया, यदि कोई हो
पंजाबी बाग शाखा आईएफएससी कोड- UCBA0000234; ईएमडी खाता नं: 02341032220001 ई-मेल: punjab@ucobank.co.in	मै. वीसीआरएम पेट्रोकेमिकल्स प्रा.लि.	927.57 लाख	श्रीमती नीशु गोयल	भौतिक कब्जा	प्लॉट नं.-डब्ल्यूजेड-बी-107, खसरा नं. 421, ग्राम सलेमपुर माजरा, मादीपुर, शकूरबस्ती, नई दिल्ली में निर्मित आवासीय सम्पत्ति	40 लाख 4 लाख	8.5.2019 शाखा प्रबंधक श्री मनमीत व्यास 9998414045	ज्ञात नहीं
कमला नगर शाखा, आईएफएससी कोड: UCBA0000063; ईएमडी खाता नं: 00631032220001 ई-मेल: kamlan@ucobank.co.in	श्री प्रेम प्रकाश	19.69 लाख	श्रीमती कविता रानी	भौतिक कब्जा	सम्पत्ति सं. 626, पॉकेट-1, सैक्टर ए-6, नरेला, दिल्ली	14.11 लाख 1.41 लाख	21.5.2019 शाखा प्रमुख श्रीमती जेसिका पी. चम्पानेरी, 9968704906	ज्ञात नहीं
कमला नगर शाखा, आईएफएससी कोड: UCBA0000063; ईएमडी खाता नं: 00631032220001 ई-मेल: kamlan@ucobank.co.in	जीतेन्दर	16.33 लाख	श्री जीतेन्दर एवं श्रीमती दीपा	भौतिक कब्जा	प्रथम तल, मकान सं. सी-2/10, पॉकेट नं. 2, ब्लॉक-सी, सेक्टर-16, दिल्ली-110089 में आवासीय फ्लैट	13.00 लाख 1.30 लाख	21.5.2019 शाखा प्रमुख श्रीमती जेसिका पी. चम्पानेरी, 9968704906	ज्ञात नहीं
शाहदरा शाखा, आईएफएससी कोड: UCBA0000608; ईएमडी खाता नं: 06081032220001 ई-मेल: sahada@ucobank.co.in	मोह. इसरार	6.19 लाख	श्री मोह. इसरार	भौतिक कब्जा	ऊपरी तल, फ्लैट नं.-12, प्लॉट नं. बी 118, शालीमार गार्डन मैन, जिला-गाजियाबाद (उ.प्र.) में आवासीय फ्लैट	3.00 लाख 0.30 लाख	23.10.2018 शाखा प्रमुख श्री रोहित भूषण सिंह, 9166524350	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें:
1. प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री आरक्षित मूल्य से कम में नहीं की जायेगी।
2. यह नीलामी बिक्री प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ उपरोक्त सम्पत्ति के समक्ष वर्णित समय (आईएसटी) के अनुसार 30.9.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 2.00 बजे अप. के बीच वेबसाईट https://ucobankeauctiontiger.net के माध्यम से 'ऑन लाइन ई-नीलामी/ बिक्री' होगी।
3. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में सम्पत्ति पर कोई अधिभार नहीं है। लेकिन, इच्छुक बोलीदाता अपनी बोली जमा करने से पूर्व नीलामी पर रखी गई सम्पत्ति के अधिभारों, टाइटल तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावे/अधिकारों/देयताओं के विषय में अपनी स्वतंत्र जाँच कर लें। यह ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी प्रतिबद्धता अथवा प्रतिनिधित्व को शामिल नहीं करता अथवा उसे शामिल करता हुआ नहीं माना जायेगी। सम्पत्ति की बिक्री बैंक को ज्ञात अथवा अज्ञात वर्तमान तथा भविष्य के सभी अधिभारों के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत क्रेडीटर किसी थर्ड पार्टी के दावे/अधिकारों/देयताओं के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।
4. यह उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा कि बोली जमा करने से पूर्व सम्पत्ति का निरीक्षण कर स्वयं को संतुष्ट कर ले। नीलामी पर रखी गई सम्पत्ति का निरीक्षण करने की अनुमति इच्छुक बोलीदाता को प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष वर्णित साईटों पर दी जायेगी।
5. उपरोक्त सम्पत्ति के लिए धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान कॉलम नं. 2 में वर्णित खाता सं. में क्रेडिट के लिए आरटीजीएस/ एनईएफटी/ निधि अंतरण द्वारा अथवा प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर द्वारा 27.9.2019 के 5.00 बजे अप. या उससे पूर्व किया जायेगा। कृपया ध्यान रहे कि ईएमडी राशि के लिये चेक्स नहीं स्वीकार किये जाएंगे। सम्पर्क नम्बर: श्री राम कुमार, मोबाईल नं. 8000023297 तथा श्री नीतीश झा (एम) 7982880393, ई-मेल आईडी: delhi@auctiontiger.net/support@auctiontiger.net तथा सम्पत्ति-संबंधी किसी भी पूछताछ के लिये सम्पर्क करें: श्री स्वागत गोयल, वरिष्ठ प्रबंधक, मो.: 9872582589
6. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया https://ucobank.auctiontiger.net में दी गई लिंक देखें।

यह प्रकाशन उपरोक्त ऋणधारकों/ गारन्टरों/ माटगेजरों के लिए 15 दिनों की सूचना है।
तिथि: 13.9.2019, स्थान: नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक

जनसत्ता

13 सितंबर, 2019

किसान की सुध

खेती-किसानी का सवाल पिछले काफी समय से देश की मुख्य समस्याओं में शुमार है। मगर खेती के लगातार घाटे का सौदा होते जाने और किसानों के निजी जीवन में खड़ी चुनौतियों का कोई ठोस हल नहीं निकाला जा सका है। अलबत्ता अमूमन सभी सरकारों ने हर मौके पर आश्वासनों और वादों की झड़ी जरूर लगाई, लेकिन किसानों की समस्याएं गहराती ही गईं। फसलों के समर्थन मूल्य के बरक्स खुले बाजार में उनकी कीमतों ने व्यापारियों का लाभ तो सुनिश्चित किया, लेकिन किसानों के हक में कुछ खास नहीं आया। यही वजह है कि किसानों के सामने कई बार गुजारे तक का सवाल एक बड़ी चुनौती बन गया। ऐसे में उनके लिए जो न्यूनतम मदद हो सकती थी, उस पर भी शायद कभी विचार नहीं किया गया। बल्कि खेती-किसानी को बढ़ावा और संरक्षण देने का दावा करने वाली सरकारों की प्राथमिकता में भी इस समस्या को जगह नहीं मिल सकी। नतीजतन, किसानों की मुश्किलें दिनोंदिन बढ़ती गईं। कृषि ऋण, फसलों की बर्बादी या खेती में घाटे से उपजे तनाव और दबाव की वजह से लाखों किसानों ने आत्महत्या तक कर ली।

सवाल है कि देश की अर्थव्यवस्था और आम जीवन को गति देने वाले कृषि क्षेत्र के जीवनदाताओं के प्रति सरकारों की अनदेखी की आखिर क्या वजह रही! खेती, फसलें, समर्थन मूल्य, उनकी खरीद आदि से अलग क्या निजी स्तर पर किसानों की मदद के लिए सामाजिक सुरक्षा की कोई योजना नहीं बनाई जा सकती थी, जो वृद्धावस्था या संकट के दौरान उनका सहारा साबित होती? इस लिहाज से मौजूदा केंद्र सरकार ने जिस किसान मानधन योजना की शुरुआत की गई है, वह अपने मूल स्वरूप में अमल में आ सकी तो किसानों को बड़ी राहत मिल सकेगी। यों इसकी घोषणा पहले हो चुकी थी, लेकिन गुरुवार को रांची में कई अन्य योजनाओं के साथ-साथ किसान मानधन योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को बुढ़ापे में मुसीबत में न जीना पड़े, यह पेंशन योजना उसकी गारंटी देगी। गौरतलब है कि किसानों को सामाजिक सुरक्षा का कवच देने वाली इस योजना के तहत साठ साल की उम्र के बाद लघु और सीमांत किसानों को तीन हजार रुपए पेंशन देने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्र के मुताबिक हर महीने एक निर्धारित रकम जमा करानी होगी। हालांकि कुछ खास सुविधाप्राप्त वर्ग के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।

यह किसी से छिपा नहीं है कि साठ साल की उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति सामाजिक रूप से किस अवस्था में रहता है और बहुत सारे लोगों के लिए परिवार पर निर्भरता कैसी स्थिति पैदा करती है। ऐसे में अगर हर महीने उन्हें एक निर्धारित रकम मिलती है, तो यह सेहत संबंधी और दूसरी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ उनके मान-सम्मान को बनाए रखने में भी मददगार हो सकती है। निश्चित रूप से लघु और सीमांत किसानों के निजी जीवन को खुशहाल और सम्मानजनक बनाने की दिशा में केंद्र सरकार का यह एक बड़ा कदम है। पर कर्ज सहित खेती की आम मुश्किलों के अलावा फसलों के मारे जाने या उनकी न्यूनतम लागत भी वसूल न हो पाने के बाद किसानों के सामने कैसी समस्या खड़ी होती है, यह एक जगजाहिर सवाल रहा है। इसलिए किसानों को सामाजिक सुरक्षा कवच मुहैया कराने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र के सामने खड़ी अन्य बड़ी चुनौतियों को दूर करने के लिए भी मजबूत इच्छाशक्ति के साथ ठोस पहलकदमी की जरूरत है।

सम्मान और उपहार

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहते आए हैं। इस बार अपनी ही पार्टी के एक नेता को फरसे से गर्दन काटने की धमकी देने की वजह से उनकी आलोचना हो रही है। हुआ यों कि खट्टर जन आशीर्वाद यात्रा करते हुए हिसार पहुंचे थे। उस रैली में किसी समर्थक ने उन्हें उपहार में फरसा भेंट किया। तभी दूसरे कार्यकर्ता ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाने की कोशिश की। इस पर खट्टर ने उसे धमकाते हुए कहा कि फरसे से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। उसके बाद खट्टर की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर घूमने लगा। हालांकि खट्टर ने कहा कि जिस सोने-चांदी के उपहार की परंपरा उन्होंने बड़ी मुश्किल से खत्म की थी, उसे फिर से जिंदा करने का कोई प्रयास करेगा तो क्रोध स्वाभाविक है। धमकी वाला यह वीडियो वायरल करने के पीछे उन्होंने कांग्रेस के नेताओं का हाथ बताया है। उनका कहना है कि कांग्रेस के नेता उन्हें इस तरह बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। बेशक खट्टर की मंशा साफ रही हो या उन्होंने मजाहिया अंदाज में वह धमकी दी हो, पर यह सवाल तो बना ही रहेगा कि सार्वजनिक मंचों से कुछ बोलते हुए वे सावधानी क्यों नहीं बरतते!

हालांकि खट्टर की इस धमकी को भले असंयमित व्यवहार के तौर पर देखा जा रहा हो, पर उन्होंने राजनीति में उपहारों के लेन-देन की जिस संस्कृति की ओर इशारा किया है, उसे भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। छिपी बात नहीं है कि राजनीति में बड़े पदों का निर्वाह करने वाले नेताओं को पार्टी के समर्थक, छोटे नेता, व्यापारी, सामाजिक संस्थाएं आदि सम्मानित करने के लिए या फिर किसी अवसर पर महंगे उपहार देते हैं। उनमें सोने-चांदी से बनी वस्तुएं, गाड़ी वगैरह भी शामिल होती हैं। यह प्रवृत्ति देशव्यापी और हर पार्टी में है। इस प्रवृत्ति पर लंबे समय से अंगुलियां उठती रही हैं। कई बड़े नेता उपहार में मिली अपनी वस्तुओं की नीलामी करके या उन्हें बेच कर उनसे मिली धन राशि को किसी सामाजिक कार्य में लगाते रहे हैं। हाल में प्रधानमंत्री ने भी ऐसा किया था। मगर महंगे उपहार लेने से गुरेज करते किसी नेता को कम ही देखा गया है। ऐसे में अगर खट्टर ने सोने-चांदी से बने उपहार लेने की परंपरा को व्यक्तिगत तौर पर रोकने का प्रयास किया है, तो उसकी सराहना होनी चाहिए। हालांकि यह देखने की बात है कि वास्तव में वे उसे व्यावहारिक तौर पर कितना अपनाते हैं।

पार्टियों के अध्यक्ष अपने नेताओं को सादगीपूर्ण जीवन जीने, आम लोगों के सामने अच्छा उदाहरण पेश करने की नसीहत अनेक मौकों पर देते देखे गए हैं, पर हकीकत यही है कि राजनेता आडंबरपूर्ण जीवन जीने की इच्छा का त्याग नहीं कर पाते। कई नेता अपने जन्मदिन या दूसरे मौकों पर महंगे उपहार इकट्ठा करने में गर्व महसूस करते हैं। सामान्य उपहार मिलने पर वे नाक-भौं सिकोड़ते भी देखे जाते हैं। फिर महंगे उपहार देकर बड़े नेताओं को रिझाने और उनसे अपने स्वार्थ साधने की परिपाटी भी राजनीति में बहुत पुरानी है। कई नेता किसी काम के बदले महंगे उपहार की मांग खुद भी करते हैं। खट्टर को जिस नेता ने चांदी का मुकुट पहना कर सम्मानित करने का प्रयास किया, बताते हैं कि वह हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट पाना चाहता है। इस प्रवृत्ति पर अंकुश तभी लगेगा, जब बड़े नेता उपहारों का मोह खुद छोड़ दें।

कल्पमेधा

बिना प्रशंसा किए किसी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है और बिना झूठ बोले किसी की प्रशंसा नहीं की जा सकती।

-डॉ जानसन

कब बंद होगी जल की बर्बादी

प्रदीप श्रीवास्तव

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हाल के आकलन के अनुसार देश में 351 नदियां प्रदूषित हैं। इनमें भी 45 प्रमुख नदियां बुरी तरह से प्रदूषित हैं, जो आने वाले सालों में नालों में तब्दील हो जाएंगी। यह तब है जब देश में पानी का कारोबार जोरों पर है। लगातार गिरते भूजल स्तर के कारण देश में पानी की भीषण किल्लत खड़ी हो रही है लेकिन सरकार अभी भी पानी के कारोबार पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। इसी का नजीजा है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक भूजल का दोहन करने वाला देश बन गया है।

मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ है इसलिए हमारा नदियों से गहरा रिश्ता है। दुर्भाग्य से आधुनिक जीवन शैली और सभ्यता दूरगामी परिणामों की जगह अल्पकालिक आवश्यकताओं पर ज्यादा ध्यान देती है, जिसका परिणाम है कि तालाब, झील, पोखर, नहर, नदियां आदि सभी प्रकार के जलस्रोत तेजी से सूख रहे हैं। पानी देने वाले हिमालय क्षेत्र में भी जल संकट पैदा होने लगा है। शिमला, मसूरी व नैनीताल जैसी जगहों पर पर्यटकों को जाने से रोकना पड़ रहा है। पानी को अंधाधुंध तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। इसमें न सिर्फ नागरिकों की गलती है, बल्कि हमारे नीति निर्माता भी आने वाले जल संकट की गंभीरता को पूरी तरह से नहीं समझ रहे हैं जबकि जीवन शैली में थोड़ा-सा बदलाव भी जल संकट को काफी कम कर सकता है। हालात को देखते हुए सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर जल संचयन को लेकर काम भी शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने जल शक्ति मिशन के तहत जल संचयन को लेकर कई अल्पकालिक व दूरगामी योजनाएं तैयार की हैं। इनमें वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर तालाबों के अतिक्रमण को दूर करने तक की योजनाएं हैं। लेकिन ये योजनाएं भी तभी सफल हो सकती हैं, जब जनता को जागरूक करके इनमें उसकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

यहां गौरतलब है कि हमारे देश में 1951 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5,177 घनमीटर थी, जो 2011 में घट कर कर मात्र 1,545 घन मीटर रह गई है। जानकारों की मानें तो आने वाले समय में जल की उपलब्धता बहुत तेजी से कम होनी है। सरकार का भी आकलन है कि 2025 तक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता घटकर 1,341 घनमीटर और 2050 तक 1,000 घनमीटर के आसपास हो जाएगी। इसके बावजूद सरकारों का ध्यान हर घर में नल लगाकर पानी को बर्बाद करने पर है।

ये हालात तब पैदा हुए हैं जब नदियों को हमारे समाज में मां का दर्जा दिया गया है। देश में दस हजार से ज्यादा नदियां हैं। तालाब, पोखर, बावड़ी, कुएं आदि प्राकृतिक जल स्रोतों की संख्या लाखों में है। देश में हर साल करीब चार हजार अरब घनमीटर तक वर्षा होती है लेकिन वर्षा जल संचयन की संस्कृति हमने विकसित नहीं की है नतीजतन, 85 प्रतिशत से अधिक जल व्यर्थ बह जाता है। पानी की उपलब्धता कम होने की सबसे बड़ी वजह विकास के नाम पर नदी, तालाबों, कुओं आदि जलस्रोतों को पाट कर अधिकांश हिस्सों पर रिहायशी कॉलोनियां बना देना है। शहरों में जिस तरह से तालाब और झील गायब हो रहे हैं, उससे भी संकट बढ़ा है। पानी रिचार्ज नहीं हो रहा है जबकि दूसरी ओर हम पानी का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। चेन्नई और मुंबई जैसे समुद्र किनारे बसे शहरों की हालत देखिए। एक ही बारिश में वे जलमग्न हो जाते हैं क्योंकि हर प्रकार के जलस्रोतों को पाट दिया गया है, जिससे न पानी रिचार्ज होता है और ही न बह कर समुद्र में जा पाता है।

सूखते तालाबों और नदियों के कारण जल संकट बढ़ा तो बोरवेल, हैंडपंप, नल आदि से भूजल का दोहन शुरू हो गया। इससे देश में औसतन हर साल भूजल स्तर 0.3 मीटर नीचे जा रहा है। यमुना किनारे बसे आगरा की स्थिति यह है कि यमुना का पानी पीने योग्य नहीं है। आगरा में जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए वाटर रिचार्ज व हार्वेस्टिंग पर कार्य कर रही संस्था सेंटर फॉर अरबन एवं रीजनल एक्सेलेंसी (क्योर) ने सरकार के साथ मिलकर कुछ प्रयोग किए हैं। कालिंदी विहार मुहल्ला यमुना नदी से करीब एक किलोमीटर के दायरे में है लेकिन यहां दो सौ फीट पर भूजल है। वह पानी भी पीने योग्य नहीं है। एक सरकारी स्कूल में पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाया गया, जिससे स्कूल के 200 बच्चों, मिड डे मील व दूसरे सभी कार्यों के लिए साल भर तक पानी की जरूरत पूरी हो जाती है। यहां एक सीजन में करीब 72 हजार लीटर पानी संचयन किया जाता है। हर सीजन में पानी को साफ करने और ज्यादा पीने लायक बनाने के लिए 1.5 किलोग्राम फिटकरी, 3 किलोग्राम चीनी व दो किलोग्राम नमक मिलाया जाता है। करीब पांच सालों से स्कूल ने बाहर से पानी नहीं लिया। यह बहुत ही कारगर है, लेकिन सरकारी व्यवस्था इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है।

वाटर रिचार्ज और वाटर हारवेस्टिंग जैसी पद्धतियों पर भी समाज व सरकार का कम ध्यान है, जिससे हम पानी का उपयोग तो कर लेते हैं लेकिन उसे वापस पृथ्वी को देते नहीं हैं। हालत यह है कि घरेलू उपयोग में भी

हम करीब 80 फीसद पानी की बर्बादी कर देते हैं, जबकि थोड़ी-सी जानकारी व व्यवहार संबंधी आदतों में बदलाव करके हम बर्बाद होने वाले पानी को बचा सकते हैं। पानी की बर्बादी के कारण ही भारत जल तनाव (वाटर स्ट्रेस्ड) वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो चुका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हाल के आकलन के अनुसार देश में 351 नदियां प्रदूषित हैं। इनमें भी 45 प्रमुख नदियां बुरी तरह से प्रदूषित हैं, जो आने वाले सालों में नालों में तब्दील हो जाएंगी। यह तब है जब देश में पानी का कारोबार जोरों पर है। लगातार गिरते भूजल स्तर के कारण देश में पानी की भीषण किल्लत खड़ी हो रही है लेकिन सरकार अभी भी पानी के कारोबार पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। इसी का नजीजा है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक भूजल का दोहन करने वाला देश बन गया है। दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर अमेरिका है।

देश में करीब छह हजार कंपनियां ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्स से पंजीकृत हैं जो पानी के कारोबार से जुड़ी हैं। ये कंपनियां पानी तो निकालती हैं लेकिन उसकी भरपाई के लिए कोई कार्य नहीं करतीं। आंकड़ों के अनुसार एक कंपनी हर घंटे औसतन 5 हजार लीटर से 20 हजार लीटर तक पानी निकाल लेती है। पानी निकालने व साफ करने की पूरी प्रक्रिया में करीब 35 फीसद पानी बर्बाद भी हो जाता है। लेकिन फिर भी यह उद्योग हर साल 15 फीसदी की दर से बढ़ रहा है।

आरओ का पानी भले ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो लेकिन पानी को साफ करने की पूरी प्रक्रिया बहुत ही खराब है। यह पानी तो साफ करती है, लेकिन करीब 70 फीसदी पानी बर्बाद भी करती है, जिसका पीने के अलावा दूसरे कामों में प्रयोग कर सकते हैं। मोटे अनुमान के अनुसार एक आरओ एक लीटर पानी साफ करने की प्रक्रिया में तीन लीटर पानी बर्बाद करता है। पानी की बर्बादी के कारण ही पिछले आठ सालों में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता में 70 प्रतिशत की कमी आ चुकी है। केंद्रीय जलशक्ति मिशन के अनुसार अकेले दिल्ली में 1.1 बिलियन करोड़ लीटर पानी सीवेज बन जाता है। हालत यह है कि 2022 तक दिल्ली में पीने के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसके अधिकतर इलाके डार्क जोन में तेजी से तब्दील हो रहे हैं।

देश में घरेलू उपयोग के लिए केवल छह प्रतिशत और उद्योगों के लिए पांच प्रतिशत पानी की जरूरत होती है, जबकि 89 प्रतिशत पानी का उपयोग कृषि द्वारा किया जाता है। हम कृषि में पानी की खपत को रातोंरात तो कम नहीं कर सकते लेकिन बढ़ते जल संकट को देखते हुए कुछ तात्कालिक उपाय करने चाहिए। जैसे, कृषि क्षेत्र में ऐसी फसलें उगाई जाएं जो पानी कम सोखती हैं। इसके अलावा ऐसी फसलों पर अनुसंधान और नए बीज भी तैयार किए जा सकते हैं, जो भविष्य में कम पानी में अधिक पैदावार दे सकती हों। जल संकट से निपटने का सबसे कारगर तरीका वर्षा जल का संचयन करना है। वर्षा जल न सिर्फ आरओ के पानी से ज्यादा लाभदायक है, बल्कि मुफ्त भी है। देश की बड़ी कंपनियां अपने भवनों में वर्षा जल संचयन के लिए रेन वाटर रिचार्जिंग सिस्टम लगाने लगी हैं, लेकिन अभी भी व्यापक स्तर पर इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग (वर्षा जल संग्रहण) और रेन वाटर रिचार्जिंग (वर्षा जल पुनर्भरण) ऐसी प्रणाली है, जिससे पानी की बर्बादी नहीं के बराबर होती है। साथ ही हम अपने जल स्रोतों का दोहन भी कम कर देते हैं।

निज भाषा की जगह

अतुल चतुर्वेदी

दुनिया मेरे आगे

आज की युवा पीढ़ी को जब भाषिक थिगड़े लगा कर बोलते हुए देखता हूं तो कई बार मन बहुत दुखी होता है। जानकारी के क्षेत्र में भले ही वे पुरानी पीढ़ी से आगे हों, लेकिन भाषागत रूप से उनके पास न केवल शब्दों की कमी है, बल्कि वैचारिकता का भी भारी अभाव है। कुछ साल पहले प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के एक शिविर को व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से संबोधित करने का कुछ दिन तक अवसर मिला। मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि उन मेधावी विद्यार्थियों से जब साफ-सफाई के लिए एक पत्र प्रशासन के नाम लिखने को कहा गया तो उनके लिखे में हिज्जे और वाक्य विन्यास की काफी गलतियां थीं। जब बातचीत की गई तो पता चला कि उन्होंने पाठ्यक्रम के अलावा बरसों से कोई अन्य पुस्तक नहीं पढ़ी है, जिसमें साहित्य की किसी कृति को पढ़ने का तो प्रश्न ही नहीं। एक समर्थ भाषा का निरंतर ज्ञान और अध्ययन न केवल आपको संवेदनशील बनाता है, बल्कि अनुभव को व्यक्त करने लायक उपयुक्त शब्दावली भी देता है। उन शब्दों के माध्यम से कल्पना शक्ति को पंख लगते हैं।

दरअसल, भाषा न केवल संस्कृति का सेतु है, बल्कि हमारी परंपराओं और समृद्ध विरासत से भी हमें जोड़ती है। यही कारण है कि आज हिंदी की अशुद्धियों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। वैवाहिक महंगे कार्ड में भाषिक त्रुटियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि हमारा अवसरवादी मध्य वर्ग अंग्रेजी में कार्ड छपवा कर खुद को धन्य समझता है। आप संसार की जितनी भी समर्थ भाषाएं सीखें, कोई गुरेज नहीं है, लेकिन यह अपनी मातृभाषा की उपेक्षा की कीमत पर नहीं होना चाहिए। हिंदी के चैनलों पर भाषिक अशुद्धि से लबरेज पट्टियां चलती रहती हैं। महाविद्यालय, विद्यालय, कार्यालय, आयोजन जैसे शब्द तो लगभग गायब हो गए हैं। वहां 'इवेंट', 'फेयर' और 'मेगाफेयर' जैसे उपभोक्तावादी शब्दों ने जड़ें जमा ली हैं। नतीजतन, युवा पीढ़ी में भारतीय समाज की विसंगतियों और समस्याओं को समझने की सामर्थ्य नहीं पैदा हो रही है। वे अंग्रेजीदां नजरिए से देश को देख रहे हैं। यही कारण है कि मूल्यहीनता सर्वत्र हावी है। हिंदी को बाजार ने तो अपना लिया है, लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थों और माल बेचने की दृष्टि से। हिंदी पेट की भाषा आज तक नहीं बन सकी। हालांकि बेहतर और समर्थ हिंदी बोलने और लिखने वालों की आज भी भारी मांग है।

कुछ राजनीतिक स्वार्थों के लिए हिंदी का बीच-बीच में विरोध भी किया जाता रहा है, लेकिन आज वैश्विक रूप से हिंदी का परचम फहरा रहा है। एक सरल और सहज वैज्ञानिक भाषा के रूप में हिंदी आज अत्यंत समृद्ध भाषा है। बस जरूरत है तो मात्र स्वाभिमान और चेतना के साथ उसके प्रयोग, व्यवहार और उन्नयन के लिए सार्थक प्रयासों की। आज हिंदी के लगभग पचास करोड़ इंटरनेट प्रयोक्ता विश्व भर में हैं। हिंदी के लाखों ब्लॉग और सैकड़ों पत्रिकाएं उपलब्ध हैं जिन पर प्रतिदिन लाखों हिट होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और याहू जैसी कंपनियों को हिंदी में सॉफ्टवेयर बाजार की मांग को देखते हुए उतारने पड़े हैं।

जरूरत है तो विज्ञान और तकनीकी जैसे विषयों पर हिंदी के तंग हाथ को खोलने की। आज हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी और गुणाकर मुले जैसे लेखकों की आवश्यकता है, जिन्होंने विज्ञान और साहित्येतर विषयों के द्वार भी हिंदी के लिए खोले थे। एक अनुमान के अनुसार हिंदी के पास लगभग पच्चीस लाख शब्दों की विराट संपदा है, जिससे वह अपनी प्राणवायु पाती है। विश्व के छह सौ विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। तब हिंदी को लेकर हमारे तथाकथित नव धनाढ्य वर्ग में कैसा संकोच विद्यमान है, यह शोचनीय है?

आज अनुवाद की जटिल हिंदी ने ही हिंदी के प्रचार और प्रसार के अभियान को रोका है। विज्ञान में विभवांतर, परासरण दाब, विवर्तन और व्यतिकरण जैसे भारी-भरकम शब्द हिंदी को दुरूह बना रहे हैं। अगर उनके साथ-साथ पाठ्यक्रमों की पुस्तकों में साथ में प्रचलित अंग्रेजी शब्द भी दे दिए जाएं या इन हिंदी अनूदित शब्दों का एक उच्च स्तरीय समिति सरलीकरण कर सके, तो यह हिंदी के प्रचार-प्रसार अभियान पर महती कृपा होगी। हिंदी को हम व्यवहार की भाषा बनाएं, जटिल और किताबी भाषा नहीं। उसे अपनी बोलियों से लड़ाएं नहीं, बल्कि उनके शब्दों को नई ऊर्जा देकर उसे मूल भाषा से जोड़ें तो हमारी बोलियां भी बची रहेंगी। हिंदी को उसकी बोलियों से विरत करने, उसे संकुचित करने और बोलियों को भाषा बनाने की यह महत्त्वाकांक्षा आखिरकार हिंदी का ही नुकसान करेगी। हिंदी की यह चुनौती घरेलू स्तर पर उन अड़तीस बोलियों से भी होगी, जो भाषिक दर्जा प्राप्त करने के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची का दरवाजा खटखटा रही हैं। इससे न केवल हिंदी का दायरा संकुचित होगा, बल्कि उसका फायदा अंग्रेजी को मिलेगा। हमारे पढ़े-लिखे मध्यम वर्ग को हिंदी को लेकर अपने दोहरे आचरण को छोड़ना पड़ेगा और उसे एक समर्थ, जीवंत संपर्क भाषा के रूप में आत्मसात करना पड़ेगा।

चौपाल

साइबर ठगी

हमारे देश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगभग हर रोज देश के किसी न किसी कोने में लोगों के साइबर ठगी या चोरी का शिकार होने के समाचार पढ़ने-सुनने को मिलते हैं। यहां तक कि साइबर ठग देश की जानी-मानी हस्तियों को भी बेखौफ होकर अपना निशाना बना रहे हैं। कुछ समय पहले पंजाब के मुख्यमंत्री की पत्नी, जो सांसद भी हैं, के साइबर ठगी की शिकार होने की खबर आई थी। साइबर चोरों ने उनके खाते में सेंध लगाकर लगभग तेईस लाख की राशि चुरा ली, हालांकि बाद में पुलिस उन मुजरिमों तक पहुंच गई। पुलिस और साइबर क्राइम ब्रांच ने इस मामले में चुस्ती दिखाई, क्योंकि यह वीवीआइपी से जुड़ा मामला था। पुलिस और साइबर क्राइम सेल को इस मामले में की गई कार्रवाई की तरह दूसरे और आम लोगों के साथ हुए हर छोटे-बड़े साइबर अपराध की घटनाओं में भी चुस्ती दिखानी चाहिए ताकि देश में बढ़ती साइबर ठगी पर नकेल कसी जा सके।

हैरानी की बात तो यह है कि पढ़े-लिखे लोग भी साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं जबकि उन्हें तो देश में बढ़ती साइबर ठगी रोकना और इसके प्रति अशिक्षित लोगों को जागरूक करना चाहिए। साइबर ठग लोगों को लालच या पैसे दोगुने करने का झांसा देकर उनके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी मांग कर जालसाजी करने की कोशिश करते हैं। कुछ ठग तो लोगों को फोन करके उनका बैंक खाता या एटीएम कार्ड बंद होने की बातों में उलझा कर और खुद को बैंक अधिकारी बताकर खाते, एटीएम, क्रेडिट कार्ड आदि की जानकारी पूछ लेते हैं। जो लोग इनके झांसे में आकर यह जानकारी दे देते हैं, वे ठगी का शिकार हो जाते हैं जबकि कोई भी बैंक फोन पर किसी के खाते या कार्ड की जानकारी पाने के लिए फोन नहीं करता।

साइबर ठगों का शिकार होने से बचने के लिए लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा और दूसरों को भी करना पड़ेगा। इसका सभी को खयाल रखना चाहिए कि अपना क्रेडिट, डेबिड कार्ड, इनके सीवीवी और ओटीपी किसी को भी न दें। अगर किसी धोखाधड़ी की शिकायत साइबर क्राइम ब्रांच में कोई करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि साइबर चोरों को संभलने का मौका न मिले। बैंक भी अपनी कार्यप्रणाली को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनाएं, खासतौर पर रकम के ऑनलाइन लेन-देन के लिए।

● *राजेश कुमार चौहान, जालंधर*

अपनी भाषा

हम हर वर्ष धूमधाम से हिंदी दिवस मनाते हैं लेकिन यह महज औपचरिकता बन कर रह गया है। इस अवसर पर हम पूरे दिन हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और लोगों को हिंदी अपनाने के उपदेश देते रहते हैं लेकिन अगली सुबह हमारी शुरुआत अंग्रेजी से होने लगती है। बच्चों से लेकर बड़े तक अंग्रेजी बोलने, लिखने, पढ़ने में गर्व समझते हैं और हिंदी को एक हेय व पिछड़ी भाषा के तौर पर देखा जाता है। कैसी विडंबना है कि जिसमें कभी हमारी संस्कृति-सभ्यता की झलक दिखती थी वह आज महज औपचारिक भाषा है।

अफसोस की बात है कि आजादी के सात दशक बाद भी हिंदी को देश में केवल राजभाषा का दर्जा प्राप्त है जबकि हमारी संस्कृति-सभ्यता को संजो कर रखने के लिए उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए।

● *मनकेश्वर महाराज 'भट्ट', मधेपुरा, बिहार*

सुरक्षा सर्वोपरि

लोकतांत्रिक देशों की सरकारें अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए प्रगति संबंधी आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती हैं। बहरहाल, अन्य मामलों में तो इतना फर्क नहीं पड़ता लेकिन जब ऐसे आंकड़े रक्षा संबंधी तैयारियों के होते हैं तो इसमें सावधानी बेहद जरूरी है। एक समय था जब ऐसे गुलाबी आंकड़ों से शत्रु देशों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में मदद मिलती थी लेकिन वह वक्त कभी का बीत चुका है। आज सभी देश एक-दूसरे की रक्षा शक्ति और जरूरतों को भली-भांति जानते हैं। नतीजतन, अब अपनी जनता को तो बहकाया जा सकता है पर दुश्मनों को कतई नहीं। इसका एक दूसरा पक्ष भी है। लोकतांत्रिक देशों की चुनी हुई किसी भी सरकार में गपोड़शंखों की संख्या अधिक होती है। ये गाल बजाना तो जानते हैं पर इन्हें वस्तुस्थिति का कोई ज्ञान नहीं होता। सभी तरह की सूचनाओं के लिए ये अपनी नौकरशाही पर निर्भर रहते हैं।

नौकरशाही में महत्त्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्त अधिकारी यदि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन देश के प्रति निष्ठा रखते हुए ईमानदारी से करते हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं लेकिन अगर वे सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में यकीन करते हैं तो अक्सर वे अपनी उपलब्धियां नेताओं को बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं। यह स्थिति भयावह हो सकती है और देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। जरूरत इस बात की है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी प्रमुख लोग ऐसे अधिकारियों से सावधान रहें और उनकी उपलब्धियों का समय-समय पर आकलन करते रहें।

● *सुभाष चंद्र लखेड़ा, द्वारका, नई दिल्ली*

अधिनियम का उपहास

मोटर वाहन अधिनियम 2019 के प्रावधान लागू होते ही इसके उल्लंघन पर जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ गई है। इस बढ़ी हुई राशि से जहां आम वाहन चालकों में खौफ की स्थिति बनी हुई है वहीं कानून का पालन कराने वाले और इसके रक्षक खुद इन नियमों को न मान कर न केवल इस अधिनियम का बल्कि आम वाहन चालकों का भी उपहास उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। रोज ही अनेक समाचार चैनलों पर ये कानून के रखवाले अनेक नियमों को बेशर्मी से तार-तार करते नजर आ रहे हैं क्योंकि कानून तो इनकी मुट्ठी में है ना! होना तो चाहिए कि ये स्वयं भी कानून का पालन करते दिखाई देकर एक आदर्श मिसाल कायम करते। आम नागरिक से जरा चूक होने पर ये उनसे कैसा व्यवहार करते हैं, सभी को पता है। नए मोटर वाहन कानून में आम नागरिकों को भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देने का कुछ न कुछ प्रावधान होना ही चाहिए था ताकि कानून पालन में दोनों के बीच अंतर स्थापित न हो सके।

● *सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी, दिल्ली*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

नई फिल्म

- ड्रीम गर्ल
- सेक्शन 375
- वी फॉर विक्टर

बॉक्स ऑफिस

फिल्म	कुल कमाई
साहो	247.5 करोड़
मिशन मंगल	197.37 करोड़
बाटला हाउस	86.53 करोड़
छिछोरे	54.13 करोड़

12 सितंबर तक की कमाई

जन्मदिन

- महिमा चौधरी 13 सितंबर
- आयुष्मान खुराना 14 सितंबर
- शबाना आजमी 18 सितंबर
- लकी अली 19 सितंबर

पति के साथ खूब जम रही है : सोनम कपूर

आरती सक्सेना

बीते साल कारोबारी आनंद आहूजा से शादी करने वालीं सोनम कपूर इन दिनों फिल्मों में ज्यादा वक्त दे रही हैं। वे अपनी नई फिल्म 'जोया फैक्टर' को लेकर बहुत उत्साहित हैं, जो अनुजा चौहान के उपन्यास पर आधारित है। सोनम कपूर ने इस फिल्म के साथ अपने करिअर और व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में खुलकर बातचीत की।

सवाल–'जोया फैक्टर' में आपको ऐसा क्या नजर आया, जिसके कारण आप इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हुईं। इस प्रोजेक्ट के किस पहलू ने आपको आकर्षित किया?

● मुझे इस फिल्म की कहानी के साथ ही इसकी टीम ने आकर्षित किया। मेरे लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि मैं किन लोगों के साथ काम कर रही हूं। यह वैचारिक तालमेल की बात है। अगर मुझे किसी के साथ काम करना अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं काम कैसे कर पाऊंगी? लिहाजा मेरे लिए कोई फिल्म साइन करने से पहले यह बात बहुत ज्यादा महत्त्वपूर्ण होती है कि मैं किन लोगों के साथ काम कर रही हूं। यह एक हल्की-फुल्की साफ-सुथरी इमोशनल रोमांटिक फिल्म है। लंबे समय से मैंने ऐसी फिल्म नहीं की थी। फिर इसकी कहानी भी मुझे दिलचस्प लगी थी।

सवाल–'जोया फैक्टर' में आपका किरदार कैसा है?

● फिल्म में मेरा किरदार एक खुशमिजाज लड़की का है, जिसका नाम जोया सोलंकी है। वह अपने को अनलकी मानती है क्योंकि न तो उसकी लव लाइफ अच्छी है, न ही नौकरी। उसे लगता है कि वह दुनिया की सबसे अनलकी लड़की है। बाद में पिता उसे बताते हैं कि वह जब पैदा हुई थी, उसी दिन 1983 में इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। इस हिसाब से वह क्रिकेटर्स के लिए लकी चार्म है। यह बात किसी तरह क्रिकेटर्स तक पहुंच जाती है। आगे बहुत दिलचस्प घटनाएं घटती हैं और इस तरह कहानी आगे बढ़ती है।

आमने सामने

सवाल–'जोया फैक्टर' में जोया का किरदार आपने सहजता से निभा लिया या इसके लिए कुछ खास तैयारी करनी पड़ी?

● मुझे जोया का किरदार निभाने के लिए अपना वजन बढ़ाना पड़ा, जो अब मैं फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद कम करने में लगी हूं। इस किरदार के लुक पर भी मुझे काम करना पड़ा। मैंने अपने बाल पर्मिंग किए। इस दौरान कुछ बाल बाल जल भी गए थे।

सवाल–आपके पिता का मानना है कि आप उनके लिए लकी हैं। पिता के बाद अब पति के लिए आप कितनी लकी हैं? शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है?

● पापा का मानना है कि मैं उनके लिए लकी हूं। पति के लिए लकी हूं कि नहीं यह तो आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा। मगर मैं खुश हूं कि मुझे आनंद जैसा पति मिला। मैं तो अपने पति को बुद्ध कहती हूं, क्योंकि वे बहुत शांत हैं। कभी गुस्सा नहीं करते। उलटे कई बार मैं ही आपा खो देती हूं। वे अपने काम के प्रति समर्पित हैं। पति के साथ खूब जम रही है।

सवाल–आपकी पिछली फिल्में 'नीरजा', 'संजू', 'भाग मिल्खा भाग' ,'पेडमैन','रांझणा' सफल रहीं। आप कहानी में क्या देखती हैं?

● मेरी हर फिल्म में कोई ना कोई संदेश होता है। पैडमैन को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। 'भाग मिल्खा भाग', 'नीरजा', 'संजू' सभी फिल्मों मे एक सीख थी। मेरा मानना है कि कहानी दमदार होनी चाहिए, आपका रोल छोटा होगा तो भी चलेगा।

सवाल–'जोया फैक्टर' में कहीं अंधविश्वास भी है। जैसे लकी चार्म, लक फैक्टर आदि। आप इन बातों में विश्वास करती हैं?

● हम भारतीय भाग्य जैसी बातों में बहुत विश्वास करते हैं। हमें सिखाया जाता है कि शनिवार को काला कपड़ा मत पहनो, बिल्ली रास्ता काट गई तो अपशगुन हो गया आदि। मैं भी कुछ हद तक इनमें विश्वास करती हूं। जैसे जब मैं कार मै बैठती हूं या घर से बाहर निकलती हूं तो ओम नम शिवाय बोल कर निकलती हूं। मुझे लगता है लाल रंग मेरे लिए लकी है।

सवाल–कहते है प्यार इंसान को खूबसूरत बना देता है। आप पहले से खूबसूरत है, प्यार ने आपको कितना बदला है?'

● यह सच है कि जब हम किसी से प्यार कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक अलग-सी चमक आ जाती है। शायद यह चमक प्यार की होती है। मै पहले से ज्यादा सुंदर हुई हूं कि नहीं यह मैं अपने मुंह से तो नहीं कह सकती। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि हर इंसान को जिंदगी में एक बार प्यार जरूर करना चाहिए और शादी भी करनी चाहिए। क्योंकि प्यार और किसी का साथ आपको जीने का मकसद देता है।

कैटवाक

न्यूयार्क में बुधवार को एक फैशन शो में बेडग्ले मिचाका के कलेक्शन को रैंप पर प्रस्तुत करतीं मॉडल।

गीत गोविंद की पेशकश

शशिप्रभा तिवारी

नृत्योत्सव

कवि जयदेव की कृति गीत गोविंद हर क्लाकार को अपनी ओर आकर्षित करती है। गीतगोविंद में राधा और कृष्ण के मनोभावों का सुंदर साहित्य है। इसमें राधा को मानिनी नायिका और कृष्ण को समर्पित प्रेमी के तौर पर चित्रित किया गया है। इन भावों ने कथक के नर्तक डॉ मधुकर आनंद को कभी गहरे स्पर्श किया होगा। तभी उन्होंने इसे नृत्य में पिरोया होगा। उनकी इस परिकल्पना को उनकी शिष्या नम्रता राय, नर्तक विशाल कृष्ण और साथी नृत्यांगनाओं ने कमानी सभागार में पिछले दिनों पेश किया।

पंडित विनय मोहन शर्मा ने गीत गोविंद का हिंदी अनुवाद किया था। प्रबंध काव्य के हिंदी अनुवाद पर आधारित नृत्य रचना गीत गोविंद आधारित थी। संवाद, गीत और नृत्य के जरिए नायक कृष्ण और नायिका राधा के भावों को दर्शाया गया। नृत्य रचना के आरंभ में गीत मेघ भरित अंबर तरू तमाल की छाया के साथ क्लाकारों का मंच पर प्रवेश होता है। समूह नृत्य को नया विस्तार रचना चारू चरित वाणी के चित्रित मन मंदिर हैं जिसके पर किया गया। अगले अंश में विष्णु के दशावतार का चित्रण पेश किया गया। अष्टपदी प्रलय पयाधि जले जय जगदीश हरे पर आधारित इस पेशकश में कथक नर्तक विशाल कृष्ण ने दशावतारों को हस्तकों व भंगिमाओं के जरिए दर्शाया। इसके साथ, अन्य नृत्यांगनाओं ने नृत्य को विस्तार दिया। इस अंश में गत निकास, पलटे, तिहाइयों व चक्रदार तिहाइयों का प्रयोग सुंदर था।

नायिका राधा के विरह भावों को अगले अंश में दर्शाया गया। इसके लिए अष्टपदी ललित लवंग लता परिशीलम और गीत नाचते हैं हरि सरस अधीर का चयन किया गया। एक ओर नृत्यांगना नम्रता राय नायिका राधा के कृष्ण से मिलने के उलिग्न भावों को दर्शा रहीं थीं, वहीं दूसरी ओर नर्तक विशाल नायक कृष्ण गोपियों के साथ मधुवन में रास करते नजर आते हैं। यहीं, अगले दृश्य में सखी से निवेदन करती है कि वह उन्हें कृष्ण के पास ले चलें। इन भावों को दर्शाने के लिए रचना ले चलो उन कुंजों में का प्रयोग किया गया। इसी क्रम में कृष्ण के विरह भावों को नर्तक विशाल अभिनय के जरिए निरूपित करते हैं। इसके लिए गीत जग बंधन संप्राणों की मानिनी राधा को का चयन प्रभावकारी था। वहीं गीत यमुना तीरे बैठे यदुवंशी, छलकहिं अनुराग अधरहिं, हे माधव हे कमललोचन के जरिए राधा व कृष्ण के अलग-अलग भावों को नर्तक विशाल व नर्तकी नम्रता दर्शाते हैं। यही बतौर अभिसारिका नायिका राधा को दर्शाया जाता है। गीत चली राधा फिर उपवन में के जरिए इन भावों को चित्रित किया गया। मानिनी राधा को अगले अंश में कृष्ण मनाते हुए, नजर आते हैं। इसके लिए गीत प्रिये चारूशीले तजो मान का चयन किया गया।

कलाकारों का यह प्रयास सराहनीय है। पर कोरियोग्राफी के अंतिम अंश में थोड़ा फिल्मी असर दिखने लगा। लेकिन, कुलमिलाकर उनका आपसी संयोजन और तालमेल बढ़िया था। कई बार कथक नृत्य की प्रस्तुतियों में क्लाकारों की तैयारी और रियाज में कमी दिखती है। पर गीतगोविंद की पेशकश में क्लाकारों ने पूरी मेहनत और लगन से रियाज की थी, यह साफ नजर आ रहा था। पंडित उदय मजूमदार का संगीत मधुर था। पर संवाद के स्वर कहीं-कहीं बहुत कर्णप्रिय प्रतीत नहीं हुए। साथ ही, अन्य कलाकारों की अपेक्षा विशाल कृष्ण का नृत्य काफी प्रभावी था। कथक नृत्यांगना नम्रता ऐसे ही अन्य प्रयास करती रहेंगीं, ऐसी उम्मीद की जा सकती है।

मुनव्वर सुलताना (8 नवंबर, 1924- 15 सितंबर, 2007)

'अफसाना लिख रही हूं दिले बेकरार का...'

गणेशनंदन तिवारी

हमारी याद आएगी

फिल्मजगत की चकाचौंध से बहुत कम ही लोग बच पाते हैं। ऐसे में अगर फिल्मों में सफलता मिल जाए तो फिर फिल्मों से दूर रहना मुश्किल हो जाता है। मुमताज, नीतू सिंह, श्रीदेवी से लेकर माधुरी दीक्षित तक ने शादी के बाद फिल्मों में वापसी की। वहीं कुछ ऐसी अभिनेत्रियां भी रही हैं, जिन्होंने शादी के बाद फिल्मों को अलविदा कहा, तो फिर पलट कर देखा नहीं। ऐसी अभिनेत्रियों में से एक थीं मुनव्वर सुलताना, जिन पर फिल्माया गाना 'अफसाना लिख रही हूं...' एक जमाने में खूब लोकप्रिय हुआ था। सुलताना की रविवार, को 12वीं पुण्यतिथि है।

कुछ हीरोइनें शादी के बाद पारिवार को प्राथमिकता देते हुए कुछेक साल फिल्मों से दूरी बना लेती हैं। एक ब्रेक लेती हैं और फिर कुछ समय बाद फिल्मों में वापसी करती हैं। जैसे मुमताज से लेकर नीतू सिंह और श्रीदेवी लेकर माधुरी दीक्षित ने यही किया। कभी कभी यह ब्रेक लंबा हो जाता है। जैसे बेगम पारा (दिलीप कुमार के भाई नासिर खान की अभिनेत्री पत्नी और अभिनेता अयूब खान की मां) ने पचास साल फिल्मों से दूर रहने के बाद संजय लीला भंसाली की फिल्म 'सांवरिया' में सोनम कपूर की दादी की भूमिका की थी।

कुछ अभिनेत्रियों ने शादी के बाद फिल्मों को पूरी तरह अलविदा कह दिया। ऐसा नहीं है कि उन्हें फिल्मों के प्रस्ताव नहीं मिले। जैसे वैजयंतीमाला को शादी के बाद फिल्मों में वापस लाने के लिए राज कपूर, गुलजार, यश चोपड़ा जैसे फिल्मकारों ने खूब कोशिशें की थीं। नरगिस, बबीता, टीना मुनानी से लेकर मीनाक्षी शेषाद्रि ने शादी के बाद फिल्में छोड़ीं, तो फिर वापसी नहीं की। मुनव्वर सुलताना डॉक्टर बनना चाहती थीं। संयोग से फिल्मों में आईं। लाहौर में पैदा हुई सुलताना ने 'खजांची' (1941) में एक छोटी-सी भूमिका की थी। उन्हें बड़ा मौका दिया था मजहर खान ने, जो फिल्मी ग्लैमर के मारे थे। बरेली में पैदा हुए खान ने कानून की पढ़ाई के लिए पुलिस अफसरी छोड़ दी। फिर कानून की पढ़ाई अधूरी छोड़ी और 1921-22 में फिल्मों में आ गए। 20 साल एक्टिंग करने के बाद 1942 में अपनी फिल्म कंपनी बनाई और 1945 की 'पहली नजर' में मुनव्वर को मौका दिया, जिसका गाना 'दिल जलता है तो जलने दे...' खूब बजा। यह मुकेश का बतौर पार्श्वगायक, किसी दूसरे हीरो के लिए गाया, पहला गाना था। 'पहली नजर' में उन्होंने मोतीलाल के लिए गाने गाए और उनकी सिफारिश पर ही काम फिल्म भी मिली थी। मुकेश के दूर के रिश्तेदार मोतीलाल ने ही उन्हें दिल्ली से मुंबई बुला लिया था। 'पहली नजर' के इस गाने को परदे पर मोतीलाल के साथ सुलताना के क्लोज अप्स के साथ फिल्माया गया था।

मुनव्वर को निर्माता एआर कारदार ने 'दर्द' (1947) में अपने भाई नुसरत की हीरोइन बनाया, जिसमें सुरैया ने सहायक अभिनेत्रीथी। इसमें हीरोइन मुनव्वर के लिए गायिका उमा देवी यानी अभिनेत्री टुनटुन ने 'अफसाना लिख रही हूं दिले बेकरार का...' गाना गाया था। इसे मुनव्वर पर फिल्माया गया था। समीक्षकों ने इसे बकवास फिल्म बताया, दर्शकों ने सिरआंखों पर उठा लिया था।

मुनव्वर की फिल्म 'बाबुल' भी सुपर हिट हुई थी। प्रेम त्रिकोण पर बनी इस फिल्म में दिलीप कुमार-नरगिस की जोड़ी थी। इसका गाना 'छोड़ बाबुल का घर आज पी के नगर मुझे जाना पड़ा...' आज भी शादी-ब्याह में खूब बजता है। 1947 में विभाजन के दौरान कई कलाकार पाकिस्तान चले गए थे मगर मुनव्वर ने भारत में ही रहना तय किया। 1948 में मुनव्वर की मुलाकात फर्नीचर के एक कारोबारी शरीफ अली भगत से हुई, जिससे उन्होंने शादी कर ली। भगत ने मुनव्वर को लेकर दो फिल्में भी बनाई 'मेरी कहानी' और 'प्यार की मंजिल'। शादी के बाद मुनव्वर ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। उनकी अंतिम फिल्म 'जल्लाद' (1956) थी, जिसके हीरो दिलीप कुमार के भाई नासिर खान थे जो विभाजन के बाद पाकिस्तान जाकर वापस भारत लौट आए थे।

खबर कोना

शाहरुख ने अपनी अगली फिल्म को लेकर अटकलों को किया खारिज

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने फिल्म 'जीरो' के बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के बाद भले ही थोड़े समय के लिए कोई फिल्म नहीं करने का निर्णय लिया हो, लेकिन कई फिल्मों से उनके जुड़ने की अटकलें चलती रहती हैं। अभिनेता ने अंततः रविवार को इन अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने प्रशंसकों को इन खबरों पर विश्वास नहीं करने को कहा। उन्होंने प्रशंसकों से खुद उनके द्वारा घोषणा किए जाने तक इंतजार की बात कही। खान ने एक ट्वीट में कहा, 'यह जानना हमेशा अच्छा होता है कि गैरमौजूदगी के बावजूद मैंने चुपके से कई फिल्में साइन कर ली, यहां तक कि मुझे भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। जब मैं कहूं कि मैं फिल्म कर रहा हूं तभी यह बात सही है वरना तो यह सभी सच से आगे की चीजें हैं।' आनंद एल राय की फिल्म 'जीरो' के बाद से ऐसी खबरें चल रही हैं कि शाहरुख इन-इन फिल्मों में अभिनय करने जा रहे हैं। मीडिया में आई कुछ खबरों में कहा गया कि खान अली अब्बास जफर की फिल्म कर रहे हैं।

मुझे हमेशा से पता था कि मुझे क्या करना है : आयुष्मान

रियलिटी शो से अपने करिअर की शुरुआत करने से लेकर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने तक का सफर तय करने वाले आयुष्मान खुराना का कहना है कि उन्हें हमेशा से पता था कि वे क्या करना चाहते हैं। अभिनेता ने कहा, 'मुझे हमेशा से पता था कि मुझे क्या करना है। मैंने 'विकी डोनर' से पहले कई फिल्मों को ना कहा, फिल्म जगत से नाता ना रखने वाले के लिए यह बड़ी बात है। और कोई हर मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता, लेकिन मैं ऐसा नहीं था।' उन्होंने कहा, 'पत्रकार होने की वजह से मैंने कई कलाकारों का साक्षात्कार किया है। मैंने दूसरी ओर से कई अभिनेताओं को करिअर में चढ़ते एवं ढलते देखा है। इसलिए मैं उनके अनुभवों और गलतियों से सीख सकता था। मैं हमेशा सोचता था कि मेरी पहली फिल्म लीक से हटकर हो और यह हुआ भी।' वहीं अभिनेता ने कहा कि आप एक सीमा में बंध नहीं सकते और केवल फिल्म जगत के लोगों से नाता नहीं रख सकते।

रैम्बो की कहानी समकालीन, प्रासंगिक है: सिद्धार्थ आनंद

फिल्म निर्माता सिद्धार्थ आनंद ने खुलासा किया है कि रैम्बो की रीमेक टीम मार्च 2020 से शूटिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इसकी पटकथा देश की मौजूदा स्थिति के लिए बेहद प्रासंगिक है। 1982 की हॉलीवुड क्लासिक फिल्म रैम्बो के हिंदी रूपांतरण में टाइगर श्रॉफ को दिग्गज एक्शन स्टार सिल्वेस्टर स्टेलोन की भूमिका में रखा जाएगा। मूल फिल्म का किरदार जॉन रैम्बो (स्टेलोन द्वारा निभाया गया किरदार) एक अमेरिकी सैनिक होता है, जो वियतनाम युद्ध में भाग ले चुका था और वहां प्राप्त कौशल का उपयोग पुलिस, दुश्मन सैनिकों और ड्रग माफिया से लड़ने के लिए करता है। सिद्धार्थ ने कहा कि फिल्म भारतीय भावनाओं के अनुसार रूपांतरित की गई है। निर्देशक ने कहा कि उनकी आगामी एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'वॉर' के रिलीज होने के तुरंत बाद फिल्म पर काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा, 'पटकथा पहले से ही तैयार है।

नेटफ्लिक्स, करण की 'धर्माटिक एंटरटेनमेंट' के बीच हुआ समझौता

'नेटफ्लिक्स' और करण जौहर की डिजीटल कम्पनी 'धर्माटिक एंटरटेनमेंट' नई 'फिक्शन' और 'नॉन-फिक्शन' सीरिज और फिल्मों का निर्माण करने को तैयार है। जौहर ने पहली बार 'नेटफ्लिक्स' के साथ 2018 में फिल्म 'लस्ट स्टोरिज' के लिए काम किया था। जौहर 'नेटफ्लिक्स' के लिए 'घोस्ट स्टोरिज' का निर्देशन कर रहे हैं वहीं 'गिल्टी' का निर्माण कर रहे हैं। जौहर ने कहा कि हमने एक साथ आकर ऐसे विषयों पर काम करने का फैसला लिया है जो ना केवल हमें बल्कि दर्शकों को भी सशक्त बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि हम विभिन्न शैली की फिल्में बनाएं और ना केवल भारतीय या प्रवासियों के लिए बल्कि एशियाई दर्शकों के लिए भी।

संघ के प्रचारक की तर्ज पर कांग्रेस में प्रेरक बनाने से पार्टी को गुरेज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 सितंबर।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें पार्टी की विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रचारक की तर्ज पर कांग्रेस में प्रेरक बनाए जाने की बात कही गई थी। राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, स्वाधीनता संग्राम में कांग्रेस की भूमिका आदि मुद्दों को लेकर पार्टी जनों को प्रशिक्षित करने और राष्ट्रीय स्तर से बूथ स्तर तक कांग्रेस की विचारधारा के प्रचार-प्रसार की भूमिका निभाने वाले संयोजक (कोआर्डिनेटर) कहलाएंगे।

कांग्रेस अध्यक्ष गांधी की अध्यक्षता में गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में हुई वरिष्ठ नेताओं की बैठक में यह मुद्दा कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने उठाया। पार्टी अध्यक्ष गांधी ने भी प्रेरक की नियुक्ति के प्रस्ताव से असहमति जताई और उसके बाद सभी नेताओं ने एक स्वर से कहा कि हमें किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। सूत्रों ने बताया कि इस मुद्दे पर बैठक में कहा गया कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। उसके नेताओं ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और आजाद भारत को भी सजाने-संवारने का काम किया। ऐसे में हमें किसी के नकल की कोई दरकार नहीं है।

इस मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव आरपीएन सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने पैदल चलकर, साइकिल पर घूम घूम कर देश भर में अलख जगाने का काम किया है। हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है। ऐसे में हमें किसी और से इस मामले में कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बैठक में इस बात पर चिंता जताई कि आज सत्ता पक्ष की ओर से महात्मा गांधी, सरदार पटेल और बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के योगदान को अपना बताकर उनके योगदान को नजरंदाज करने की कोशिश की जा रही है।

सूत्रों ने बताया कि पार्टी में यह बात बड़ी शिद्दत से महसूस की जा रही है कि देश की युवा पीढ़ी को देश की आजादी से लेकर अब तक के विकास में कांग्रेस के योगदान के बारे में जानकारी देने की जरूरत है। इसके लिए पहले कांग्रेस के लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सचिन राव की अगुआई में चलाया जाने वाला यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर के अलावा राज्य, जिला व ब्लॉक स्तर पर चलाया जाएगा। प्रत्येक प्रदेश में एक महासचिव को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रभारी बनाया जाएगा। उसे संयोजक नाम दिया जाएगा।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस के फिलहाल दो करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं और इसकी सदस्य संख्या को बढ़ाने के लिए पार्टी व्यापक अभियान इसी अक्तूबर महीने से शुरू करेगी। इसके तहत ऑनलाइन सदस्यता का भी विकल्प होगा। इसका खास डिजायन तैयार किया गया है। दूसरी ओर अपनी विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए भी पार्टी पूरा जोर लगाएगी और ये दोनों कार्यक्रम बहुत ही प्रमुखता से लागू किए जाएंगे।

कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के संग सोनिया की बैठक आज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 सितंबर।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शुक्रवार को पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगी। गांधी के 10 जनपथ स्थित आवास पर होने वाली इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी भाग लेंगे। सोनिया गांधी पार्टी शासित मुख्यमंत्रियों के साथ यह बैठक उस वक्त करने जा रही हैं जब इनमें से अधिकतर राज्यों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच आपसी टकराव की खबरें लगातार आ रही हैं।

मध्य प्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के धड़ों के बीच प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान चल रही है तो राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच सबकुछ ठीक नहीं होने की बात लंबे समय से कही जा रही है। उसी तरह के पंजाब में अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच भी टकराव की खबरें हाल में आई थीं और सिद्धू ने मंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया था।

सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार शाम होने वाली इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष गांधी पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा जारी घोषणा पत्र में शामिल वायदों को अपने अपने राज्यों में लागू करने को कह सकती हैं।

पीओके में अभियान के लिए सेना तैयार

पेज 1 का बाकी

अधिकृत कश्मीर को लेकर हाल में एक मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाना अब भारत की अगली कार्रवाई होगी।

इस बयान को लेकर सेना प्रमुख ने कहा, 'सरकार कार्रवाई के निर्देश देती है। इस तरह के मामलों में सरकार कदम उठाती है। सरकार के निर्देश पर देश में मौजूद संस्थाएं आगे की कार्रवाई करती है।' जितेंद्र सिंह के बयान से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से अब कोई भी बातचीत पीओके को लेकर ही होगी। यही नहीं गृह मंत्री अमित शाह भी संसद में कह चुके हैं कि हम जान दे देंगे, लेकिन पीओके लेकर रहेंगे। सेना प्रमुख से जब पूछा गया कि क्या सेना पीओके में कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है तो उन्होंने कहा, 'सेना हमेशा कार्रवाई के लिए तैयार रहती है। संस्थाएं तो जैसा सरकार कहेगी, वैसी तैयारियां करेंगी।'

जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को पिछले महीने खत्म किए जाने के बाद से पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ चलाए जा रहे दुष्प्रचार और उकसावे वाले बयानों के बीच सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने यह बड़ा बयान दिया है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले का सेना प्रमुख ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग भी हमारे देश के ही हैं। वे हमारे ही लोग हैं। कश्मीर के लोगों को शांति बहाल करने के लिए सुरक्षा बलों को कुछ मौका देना चाहिए। उन्होंने 30 साल तक आतंकवाद झेला है, अब उन्हें कुछ वक्त शांति के लिए भी देना चाहिए।

लद्दाख में भारत-चीन सैनिकों के बीच गतिरोध खत्म

पेज 1 का बाकी

डटे रहे। पेंगांग झील का काफी हिस्सा विवादित है। इसका दो तिहाई हिस्सा चीन के कब्जे वाले तिब्बत में है। बाकी भारतीय सीमा में है। चीन को झील के उत्तरी हिस्से में भारतीय जवानों की मौजूदगी पर एतराज था। दोनों सेनाओं के बीच हुई फ्लैग मीटिंग में चीन पीछे हटने को तैयार हो गया।

उधर, चीन ने गुरुवार को दावा किया कि पूर्वी लद्दाख का पेंगोंग झील इलाका पूरी तरह से उसके भूभाग में पड़ता है और यह उसके प्रभावी 'अधिकार क्षेत्र' में है।

एक भारतीय अधिकारी ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को सुलझाने के लिए निर्धारित तंत्र हैं। हालांकि, यह पहला मौका नहीं है जब पेंगोंग झील इलाके में दोनों देशों के सैनिकों के बीच गतिरोध हुआ है।

अगस्त, 2017 में चीन ने लद्दाख के इस इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय फौज ने नाकाम कर दिया था। तब भारत की कार्रवाई के बाद चीनी सैनिकों ने पथराव किया था। इसके चलते जवानों को चोटें आईं। चीन के भी कुछ सैनिक घायल हुए थे।

तबरेज मामले में कानून अपना काम करेगा : रेड्डी

नई दिल्ली, 12 सितंबर (भाषा)।

झारखंड में तबरेज अंसारी मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या का आरोप हटाए जाने पर उपजे विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने गुरुवार को कहा कि कानून अपना काम करेगा।

उन्होंने इस घटना को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए कहा कि यह एक आपराधिक कृत्य है। उन्होंने एक कार्यक्रम से इतर कहा, 'मुझे नहीं पता कि अदालत में क्या हुआ। मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ, जो भी आपराधिक गतिविधि हुई, दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए।' रेड्डी ने कहा कि वह राज्य सरकार से इस मामले पर बात करेंगे।

केंद्रीय मंत्री से जब इस मामले के आरोपियों पर से हत्या का मामला हटाकर गैर इरादतन हत्या करने के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। मंत्री ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मारने की घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में हो रही है।

मंदी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेगी कांग्रेस

आगामी 15 से 25 अक्तूबर के बीच देश भर में होगा प्रदर्शन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 सितंबर।

कांग्रेस ने देश में तेजी से पांव पसार रही आर्थिक मंदी को लेकर केंद्र सरकार के ढुलमुल रवैए के खिलाफ जनता को जागरूक करने के लिए देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का फैसला किया है। इसके तहत राजधानी दिल्ली सहित देश के सभी हिस्सों में आगामी 15 से 25 अक्तूबर तक धरना व प्रदर्शन आदि का आयोजन किया जाएगा। पार्टी अक्तूबर महीने से ही अपने सदस्यता अभियान को भी तेज करेगी।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। पार्टी का अध्यक्ष पद संभालने के बाद सोनिया की अध्यक्षता में हुई इस पहली बड़ी बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह, पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी सहित पार्टी के सभी महासचिवों, राज्य प्रभारियों, मुख्यमंत्रियों, विधायक दल के नेताओं व प्रदेश अध्यक्षों ने भी शिरकत की। जबकि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए। इस बैठक में देश के ताजा आर्थिक हालात पर विचार करने के अलावा गांधी की 150वीं जयंती के आयोजन, पार्टी के सदस्यता अभियान को तेज करने व पार्टी की विचारधारा को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन पर विशेष तौर पर चर्चा की गई।

पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और आरपीएन सिंह ने बैठक को लेकर संवाददाताओं को बताया कि अपने संबोधन में कांग्रेस अध्यक्ष गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था की लगातार बिगड़ती हालत को लेकर अपनी चिंता जताई। विशेष तौर पर रोजगार के गहराते संकट को लेकर उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जाए जबकि आलम यह है कि पहले से मौजूद रोजगार के अवसर भी खत्म हो रहे हैं। सोनिया ने यह भी कहा कि यह सरकार बदले की राजनीति कर रही है। जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आवाज दबाने के लिए उसे किसी न किसी मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जाती है। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने मौजूदा अर्थव्यवस्था को लेकर एक पूरी रिपोर्ट पेश की। उन्होंन बैठक में कहा कि अर्थव्यवस्था खराब से बेहद खराब होती जा रही है और खतरनाक बात यह है कि सरकार को इस बात का इल्म तक नहीं है। उन्होंने कहा कि हम आर्थिक मंदी के दौर में हैं। चाहे रियल स्टेट की बात हो या फिर कृषि क्षेत्र की, चारों ओर गिरावट के कारण अर्थव्यवस्था लगातार नीचे जा रही है। उन्होंने चेताया कि अगर इस परिस्थिति से नहीं निकला गया तो रोजगार के क्षेत्र में सबसे बुरी स्थिति पैदा होगी और अगर लगातार लोग बेरोजगार होते जाएंगे तो अर्थव्यवस्था के लिए परेशानी और बढ़ जाएगी।

कांग्रेस नेताओं ने बताया कि अर्थव्यवस्था की खराब हालत को लेकर सरकारी रवैए के खिलाफ अगले महीने देशव्यापी आंदोलन छेड़ने से पहले कांग्रेस इसी महीने के आखिर में प्रत्येक प्रदेश में पार्टी के राज्य स्तर के सदस्यों का सम्मेलन आयोजित करेगी जिसमें पार्टी के सदस्यों को आंदोलन की रूप रेखा की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अक्तूबर महीने से ही पार्टी का सदस्यता अभियान भी तेज किया जाएगा।

भाजपा ने शिवसेना को की 106 सीटों की पेशकश

मुंबई, 12 सितंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में अपने प्रमुख गठबंधन सहयोगी शिवसेना को 106 सीटों की पेशकश की है। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि शिवसेना 120 से कम सीटें स्वीकार करेगी। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। भाजपा के एक सूत्र ने बताया कि दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत एक-दो दिन में समाप्त हो सकती है।

विधानसभा में कुल 288 सीट है। पिछली बार दोनों दलों ने अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ा था। सूत्र ने बताया कि हमने शिवसेना को 106 सीटों की पेशकश की है । लेकिन, शिवसेना 120 सीटों पर सहमत हो सकती है (और इससे कम पर नहीं)। उन्होंने बताया कि एक अन्य सहयोगी जन सुराज्य शक्ति पार्टी ने चार सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति जता दी है। पश्चिमी महाराष्ट्र में मजबूत पकड़ रखने वाली पार्टी ने शुरुआत में नौ सीटों की मांग की थी लेकिन बाद में इसके नेता विनय कोरे ने बुधवार को बातचीत में चार सीटों पर सहमति जता दी। सूत्रों ने बताया कि अन्य सहयोगियों के साथ बातचीत जारी है। इनमें केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया, शिव संग्राम तथा राष्ट्रीय समाज पार्टी शामिल है। तीनों राजनीतिक दलों ने भाजपा के चुनाव चिह्न पर उनके उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। महाराष्ट्र में 2014 में हुए विधानसभा चुनावों में इन राजनीतिक दलों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था लेकिन बाद में एक साथ आ गए थे। भाजपा ने 122 सीटों पर जबकि शिवसेना ने 63 सीटों पर जीत हासिल की थी।

जाधव को राजनयिक पहुंच नहीं देगा पाक

पेज 1 का बाकी

गलत ठहराया, जिसमें कहा गया है कि पूरे कश्मीर में प्रतिबंध घोषित हैं और जरूरी सामानों की कमी हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के 92 फीसद हिस्से में कोई प्रतिबंध नहीं है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 199 पुलिस थाना क्षेत्रों में से सिर्फ 11 में ही प्रतिबंध है और वह भी सिर्फ दिन के वक्त। बाकी जगह स्थिति सामान्य है।' उन्होंने कहा कि कश्मीर में जरूरी दवाइयों की कोई कमी नहीं है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रचार अभियान को लेकर कहा कि जो देश आतंकवाद का केंद्र है वह वैश्विक समुदाय के बीच मानवाधिकार का प्रतिनिधि बनने की कोशिश कर रहा है। वैश्विक समुदाय पाकिस्तान की असलियत को समझता है। हमने पाकिस्तान के झूठ और दूषित बयान पर जवाब दिया है। वैश्विक समुदाय को पता है कि पाकिस्तान अपने घर में आतंकियों की मदद कर रहा है। गुरुवार को रवीश कुमार ने कश्मीर पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट, अनुच्छेद 370 पर यूएनएचआरसी और करतारपुर साहिब गलियारा समेत विभिन्न मसलों पर जवाब दिया। रवीश कुमार से जब जम्मू-कश्मीर में विदेशी पत्रकारों को नहीं जाने देने के आरोपों को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'विदेशी पत्रकारों को चार श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला वो जो कश्मीर जाना चाहते हैं, दूसरे वो जो पूर्वोत्तर समेत दूसरे राज्य, तीसरे वे जो प्रतिबंधित और चौथे वे जो संरक्षित क्षेत्र में जाना चाहते हैं। इन्हें सटीक चैनल के जरिए विदेश मंत्रालय में आवेदन करना होता है और आवेदन के आधार पर हम फैसला करते हैं। विदेशी पत्रकारों को रिपोर्टिंग की इजाजत देने के हमारे पुराने तौर-तरीके में कोई बदलाव नहीं हुआ है।'

'मेडिकल वैन ऑन वील' देश भर में करेगी मरीजों का इलाज

- सियालदह डिवीजन ने पुराने ईएमयू कोच को बदला मेडिकल सेंटर में
- एक कोच के निर्माण में करीब 14 लाख रुपए खर्च किए गए

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 12 सितंबर।

देश में रेल की पटरियों को अलविदा कर चुके पुराने ईएमयू कोच से अब मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं शुरू होंगी। रेल मंत्रालय की सियालदह मंडल ने यह पहल की है। इस पहल को 'मेडिकल वैन ऑन वील' का नाम दिया गया है। इसके तहत पुराने ईएमयू डिब्बे को बदलकर एक मेडिकल वैन में बदला गया है। अब यह कोच दूर दराज के इलाकों में पहुंच कर मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

रेल मंत्रालय ने पहली बार यह पहल की है। ईएमयू के इस नए अवतार के लिए रेल मंत्रालय ने करीब 14 लाख रुपए की धनराशि खर्च की है। इससे रेल मंत्रालय दूर दराज के क्षेत्रों तक भी आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सकेगा। रेल मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक इस कोच में मरीजों की सुविधा के लिए सभी उपकरण, मरीज के सहायक के लिए वेटिंग रूम, डॉक्टर चैंबर, ड्रैसिंग रूम, वील चेयर व स्ट्रेचर आदि की व्यवस्था की गई है।

रेल मंत्रालय के मुताबिक इस मेडिकल वैन में जिस कोच का प्रयोग किया गया है वह करीब 25 साल पुराना है और अपनी तय आयु सीमा को पूरा कर चुका है। इसके बाद इसे नया रूप दिया गया है। इस अत्याधुनिक कोच को तैयार करने के लिए फ्लोर व कैबिन को नए सिरे से विकसित किया गया है। यह कार्य कंच्पदा में किया गया है। इसके बाद इस पूरे कोच को सोनारपुर में तैयार किया गया है। जानकारी के मुताबिक यह वैन आपातकालीन स्थिति में दूर दराज के क्षेत्रों में आम जनता को तमाम स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए सक्षम है। मंत्रालय के मुताबिक आवश्यकता महसूस होने पर इस प्रयोग को देश के अन्य राज्यों में भी किया जा सकता है।

रेल यात्रियों को आपात मेडिकल सेवाएं भी : रेल के सफर के दौरान यात्रियों को आपात मेडिकल सेवाएं भी रेल मंत्रालय दे रहा है। किसी भी आपात स्थिति में आम जनता टोल फ्री नंबर 138 पर संपर्क किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास स्मार्ट फोन नहीं है तो ई रेल पर हेल्प संदेश लिखकर 56161 पर भेज सकता है। इस नंबर पर संदेश भेजने के बाद रेलवे के अधिकारी आप से खुद संपर्क करेंगे और आपकी सहायता के लिए उपलब्ध होंगे।

प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह का अयोजन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 सितंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर के अवसर पर भाजपा 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह का आयोजन करेगी। इसमें स्वच्छता, एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक पर रोक, जन संचय जैसे विषयों पर देशभर में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। भाजपा महसचिव अरुण सिंह ने यहां पार्टी मुख्यालय में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्म दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निर्णय किया कि सेवा सप्ताह पूरे देश में पार्टी के कार्यकर्ता मनाएंगे। सेवा सप्ताह की शुरुआत 14 सितंबर से होगी जो 20 सितंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि भाजपा अध्यक्ष शाह 14 सितंबर को सुबह आठ बजे नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से सेवा सप्ताह की शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा भी मौजूद रहेंगे।

शाह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता एम्स में फल वितरित करेंगे, मरीजों का हालचाल पूछेंगे और स्वच्छता अभियान चलाएंगे। पार्टी के सांसद, विधायक, पार्षद आदि अपने अपने क्षेत्रों में इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। इसके तहत वे स्कूलों में कार्यक्रम करेंगे और एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक पर रोक लगाने के बारे में लोगों को प्रेरित करेंगे। भाजपा ने इस उद्देश्य के लिए प्रदेश, जिला और मंडल स्तर तक कमेटियों का गठन किया है। इस अभियान के लिए गठित समिति के संयोजक अविनाश राय खन्ना हैं। इसके सदस्यों में अर्जुन राम मेघवान, सुनील देवधर आदि शामिल हैं।

पार्टी ने इस अभियान को 'स्वच्छ जीवन का यही आधार, साफ सफाई का करें व्यवहार' का नाम दिया है। इसके तहत 'शुद्ध पर्यावरण, जल संचय, जीवन का हो यही निश्चय' का नारा दिया है। भाजपा ने सेवा सप्ताह के तहत रक्त दान शिविर, स्वास्थ्य जांच कैंप लगाने, अनाथालय व वृद्धाश्रम में सहायता कार्य चलाने का फैसला किया है। इस अवसर पर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री के सेवा कार्यों व सरकार की उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा।

छाया शर्मा को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

पेज 1 का बाकी

चुना गया है। न्यूयार्क के अग्रणी सांस्कृतिक संगठन एशिया सोसायटी ने यहां बुधवार को पुरस्कारों की घोषणा की। पुरस्कार अगले महीने विशेष समारोह में प्रदान किए जाएंगे।

एशिया सोसायटी वैश्विक संदर्भ में एशिया और अमेरिका के लोगों, नेताओं और संस्थानों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देने और साझेदारी मजबूत करने के क्षेत्र में प्रमुख शैक्षिक संगठन है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की उपमहानिरीक्षक शर्मा भी पुरस्कार पाने वाले लोगों में शामिल हैं। शर्मा को पुरस्कार देने की घोषणा करते हुए एशिया सोसायटी ने कहा कि छाया शर्मा ने दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म मामले समेत भारत में कई हाई-प्रोफाइल अपराधों की जांच की है। निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले पर इस साल टेलीविजन सीरीज भी बनी।

उन्होंने भारत में पुलिस के काम और महिला पुलिसकर्मियों की भूमिकाओं को परिवर्तित कर दिया। संगठन ने कहा कि उस समय दक्षिण दिल्ली की पुलिस उपायुक्त छाया शर्मा ने 16 दिसंबर, 2012 को छात्रा से सामूहिक बलात्कार की तड़के खबर मिलने के बाद फौरन कार्रवाई की। उन्हें 'मानवाधिकारों की आजीवन संरक्षक' बताते हुए एशिया सोसायटी ने कहा कि शर्मा ने अपने अधिकारियों का पीड़िताओं से उनकी पृष्ठभूमि पर विचार किए बिना पूरे सम्मान के साथ बर्ताव करने में मार्गदर्शन किया।

बलात्कार पीड़िता ने सांसद पर धमकी देने का आरोप लगाया

बलिया, 12 सितंबर (भाषा)।

बहुजन समाज पार्टी के घोसी से चुने गए सांसद अतुल राय पर बलात्कार का मामला दर्ज कराने वाली पीड़िता ने वीडियो वायरल कर न्याय की गुहार लगाई है और आरोप लगाया कि सांसद उसका हश्र उन्नाव कांड की पीड़िता की तरह करने की धमकियां दे रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बलिया पुलिस ने पीड़िता की सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर दिए हैं। वाराणसी के उदय प्रताप विद्यालय की एक पूर्व छात्रा ने बसपा के घोसी से सांसद अतुल राय पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया था। राय इस मामले में जेल में हैं।

सोशल मीडिया संग सड़क पर भी हों सक्रिय : सोनिया

पेज 1 का बाकी

पर चिंता जताई और यह आरोप लगाया कि राजग सरकार में हर संस्था को कमजोर किया जा रहा है और विरोध की आवाज को दबाया जा रहा है। सोनिया ने दावा किया कि लोकतंत्र को इतना खतरा कभी नहीं रहा। मैंने कुछ हफ्ते पहले भी कहा था कि सत्ता का बहुत ही खतरनाक ढंग से दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश उन ताकतों का मुकाबले करने को तैयार है जो महात्मा गांधी, सरदार पटेल और बीआर आंबेडकर के संदेशों को अपने हिसाब से गलत रूप में प्रस्तुत करती हैं। हमें इनका मुकाबला करने के लिए सड़कों पर उतरना होगा, गांव, कस्बों और शहरों में लोगों तक पहुंचना होगा।

कांग्रेस अध्यक्ष ने हाल ही में कई कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने के संदर्भ में कहा कि यह इन नेताओं के अवसरवादी चरित्र को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही तीन राज्यों में चुनावों का सामना करने जा रहे हैं। हालात चुनौतीपूर्ण हैं और अगर हम सिर्फ पार्टी हित को ऊपर रखें तो फिर से अपनी खोई जमीन वापस पा सकते हैं।

कांग्रेस नेताओं की बैठक में तय किया गया कि आगामी 2 अक्तूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर दिल्ली सहित देश के तमाम हिस्सों में व्यापक पद यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। राजधानी में पार्टी कार्यकर्ता 24 अकबर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय से या प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से राजघाट तक पदयात्रा का आयोजन करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे।

जनता को लूटने वालों को पहुंचा रहे सही जगह : मोदी

पेज 1 का बाकी

सचिवालय के नए भवन का भी शिलान्यास किया। मोदी ने कहा कि आतंकवाद एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का हमारा संकल्प है। हमने कामदार और दमदार सरकार देने का वादा किया था और तेजी से काम करने की बात कही थी।

पहले सौ दिनों में ही हमारी सरकार ने जिस तेजी से काम किया है, वैसा आजाद भारत के इतिहास में नहीं दिखा। देश ने ट्रेलर देखा है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। इसी उद्देश्य से जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार ने अनुच्छेद 370 एवं 35ए जैसे प्रावधानों को खत्म करने का काम किया है। आतंकवाद के खिलाफ कानून को संसद के पहले सत्र में ही सख्त बनाया गया है।

तीन आतंकी पकड़े गए

पेज 1 का बाकी

और गोला-बारूद ले जा रहे एक ट्रक जब्त किया है। सुरक्षा बलों ने तीन आतंकियों को भी गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों के पास से चार एके-56 और दो एके-47 राइफलों समेत बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए हैं। सुरक्षा एजंसियों का मानना है कि आतंकवादी घाटी में किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। गिरफ्तार किए गए तीनों आतंकियों का संबंध जैश ए मोहम्मद से है।

सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस एवं सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने जम्मू-पठानकोट राजमार्ग पर गुरुवार सुबह आठ बजे एक ट्रक को रोका और जांच के दौरान छह एके-47 समेत हथियार पकड़े। यह ट्रक पंजाब के पठानकोट के बामयाल क्षेत्र से कश्मीर जा रहा था। ट्रक के बारे में विस्तृत जांच पड़ताल की जा रही है। तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका ताल्लुक कश्मीर से है।

कठुआ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीधर पाटील ने बताया कि हमने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक को लखनपुर में रोका और तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि उनके पास से चार एके 56 राइफल, दो एके 47 राइफल, छह मैगजीन और 180 गोलियां और 11 हजार रुपए की नकदी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए तीनों आतंकवादी कश्मीर घाटी के रहने वाले हैं। यह ट्रक जावेद अहमद चला रहा था। ट्रक मालिक की शिनाख्त पुलवामा के गुलशनाबाद के सुहिल अहमद लाटू के रूप में हुई है। पकड़े गए तीनों आतंकवादियों की पहचान उबैद उल इस्लाम, जहांगीर अहमद पारे और सबील अहमद बाबा के रूप में की गई है। उबैद और सबील पुलवामा के अघलारा कंडी के रहने वाले हैं जबकि पारे बडगाम के चरार ए शरीफ का रहने वाला है।

खबर कोना

दक्षिणपूर्वी कांगो में ट्रेन हादसा, 50 मरे

लुबुमबशी, 12 सितंबर (एएफपी)।

दक्षिणपूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में गुरुवार को ट्रेन के पटरी से उतर जाने से 50 व्यक्तियों की मौत हो गई। मानवीय कार्यों के मंत्री स्टीव एमबिकयी ने ट्वीट में इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, 'एक और हादसा! मयीबारिदी के पास तंगानयिका (प्रांत) में सुबह तीन बजे एक ट्रेन पटरी से उतरी। अनुमानित आंकड़ा : 50 की मौत और कई अन्य घायल।'

पितृत्व अवकाश लेने पर परेशान करने पर मुकदमा

तोक्यो, 12 सितंबर (एएफपी)।

जापान के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसने पितृत्व अवकाश लिया था जिसकी वजह से उसकी कंपनी ने उसे दंडित किया। वह अब इस मामले को तोक्यो की अदालत तक ले गया है। दुनिया में सबसे कम जन्मदर वाले देशों में से एक जापान में यह बेहद दुर्लभ मामला है। स्पोर्टस वियर बनाने वाली कंपनी एसिक्स में काम करने वाले व्यक्ति ने ी कंपनी पर 44 लाख येन की क्षतिपूर्ति का दावा ठोका है।

गूगल का विज्ञापन व्यवसाय भी निशाने पर

सैन फ्रांसिस्को, 12 सितम्बर (एपी)।

गूगल के एकाधिकारवादी व्यवहार को लेकर जांच कर रहे अटॉर्नी जनरल कंपनी के विज्ञापन व्यवसाय की भी सघन पड़ताल की योजना बना रहे हैं। टेक्सास के अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन के कार्यालय ने सोमवार को गूगल को एक पत्र भेजकर अंदरूनी दस्तावेज मांगे कि वह किस तरह विज्ञापन बेचता है और ऐसे लोगों के व्यवहार पर नजर रखता है जो उसके सर्च इंजन व अन्य सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। पैक्सटन और राज्य के अन्य अभियोजकों ने कई चरणों वाली एंटीट्रस्ट जांच की घोषणा की और उसी दिन गूगल को यह पत्र भेजा गया। जांच में 48 राज्यों के साथ ही प्यूर्तो रिको और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया भी शामिल हैं।

फेसबुक ने नेतन्याहू के चैटबॉट पर 24 घंटे की रोक लगाई

यरूशलम, 12 सितंबर (भाषा)।

सोशल मीडिया की कंपनी फेसबुक ने नफरत भरे भाषण पर नीतियों का उल्लंघन करने के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के चैटबॉट पर रोक लगा दी। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर संदेश प्रसारित हुआ कि अरब इस्राइल के नेता 'हम सबको मिटा देना चाहते हैं' जिसके बाद उनका चैटबॉट बंद कर दिया गया।

फेसबुक के प्रवक्ता ने टाइम्स ऑफ इस्राइल से कहा कि बॉट को अस्थायी रूप से 24 घंटे के लिए निलंबित किया गया है और कंपनी की नीतियों का भविष्य में किसी भी तरह से उल्लंघन के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। प्रवक्ता ने कहा, 'लिकुड के प्रचार बॉट की गतिविधियों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के बाद हमने पाया कि हमारे नफरत भरे भाषण को लेकर तय की गई नीति का उल्लंघन हुआ है। हमने पाया कि बॉट ऐसे वक्त में प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है जब लोगों से संपर्क की अनुमति होती है। परिणामस्वरूप हमने बॉट को अस्थायी रूप से 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है। अगर फिर कोई उल्लंघन हुआ तो हम उपयुक्त कार्रवाई जारी रखेंगे।'

110 प्रकाश वर्ष दूर ग्रह पर पानी की खोज

- यह ग्रह एक ठंडे वामन सितारे के2-18 की कक्षा में है जो धरती से 110 प्रकाश वर्ष दूर 'लियो' तारामंडल में है
- धरती से आठ गुणा अधिक के द्रव्यमान वाला के2-18बी जानकारी में अब एकमात्र ऐसा बाह्यग्रह है जहां पानी और तापमान दोनों है।

लंदन, 12 सितंबर (भाषा)।

खगोल वैज्ञानिकों ने अत्यंत उत्साहित करने वाली खोज में पहली बार हमारे सौरमंडल से बाहर मौजूद एक ग्रह के वातावरण में पानी की खोज की है। इस ग्रह पर धरती के समान तापमान मौजूद है जो हमारे सौरमंडल के बाहर एक दूरस्थ सितारे की कक्षा में मौजूद है जहां जीवन की संभावना है।

धरती से आठ गुणा अधिक के द्रव्यमान वाला के2-18बी जानकारी में अब एकमात्र ऐसा बाह्यग्रह है जहां पानी और तापमान दोनों है जिससे वह रहने योग्य हो सकता है। ईएसए/ नासा हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का इस्तेमाल कर अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि यह ग्रह एक ठंडे वामन सितारे के2-18 की कक्षा में है जो धरती से 110 प्रकाश वर्ष दूर 'लियो' तारामंडल में है। उन्होंने बताया कि यह खोज किसी सितारे के रहने योग्य क्षेत्र की कक्षा में मौजूद बाहरी ग्रह के लिए पहला सफल वायुमंडलीय अविष्कार है, एक ऐसी दूरी पर जहां पानी द्रव रूप में मौजूद हो सकता है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (यूसीएल) के अनुसंधानकर्ता एंगेलोस सियारस ने कहा, 'धरती के अलावा संभवतः रहने योग्य जगत में पानी मिलना अत्यंत उत्साहित करने वाला है।' यह अध्ययन 'नेचर एस्ट्रोनॉमी' पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

तालिबान के खिलाफ बेहद कड़ी कार्रवाई करेंगे : ट्रंप

वाशिंगटन/इस्लामाबाद, 12 सितंबर (भाषा)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान शांति वार्ता के अंत के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही यह भी कहा कि इस समूह पर बेहद कड़ी कार्रवाई की जा रही है जितनी कभी नहीं की गई। उधर अफगानिस्तान के तालिबान नेताओं ने कहा कि वे अमेरिका के साथ समझौता करना चाहते हैं लेकिन कुछ लोग ज्यादा ही जल्दबाजी में हैं।

बुधवार को वाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने वार्ता समाप्त होने के लिए तालिबान को दोषी ठहराया, क्योंकि समूह ने पिछले हफ्ते काबुल में एक आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली थी जिसमें एक अमेरिकी सैनिक सहित 12 लोग मारे गए थे। ट्रंप ने कहा, 'मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हम तालिबान पर अब पहले से कहीं ज्यादा कड़ाई कर रहे हैं, जितना पहले कभी नहीं हुआ था।' अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि तालिबान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ऐसा करने से बातचीत में उनकी बात को तरजीह दी जाएगी। उन्होंने जो किया वह भयानक है। आपने देखा कि उन्होंने एक अमेरिकी सैनिक को मार डाला, उन्होंने 12 लोगों को मार दिया, निर्दोष लोग, बिल्कुल निर्दोष लोग। उनमें से कई लोग आम नागरिक थे।' उन्होंने कहा, 'उन्होंने जो किया, उससे उन्हें लगा कि ऐसा करने से वार्ता में उनके रुख को तवज्जो दी जाएगी। मैंने कह दिया कि यह उनका अंत है- उन्हें खत्म करो। मैं उनके साथ कुछ नहीं करना चाहता।

नो-डील ब्रेग्जिट से ब्रिटेन में खाद्यान्न की कमी की आशंका : दस्तावेज

एडिनबर्ग (ब्रिटेन), 12 सितंबर (एएफपी)।

स्कॉटलैंड की अदालत द्वारा ब्रिटिश संसद के निलंबन को अवैध बताए जाने के बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से इसे वापस लेने की मांग की गई। वहीं सरकारी दस्तावेजों में यह चेतावनी दी जा रही है कि नो-डील ब्रेग्जिट से देश में नागरिक अशांति फैल सकती है और खाद्यान्न व दवाओं की कमी हो सकती है।

सरकार द्वारा मजबूरन बुधवार को सार्वजनिक किए गए ऑपरेशन येलोहैमर के दस्तावेजों से यह जाहिर हुआ है कि नो-डील ब्रेग्जिट की तैयारियां बहुत निचले स्तर पर थीं और इंग्लिश चैनल के बंदरगाह लगातार आपूर्ति रोकने की धमकियां दे रहे हैं। उन दस्तावेजों में ऐसे हालात में सार्वजनिक अशांति और समुदायों के बीच तनाव फैलने की आशंका भी जताई गई है। मंत्री माइकल गोव का कहना है कि दस्तावेज बताते हैं कि अगर हालात बहुत सही रहे तब भी क्या स्थिति हो सकती है। इस बीच सरकार ने स्कॉटिश अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई अगले मंगलवार को करेगा। संसद की कार्यवायी बंद रहेगी।

भारत व स्विट्जरलैंड के बीच सहयोग की विपुल संभावनाएं : कोविंद

बर्न, 12 सितंबर (भाषा)।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच बर्न से लेकर बंगलुरु और अनुसंधान प्रयोगशालाओं से लेकर विनिर्माण इकाइयों तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की विपुल संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने प्रतिष्ठित 'बर्न विश्वविद्यालय' में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच 'नए युग' की भागीदारी और विभिन्न सेक्टरों में सहयोग के क्षेत्रों पर प्रकाश डाला है।

आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और स्लोवेनिया की तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में कोविंद ने कहा, 'यह विस्तृत विषय है। हम जिस डिजिटल दौर में हैं, उसके अनुसार ऐसा करना (सहयोग) स्वाभाविक है। यह हरित विकास, समुद्र से जुड़ी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण बदलाव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवाचार और स्मार्ट समाधान का दौर है।' उन्होंने कहा, 'बर्न से लेकर बंगलुरु तक और अनुसंधान प्रयोगशालाओं से लेकर विनिर्माण इकाइयों तक इन क्षेत्रों में काफी कार्य किया जा रहा है। हम मशीन-बुद्धिमत्ता के युग की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में और भी बहुत कुछ होगा। ये कारक और बल भारत-स्विट्जरलैंड के भविष्य के संबंध को परिभाषित करने में अहम भूमिका निभाएंगे। हम जब भविष्य की हमारी साझेदारियों के निर्माण के लिए तैयार हैं, तो ऐसे में हम हमारी अतीत की और मौजूदा भागीदारियों तथा हमारे मूलभूत सिद्धांतों से ताकत व प्रेरणा लेना जारी रखेंगे।'

ट्रंप को नए शरणार्थी नियमों को लागू करने की मंजूरी मिली

वाशिंगटन, 12 सितंबर ।

अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने प्रशासन को नए शरणार्थी नियमों को लागू करने की अनुमति दे दी है। अमेरिका में शरण मांग रहे लोगों की संख्या में कटौती करने वाले इन नए नियमों को लागू करने की अनुमति देना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी राजनीतिक जीत है। इस फैसले से ट्रंप प्रशासन अपनी नीति को लागू कर पाएगा। हालांकि निचली अदालतों में इस संबंध में मुकदमे चल रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों सोनिया सोतोमेयर और रुद बेडर गिन्सबर्ग ने इस आदेश पर असहमति जताई है। वाइट हाउस ने इस फैसले का स्वागत किया है। ट्रंप ने ट्वीट किया, 'शरणार्थी मामले पर उच्चतम न्यायालय से अमेरिका के लिए बड़ी जीत।'

मोदी के स्वागत के लिए ह्यूस्टन में लगे डिजिटल होर्डिंग

ह्यूस्टन, 12 सितंबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए ह्यूस्टन की मुख्य सड़कों पर बड़े-बड़े डिजिटल होर्डिंग लगाए गए हैं और मकानों के बाहर तिरंगा झंडे लहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री बड़े प्रवासी भारतीय कार्यक्रम के लिए 22 सितंबर को यहां आने वाले हैं।

ह्यूस्टन स्थित गैर लाभकारी संस्था टेक्सास इंडिया फोरम ने बताया कि एनआरजी स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम -आप कैसे हैं, मोदी! के लिए रेकार्ड संख्या में 50 हजार से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम 'वूवेन : द इंडियन-अमेरिकन स्टोरी' का शो 90 मिनट का होगा। फोरम ने कहा, 'साझा सपने, उज्ज्वल भविष्य' शीर्षक वाले कार्यक्रम में भारतवंशी की सफलता और अमेरिका में उनके योगदान और अमेरिका-भारत संबंध की मजबूती पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रवक्ता गीतेश देसाई ने कहा, 'हम चाहते हैं कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले और घर से ही इसे देखने वाले सभी लोग एक ऐसे कार्यक्रम से जुड़ें जिसमें भारतवंशी अमेरिकी समुदाय को दिखाया जाएगा। साथ ही वे इस बात को समझ सकें कि किन चीजों ने हमारे समुदाय को वृहत अमेरिकी अनुभव का हिस्सा बनाया।' अमेरिका में प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित ह्यूस्टन कार्यक्रम मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरा और उनके दूसरे कार्यकाल का पहला कार्यक्रम होगा।

वैश्विक रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की मौजूदगी बढ़ी

लंदन, 12 सितंबर (भाषा)।

विश्व के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों की सालाना रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी मौजूदगी 49 से बढ़ा कर 56 की है। लेकिन भारत इस साल की 'टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग' में शीर्ष 300 से बाहर हो गया और 2012 के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है।

भारत के शीर्ष रैंक वाला संस्थान- बंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आइआइएससी) के इस बार के शीर्ष 300 से बाहर होने के साथ 2012 के बाद से पहली बार कोई भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान शीर्ष 300 में शामिल नहीं है। वहीं, ब्रिटेन का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार चौथी बार शीर्ष स्थान पर है।

हालांकि, आइआइएससी अब भी भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है। लेकिन यह '251-300' की श्रेणी से लुढ़क कर '301-350' की श्रेणी में चला गया है। इससे इसके शोध माहौल, शिक्षण माहौल और उद्योगों के लिए उपयोगिता के स्तर में कमी आना प्रदर्शित होता है।

टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग की संपादक एली बोथवेल ने कहा, 'भारत की तेजी से बढ़ती युवा आबादी और अंग्रेजी भाषा के निर्देश माध्यम के रूप में इस्तेमाल से वैश्विक उच्चतर शिक्षा में उसके (भारत के) पास अपार संभावना है। हालांकि, इस साल की शीर्ष 300 रैंकिंग से देश का बाहर होना और सिर्फ मुट्ठी भर संस्थानों का प्रगति करना काफी निराशाजनक है।'

विश्वविद्यालयों की संपूर्ण सूची में कुल 56 भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी जगह बनाई है जो पिछले साल की संख्या 49 से अधिक है। विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत पांचवें स्थान पर है। इस सिलसिले में एशिया में जापान और चीन के बाद इसका स्थान है।

नए विश्वविद्यालयों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी), रोपड़ ने प्रभावशाली तौर पर अपना नाम दर्ज कराया है, उसने आइआइटी इंदौर (जो 351-400 की श्रेणी में बना हुआ है) को पछाड़ कर यह उपलब्धि दर्ज कराई।

कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पांचवें पायदान से छलांग लगाते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तीसरे, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय चौथे और मैसाचुएटेस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पांचवें स्थान पर चला गया। इन तीनों विश्वविद्यालयों की रैंकिंग एक-एक स्थान नीचे आई है। प्रिंसटन विश्वविद्यालय और हावर्ड विश्वविद्यालय की रैंकिंग एक दूसरे से बदल कर क्रमशः छठी और सातवीं हो गई।

अमेरिका में ई-सिगरेट पर लग सकती है पाबंदी

वाशिंगटन, 12 सितंबर (भाषा)।

अलग अलग फ्लेवर वाली ई-सिगरेट के कारण बढ़ते सेहत संबंधी जोखिमों को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका प्रशासन इन पर पाबंदी लगाने पर विचार कर रहा है। गौरतलब है कि कई लोगों की मौत का संबंध ई-सिगरेट से पाया गया है।

अमेरिका के 33 राज्यों में छह लोगों की मौत और फेफड़ों के रोग के 450 मामलों के पीछे वजह ई-सिगरेट पीना मुख्य वजह पाया गया है। इन 450 मामलों में ज्यादातर पीड़ित औसतन 19 वर्ष आयु वर्ग के युवा हैं। ई-सिगरेट पीने को वेपिंग कहते हैं। ट्रंप के मुताबिक वेपिंग 'एक नई समस्या' है खासकर बच्चों के बीच। वेपिंग के बारे में स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात के बाद ट्रंप ने वाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, 'मौत के मामले हैं और बहुत सारी अन्य समस्याएं भी हैं। लोगों को लगता है कि यह सिगरेट का एक आसान विकल्प है लेकिन पता चला है कि इसकी भी अपनी समस्याएं हैं।' उन्होंने कहा, 'यह एक नई समस्या है। ऐसी समस्या जिसके बारे में कुछ साल पहले तक किसी ने वास्तव में सोचा भी नहीं था। यह समस्या है वेपिंग। खासतौर से इसलिए क्योंकि इसका संबंध मासूम बच्चों से है। वे घर आते हैं और कहते हैं, 'मां मैं वेप करना चाहता हूं,' और अभिभावकों को इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता।'

स्वास्थ्य एवं मानवीय सेवा सचिव ऐलेक्स अजर ने कहा कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) का इरादा एक मार्गदर्शक दस्तावेज को अंतिम रूप देने का है जो तंबाकू के अलावा अन्य सभी फ्लेवर को बाजार से हटाने से जुड़ा होगा। इसमें मिंट, मैंथॉल, कैंडी, फ्रूट और अल्कोहल फ्लेवर शामिल हैं। सांसदों, सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों, अभिभावकों और शिक्षाविदों की ओर से वाइट हाउस और एफडीए पर इस तरह का फैसला लेने का दबाव था। वे लोग किशोरों के बीच वेपिंग की लोकप्रियता को लेकर चिंतित हैं और ई-सिगरेट से उन्हें दूर करने में खुद को बेबस पा रहे हैं।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर

ई-निविदा आमंत्रण सूचना (अल्पकालीन)
ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-44/2019-20
प०नि०वि०/जमशेदपुर/दिनांक-12.09.2019

1	कार्य का नाम	जमशेदपुर शहर के "(i) मर्सी अस्पताल से टेल्को तक पथ के उन्नयन कार्य (जोड़ा पुल के पुनर्निर्माण सहित) (लं०-5.88 कि०मी०) (ii) सन्डे बाजार से बारीडीह बाजार पथ के उन्नयन कार्य (लं-2.323 कि०मी०) (कुल समेकित लंबाई-8.203 कि०मी०) का निर्माण कार्य।
2	प्राक्कलित राशि	₹ 7,29,93,022/- (सात करोड़ उनतीस लाख तिरानबे हजार बाईस रूपये) मात्र।
3	कार्य पूर्ण करने की अवधि	08(आठ) माह।
4	वेबसाईट पर निविदा प्रकाशन की तिथि	20.09.2019 (10:30 पूर्वाह्न)
5	निविदा प्राप्त करने का अंतिम तिथि एवं समय	04.10.2019 (दोपहर 12:30 बजे तक)।
6	निविदा खुलने की तिथि	09.10.2019 (दोपहर 12.30 बजे)
7	निविदा आमंत्रित करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर।
8	ई-मेल पता :-	eercdjamshed-jhr@nic.in
9	विज्ञापनदाता का दूरभाष संख्या-	0657-2227724
10	ई-प्रोक्यूरमेन्ट सेल का दूरभाष संख्या	0651-2401010

विस्तृत जानकारी वेबसाईट http://jharkhandtenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर

बूंद - बूंद नहीं बरतेंगे तो बूंद को तरसेंगे

PR216736 (Road)19-20*D

झारखंड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा०का०मा०) मुख्य अभियंता का कार्यालय
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, रांची

ई- निविदा आमंत्रण सूचना

ई-निविदा संख्या:- 129/2019-20/RDD(RWA)/KHUNTI — दिनांक :- 11.09.2019

मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा०का०मा०), झारखंड, राँची द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र० सं०	आईडेन्टी फिकेशन संख्या/पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में) अंक में	अक्षर में	कार्य समाप्ति की तिथि
1.	RDD(RWA)/KHUNTI/08/2019-20	हुटार लोधमा पथ (घाघरा मोड़) से खूँटी कर्रा मेन रोड (डुमरदगा) भाया घाघरा गुटजोरा सिलादोन तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य (लम्बाई- 5.370 कि०मी०)	2,05,44,800.00	दो करोड़ पाँच लाख चौवालीस हजार आठ सौ रू० मात्र	12 माह

2. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि:- 23.09.2019
3. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय:- 01.10.2019 अपराह्न 5.00 बजे।
4. जिला नियंत्रण कक्ष, रांची में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ पत्र के मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि:- 03.10.2019पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय:- 04.10.2019 पूर्वाह्न 11.30 बजे।
6. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता:- मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा० का० मामले), झारखंड, रांची, 102 द्वितीय तल्ला अभियंत्रण भवन, रांची।
7. ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं०- 0651-2207818
8. निविदा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा० का० मामले), कार्य प्रमंडल, खूँटी के पक्ष में भुगतेय होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।

नोडल पदाधिकारी
ई-प्रोक्युर्मन्ट सेल

PR 216660 (Rural Work Department)19-20#D

बूंद - बूंद नहीं बरतेंगे तो बूंद को तरसेंगे

SVAM SOFTWARE LIMITED
CIN: L65100DL1992PLC047327
Regd. Office: S-524, Vikas Marg Shakarpur Delhi 110092
E-mail id: svamsoftwareltd@gmail.com
Website: www.svamsoftwareltd.in

NOTICE

The Notice is hereby given that 27th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Svam Software Limited will be held on Monday, the 30th September 2019 at 9:30 a.m. at "Hotel Aura Grand Residency", at 439, Jagriti Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092, to transact the business mentioned in the notice.

The copies of the Notice of the AGM, Attendance Slip and Proxy Form have been sent to all the Members of the Company appear in registers on Monday, August 26th 2019, along with the Annual Report for the year ended 31st March, 2019. The Full Annual Report with aforesaid documents are also available on the website of the Company at **http://svamsoftwareltd.in/**

Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 (Act) and as per the Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR") the register of members and the share transfer books of the company will remain closed from, the 21st September 2019 to 30th September 2019 (both days inclusive).

The Cut-Off date for determining the eligibility of Members for voting through remote e-voting and voting at the AGM is 22nd September 2019.

The remote e-voting period commences on September 27th, 2019 at 9:00 A.M. and ends on September 29th, 2019 at 05.00 P.M. after which remote e-voting will not be allowed.

The facility of voting by papers and polling will also be made available at the AGM venue to the Members who have not cast their vote through remote e-voting.

- In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at **www.evotingindia.com**, under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com**

For Svam Software Limited
Sd/-
Sudhir Kumar Agarwal
Director

Date: 12.09.2019
Place: Delhi

SARNIMAL INVESTMENT LIMITED
CIN:- L65100DL1981PLC012431
Regd. Off: 439, Vikas Marg , Jagriti Enclave Delhi-110092
E-mail ID: sarnimalinvestltd@gmail.com,
Website: www.sarnimal.com

NOTICE

The Annual General Meeting ("AGM") of the members of Sarnimal Investment Limited will be held on Monday, the 30th September 2019 at 11:30 a.m. at "Hotel Aura Grand Residency", Jagriti Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092, to transact the business mentioned in the notice convening the said meeting which is being sent to the members names in registers on August 25th 2019, along with the Annual Report for the year ended 31st March, 2019.

Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 (Act) the register of members and the share transfer books of the company will remain closed from the 21st September 2019 to 30th September 2019 (both days inclusive).

Pursuant to the provisions of section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Standard 2 of the Secretarial Standard on General Meeting, the Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote by electronic means ("remote e-voting) as provided by CDSL on all resolutions as set out in the notice of AGM.

- Date and time of commencement of remote e-voting: September 27th 2019 at 9:00 A.M.
- Date and time of end of remote e-voting: September 29th 2019 at 05.00 P.M.
- Cut- off date for determining the eligibility to vote: September 22nd 2019
- Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM. Members attending the meeting.
- Members who cast their vote by remote e-voting may also attend the meeting, but shall not be able to exercise their right at the meeting.
- The Notice of AGM is available on the Company website- **www.sarnimal.com** and on the website of CDSL **www.evotingindia.com.**
- In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at **www.evotingindia.com,** under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com.**

For Sarnimal Investment Limited
Sd/-
Nitin Agarwal
Managing Director

Date: 12.09.2019
Place: Delhi

TRIDEV INFRAESTATES LIMITED
(Formerly Known as Ashutosh Paper Mills Limited)
CIN: L65100DL1988PLC033812
Regd. Office: 269 G/F Triveni Apartment Swayam Sewa CGHS Limited Jhilmil Colony Delhi 110095
E-mail id: ashutoshpapermills@gmail.com Website: www.tridevinfraestates.in

NOTICE

The Notice is hereby given that Annual General Meeting ("AGM") of the members of Tridev Infraestates Limited will be held on Monday, the 30th September 2019 at 12:00 p.m. at "Hotel Aura Grand Residency", at 439, Jagriti Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092, to transact the business mentioned in the notice.

The copies of the Notice of the AGM, Attendance Slip and Proxy Form have been sent to all the Members of the Company appear in registers on Sunday, August 25th 2019, along with the Annual Report for the year ended 31st March, 2019. The Full Annual Report with aforesaid documents are also available on the website of the Company at **http://tridevinfraestates.in/**

Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 (Act) and as per the Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR") the register of members and the share transfer books of the company will remain closed from Saturday, the 21st September 2019 to Friday, 30th September 2019 (both days inclusive).

The Cut-Off date for determining the eligibility of Members for voting through remote e-voting and voting at the AGM is Sunday, 22nd September 2019.

The remote e-voting period commences on September 27th, 2019 at 9:00 A.M. and ends on September 29th, 2019 at 05.00 P.M. after which remote e-voting will not be allowed.

The facility of voting by papers and polling will also be made available at the AGM venue to the Members who have not cast their vote through remote e-voting.

- In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at **www.evotingindia.com,** under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com.**

For Tridev Infraestates Limited
Sd/-
Atul Kumar Agarwal
Director

Date: 12.09.2019
Place: Delhi

ABHINAV LEASING AND FINANCE LIMITED
CIN: L65100DL1984PLC018748
REGD OFF: S-524, IST FLOOR, VIKAS MARG, SHAKARPUR-DELHI-110092
Email: abhinavleasefinltd@gmail.com,
Website: www.abhinavleasefinltd.in

NOTICE

The Notice is hereby given that Annual General Meeting ("AGM") of the members of Abhinav Leasing and Finance Limited will be held on Monday, the 30th September 2019 at 10:30 a.m. at "Hotel Aura Grand Residency", at 439, Jagriti Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092, to transact the business mentioned in the notice.

The copies of the Notice of the AGM, Attendance Slip and Proxy Form have been sent to all the Members of the Company appear in registers on Friday, August 25th 2019, along with the Annual Report for the year ended 31st March, 2019. The Full Annual Report with aforesaid documents are also available on the website of the Company at **http://abhinavleasefinltd.in/**

Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 (Act) and as per the Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the register of members and the share transfer books of the company will remain closed from Saturday, the 21st September 2019 to Monday, 30th September 2019 (both days inclusive).

The Cut-Off date for determining the eligibility of Members for voting through remote e-voting and voting at the AGM is 22nd September 2019.

The remote e-voting period commences on Friday, September 27th, 2019 (9:00 A.M.) and ends on Sunday, September 29th, 2019 (5.00 P.M.) after which remote e-voting will not be allowed.

The facility of voting by papers and polling will also be made available at the AGM venue to the Members who have not cast their vote through remote e-voting.

- In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at **www.evotingindia.com,** under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com.**

For Abhinav Leasing and Finance Limited
Sd/-
Atul Kumar Agarwal
Director

Date: 12.09.2019
Place: Delhi

DETAILED PUBLIC STATEMENT (DPS) PURSUANT TO REGULATIONS 3(2) READ WITH REGULATIONS 13(4), 14(3) AND 15(2) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 (AS AMENDED) (SEBI (SAST) REGULATIONS) TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS (AS DEFINED BELOW) OF

FRONTIER INFORMATICS LIMITED

Registered Office: Plot Nos. 31 (part) & 32, 3rd Floor, Tower-A, Ramky Selenium Financial District Nanakramguda, Hyderabad – 500 032, Telangana, India
Tel No: 040-23007456; **Email:** frontier@fitlindia.com; **Website:** www.fitlindia.com; **Corporate Identity Number:** L72200TG1986PLC006644

Open Offer ("Offer") for acquisition of upto 2,46,88,352 (Two crore forty six lacs eighty eight thousand three hundred fifty two) fully paid up equity shares of face value of ₹ 1 each ("equity shares"), representing 26% of the total emerging voting share capital of Frontier Informatics Limited ("Target Company") by Ramarao Atchuta Mullapudi ('Acquirer') together with Harika Vardhani Mullapudi, as person acting in concert with the acquirer (PAC)

This DPS is being issued by Saffron Capital Advisors Private Limited, the manager to the offer ("Manager"), for and on behalf of the Acquirer and PAC in compliance with regulation 3(2) read with regulations 13(4), 14(3) and 15(2) of the SEBI (SAST) Regulations, pursuant to the public announcement in relation to this open offer ("PA") filed with BSE Limited ("BSE") ("Stock Exchange") on September 05, 2019 and sent to the Target Company at its registered office on September 06, 2019 . The PA was filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") on September 06, 2019.

For the purpose of this DPS, the following terms have the meaning assigned to them herein below:

"Board of Directors" means the board of directors of the Target Company.

"Emerging Voting Share Capital" means the emerging fully diluted voting equity share capital of the Target Company as of the 10th working day from the closure of the tendering period for the Open Offer, computed in the manner set out in paragraph II (3) (Background to the Offer).

"Identified Date" means the date falling on the 10th (tenth) working day prior to the commencement of the tendering period for the Open Offer, for the purposes of determining the Public Shareholders to whom the Letter of Offer shall be sent. It is clarified that all the Public Shareholders (registered or unregistered) who own Offer Shares are eligible to participate in this Open Offer at any time before expiry of the tendering period.

"NRI" means a non-resident Indian, as defined under the FEMA.

"Offer Shares" means 2,46,88,352 (Two crore forty six lacs eighty eight thousand three hundred fifty two only) Shares.

"Public Shareholders" means all the public shareholders of the Target Company other than the Acquirer, PAC, Promoter and promoter group members.

"Shares" means fully paid up equity shares of the face value of ₹ 1 (Rupee one only) each of the Target Company.

I. ACQUIRER, PAC, TARGET COMPANY AND OFFER

1. INFORMATION ABOUT THE ACQUIRER RAMARAO ATCHUTA MULLAPUDI

(a) Acquirer, aged 55 years, S/o Mr. Sri Raghunayakulu, is residing at 4588, Kentucky DR Plano, Texas - 75024, United States of America; Email: ramarao@aol.com

(b) Acquirer is an Overseas Citizen of India (OCI Card No. A022983) and holds a Permanent Account Number AOTPM9805Q.

(c) Acquirer holds a Bachelor's Degree in Science and Master's Degree in Computer Applications from Andhra University. He has completed Owner/President Management Program from Harvard Business School.

(d) Acquirer is the Promoter of the Target Company and is also the founder of XTGlobal, Inc, a Company engaged in providing technology services and IT business services. He has an experience of about 32 years in the field of Information Technology (IT) and Information Technology Enabled Services (ITES).

(e) The details of the ventures promoted/controlled/managed by the Acquirer in India as well as in the United States of America are as given hereunder:

Sr. No.	Name of the Entities	Country of incorporation	Nature of Interest	Percentage stake/holding
1.	Frontier Informatics Limited	India	Shareholder, Promoter; Director and Non-Executive Chairman	50.04%*
2.	Xenosoft Technologies (India) Private Limited	India	Non-Executive Director and Shareholder	77.49%
3.	XT Global Inc	USA	Director & CEO	--
4.	Circulus LLC	USA	Partner	--
5.	Mullapudi Ventures LLC	USA	Partner	50%
6.	VRM Family Holdings LP	USA	Member	50%
7.	Sunnyside Enterprises LLC	USA	Partner	50%

*As a % of existing share capital of the Target Company

(Source: www.mca.gov.in and letter dated September 05, 2019 received from the Acquirer)

(f) Except as stated in this para, none of the entities mentioned under point (e) above are interested with the Acquirer in this Open Offer. The Acquirer is a majority shareholder and a Director in Xenosoft Technologies (India) Private Limited, whose shares are being acquired by the Target Company, as detailed in para 4.6.

(g) Except as mentioned under point (e) above, Acquirer confirms that he does not hold directorships in any company, including any other listed company.

(h) The Net Worth of Acquirer and PAC as on September 05, 2019 is ₹ 63.82 crores (Rupees Sixty three crores eighty two lacs), which is certified by C Ramachandram, Partner of C Ramachandram & Co, Chartered Accountants (Membership Number 025834; Firm Registration Number 002864S; Email: crcoca@gmail.com) having his office at 3-6-237,Unit #606, Lingapur La Builde Complex, Himayatnagar, Hyderabad – 500 029, Telangana, India, vide a certificate dated September 05, 2019, bearing Unique Document Identification Number (UDIN) 19025834AAAAPO1586.

(i) As on the date of this DPS, Acquirer holds 2,55,00,125 Shares representing 50.04% of the existing Voting Share Capital of the Target Company and constitutes 26.85% of the Emerging Voting Share Capital of the Target Company.

(j) There has been a delayed compliance in relation to the applicable provision of Chapter V, of the SEBI (SAST) Regulations by the Acquirer. SEBI may take appropriate action against the Acquirer for the delayed compliance.

(k) Acquirer undertakes not to sell the Shares of the Target Company held by him during the "Offer Period" in terms of Regulation 25(4) of the SEBI (SAST) Regulations.

(l) Acquirer does not belong to any group. He is the promoter of the Target Company.

(m) Harika Vardhani Mullapudi, being the daughter of the Acquirer and also a shareholder of Xenosoft Technologies (India) Private Limited is considered as a person acting in concert for the purpose of this open offer.

(n) Acquirer confirms that he has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of the provisions of Section 11B of the SEBI Act, 1992, as amended (the "SEBI Act") or under any other Regulation made under the SEBI Act.

(o) Acquirer confirms that he has not been declared a fugitive economic offender under Section 12 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018

(p) Acquirer confirms that there are no pending litigations pertaining to securities market where he is made party to.

(q) Acquirer has confirmed that he is not categorized as a "willful defaulter" in terms of regulation 2(1)(ze) of the SEBI (SAST) Regulations.

2. INFORMATION ABOUT THE PERSON ACTING IN CONCERT - HARIKA VARDHANI MULLAPUDI

(a) PAC, aged 27 years d/o Ramarao Atchuta Mullapudi, is residing at 4588, Kentucky DR Plano, Texas - 75024, United States of America; Email: hmullapudi@email.xtglobal.com

(b) PAC is an Overseas Citizen of India (OCI Card No. A022985) and holds a Permanent Account Number BSDPM1395J

(c) PAC holds a degree in Master of Science in International Business from Hult International Business School, London, United Kingdom and has 5 years of experience in the field of Information Technology Services and Marketing.

(d) PAC is not a director on the Board of Directors of the Target Company and does not hold any other directorships in any other companies.

(e) The Net Worth of Acquirer and PAC as on September 05, 2019 is ₹ 63.82 crores (Rupees Sixty three crores eighty two lacs), which is certified by C Ramachandram, Partner of C Ramachandram & Co, Chartered Accountants (Membership Number 025834; Firm Registration Number 002864S; Email: crcoca@gmail.com) having his office at 3-6-237,Unit #606, Lingapur La Builde Complex, Himayatnagar, Hyderabad – 500 029, Tel-angana, India, vide a certificate dated September 05, 2019, bearing Unique Document Identification Number (UDIN) 19025834AAAAPO1586.

(f) As on the date of this DPS, PAC does not hold any Shares of the Target Company. Except for the proposed preferential allotment allotment (being a shareholder in Xenosoft Technologies (India) Private Limited) as stated below in point 4.6 of this DPS and the fact that she is the daughter of the Acquirer (who is also the Promoter, Director and Shareholder of the Target Company), PAC does not hold any interest in the Target Company.

(g) PAC undertakes not to sell the Shares of the Target Company held by her during the "Offer Period" in terms of Regulation 25(4) of the SEBI (SAST) Regulations.

(h) PAC does not belong to any group. PAC is the daughter of the Acquirer.

(i) PAC confirms that she has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of the provisions of Section 11B of the SEBI Act, 1992, as amended (the "SEBI Act") or under any other Regulation made under the SEBI Act.

(j) PAC confirms that she has not been declared a fugitive economic offender under Section 12 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018

(k) PAC confirms that there are no pending litigations pertaining to securities market where she is made party to.

(l) PAC has confirmed that she is not categorized as a "willful defaulter" in terms of regulation 2(1) (ze) of the SEBI (SAST) Regulations

3. INFORMATION ABOUT THE SELLERS : NOT APPLICABLE

4. INFORMATION ABOUT THE TARGET COMPANY

FRONTIER INFORMATICS LIMITED ("Target Company")

4.1 The Target Company was incorporated on July 29, 1986 under the Companies Act 1956 as Frontier Information Technologies Private Limited. It was converted to public company and its name was changed to Frontier Information Technologies Limited. A fresh Certificate of Incorporation pursuant to such conversion was issued on January 16, 1995. The name of the Target Company was further changed to Frontier Informatics Limited on October 14, 2011.

4.2 The registered office of the Target Company is situated at Plot Nos. 31 (part) & 32, 3rd Floor, Tower-A, Ramky Selenium Financial District Nanakramguda, Hyderabad – 500 032, Telangana, India; Email: frontier@fitlindia.com; Website: www.fitlindia.com

4.3 Corporate Identity Number of the Target Company is L72200TG1986PLC006644.

4.4 The objects of the Target Company as per its Memorandum of Association inter-alia include:-

a) To design, develop, use, implement, lease, purchase, sell import, export, distribute, Maintain and support various kinds of software for any information, processing application.

b) To design, develop, assemble, manufacture, use, install, purchase , sell, value add and resell, import, export, distribute, maintain and support computers, micro processors, communication equipment and any other electronic, mechanical, electro mechanical, optical, electro magnetic equipment and any combination of these for information processing application.

c) To design integrated and other electronic circuits and lubricate them.

Frontier Informatics Limited (FIL) is engaged in Onsite Consultancy Services, Offshore Software Development, Product Development and Internet Enabled Services. FIL has undertaken offshore development projects for clients in USA, UK, Switzerland and Sri Lanka. It has also provided onsite consultancy services for many prestigious clients in USA. FIL's project teams use development aids for design, development and testing. FIL was the second company in the undivided state of Andhra Pradesh to obtain ISO 9001 certification from BVQI, UK.

(Source: http://www.fitlindia.com/corporate-vision.php)

4.5 The Authorized Share Capital of the Target Company is ₹ 18 Crores comprising of 18,00,00,000 Equity Shares of face value ₹ 1 each. The current Issued, Subscribed and paid up Share Capital of the Target Company is ₹ 5,09,55,198 comprising of 5,09,55,198 Equity Shares of face value ₹ 1 each.

4.6 The Board of Directors of the Target Company in their meeting held on September 05, 2019, have decided to acquire around 33.94% of total equity of Xenosoft Technologies (India) Private Limited (Xenosoft) from its existing shareholders by alloting 4,40,00,000 Shares of ₹ 1 each at a premium of ₹ 2.50 per Share amounting to ₹15,40,00,000 on a preferential basis (Preferential Allotment) to the shareholders of Xenosoft in proportion to their respective shareholding in the Xenosoft for consideration other than cash, subject to approval by shareholders at the ensuing Annual General Meeting to be held on September 30, 2019, and statutory / regulatory approvals. The Acquirer, being a majority shareholder in Xenosoft, along with PAC (daughter of the Acquirer), who is also a shareholder in Xenosoft, have therefore triggered Regulation 3(2) of the SEBI (SAST) Regulations.

4.7 Pursuant to the above, the paid up capital of the Target Company shall be ₹ 9,49,55,198 comprising of equivalent number of equity shares of face value ₹ 1 each.

4.8 There are no outstanding partly paid up shares or any other convertible instruments to be converted into Shares of the Target Company at a future date.

4.9 The Shares of the Target Company were initially listed on Hyderabad Stock Exchange Limited (HSE) and BSE pursuant to its Initial Public Issue. Subsequently, after HSE was derecognized as a Stock Exchange vide SEBI Order dated January 25, 2013, the equity shares of the Target Company are listed only on BSE with scrip code: 531225 and scrip id: FRONTIER and are placed under Graded Surveillance Measure Stage 4.

4.10 The trading in Shares of the Target Company was suspended from the period May 15, 2017 to October 15, 2017 due to pendency of approval of reduction of Scheme.

4.11 The Shares of the Target Company are infrequently traded on BSE within the meaning of explanation provided in Regulation 2(j) of the SEBI (SAST) Regulations.

4.12 The name of the Target Company appeared in the list of 331 shell companies issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA"). Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its Letter No. SEBI/HO/ISD/ISD/OW/P/2017/18183 dated August 07, 2017 placed trading restrictions on promoters/ directors of the Target Company and also placed the scrip in the Trade to Trade category with limitation on the frequency of trades and imposed a limitation on the buyer by way of 200% deposit on the trade value.

The Target Company aggrieved by the notice dated August 07, 2017 issued by SEBI and BSE, filed an appeal No. 218 of 2017 before Honorable Securities Appellate Tribunal (SAT). SAT vide its order dated September 11, 2017 directed SEBI dispose the representation made by the Target Company. The Whole Time Member of SEBI, vide order number SEBI/HO/ISD/OW/P/2017/24643/1 dated October 05, 2017 revoked the actions envisaged in SEBI's letter dated August 07, 2017 and the consequential actions taken by Stock Exchange against the Target Company.

4.13 The brief standalone audited financial information of the Target Company for the financial years ended March 2019, 2018 and 2017 and the stub period are detailed as under:

(Amount in ₹ Lacs, except EPS)

Particulars	Q1 FY 2020	FY 2019*	FY 2018	FY 2017
	Unaudited Reviewed	Audited	Audited	Audited
Total Income (Income from Operations + Other Income)	56.64	41.77	4.72	3.42
Net Profit/(Loss) after tax	19.68	2.87	(31.63)	(20.13)
Earnings per Share (EPS)	0.06	0.02	(0.25)	(0.30)
Net Worth	227.33	(175.35)	(178.22)	(206.59)

**The Financials for the Year ended on 31st March, 2019 have been approved by the Board of Directors of the Target Company vide their resolution dated May 27, 2019 which will be subject to the approval of shareholders in the ensuing AGM to be held on September 30, 2019.*

4.14 There have been certain delayed compliances in relation to the applicable provisions of Chapter V of the SAST Regulations, 2011 by the Promoter and Promoter Group (excluding the Acquirer) of the Target Company. SEBI may take appropriate action against the Promoter and Promoter Group for these delayed compliances.

4.15 The Board of the Target Company met on December 04, 2017 and resolved to allot 60,00,000 Shares on a preferential basis to Acquirer, which triggered the mandatory open offer. In the said open offer, which was completed on March 16, 2018, 125 Shares were tendered and thereafter 60,00,000 Shares as stated above were allotted on a preferential basis by the Target Company on March 20, 2018. Basis the same, the Acquirer has been classified as a promoter of the Target Company thereafter and is currently the Chairman on the Board of the Target Company. The Acquirer was on April 22, 2019 allotted 1,95,00,000 Shares of the Target Company on a preferential basis along with others, taking his total shareholding in the Target Company to its current number of 2,55,00,125 Shares. The Board of Directors of the Target Company in its meeting held on September 05, 2019, have appointed the Acquirer as a Chairman and Managing Director for a period of Five (5) years, subject to the approval of the shareholders at the ensuing Annual General Meeting scheduled on September 30, 2019.

4.16 Mr. Velchala Premchand Krishna Rao and Ms. V Radhabai forming part of the current Promoter and Promoter Group of the Target Company holding 7,61,275 Shares representing 1.49% of the current Paid up Share Capital of the Target Company have vide their letter dated August 13, 2019 expressed their intention to be denotified as a shareholder in the "Promoter Category" subject to compliance with Regulation 31A of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, as amended, and receipt of shareholders and regulatory approvals as may be applicable. The same was tabled in the meeting of the Board of Directors of the Target Company held on September 05, 2019 and was approved, subject to shareholders approval at a later date.

5. DETAILS OF THE OFFER

5.1 This Open Offer is a mandatory offer in compliance with Regulation 3(2) of the SEBI (SAST) Regulations pursuant to the proposed Preferential Allotment of Shares by the Target Company as elucidated in para 4.6 above.

5.2 The PA announcing the Open Offer, under Regulation 3(2) read with Regulations 13, 14 and 15(1) of the SEBI (SAST) Regulations, was released to the Stock Exchanges on September 05, 2019 and filed with the SEBI on September 06, 2019.

5.3 This Open Offer is being made by the Acquirer and the PAC to all the Public Shareholders of the Target Company, for the acquisition of up to a maximum of 2,46,88,352 (Two crore forty six lacs eighty eight thousand three hundred fifty two) Shares, representing upto 26% (Twenty six per cent) of the Emerging Voting Share Capital (Offer Size) of the Target Company.

5.4 This Offer is being made at a price of ₹ 3.50 (Rupees three and paise fifty only) (the "Offer Price") per fully paid up Share of face value ₹ 1 (Rupee One only) each of the Target Company, payable in cash in accordance with Regulation 9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulations.

5.5 This Offer is not conditional on any minimum level of acceptance and is not a competing offer in terms of Regulations 19 and 20 respectively of the SEBI (SAST) Regulations.

5.6 As of the date of this DPS, there are no partly paid up Shares issued by the Target Company.

5.7 As of the date of this DPS, there are no outstanding (i) instruments convertible into Shares issued by the Target Company that would be converted into Shares by the 10th (Tenth) working day from the closure of the tendering period for the Open Offer, or (ii) employee stock options that have vested or shall vest by the 10th (tenth) working day from the closure of the tendering period of the Open Offer.

5.8 The Acquirer will acquire only Offer Shares that are fully paid up, free from all liens, charges and encumbrances and the Offer Shares shall be acquired together with the rights attached thereto, including all rights to dividend, bonus and rights offer declared thereon.

5.9 As on date of this DPS, the Acquirer has not acquired any Shares during the 12 (Twelve) month period preceding the date of the PA, except for 1,95,00,000 (One crore ninety five lac only) Shares allotted on a preferential basis at a price of ₹ 1 (Rupee one only) per Share on April 22, 2019.

5.10 To the best of the knowledge and belief of the Acquirer and PAC, as on the date of this DPS, there are no statutory or other regulatory approvals required to implement the Offer other than as indicated in section VI of this DPS. If any other statutory or regulatory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such other statutory approvals. The Acquirer and PAC will not proceed with the Offer in the event such statutory approvals are refused in terms of regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations. In the event of withdrawal, a public announcement will be made within two working days of such withdrawal, in the same newspapers in which this DPS has been published and such public announcement will also be sent to SEBI, BSE and to the Target Company at its registered office.

5.11 The Manager to the Offer does not hold any Shares in the Target Company as on the date of appointment as Manager to the Offer and as on the date of this Detailed Public Statement. The Manager to the Offer further declares and undertakes that it shall not deal in the Shares of the Target Company during the period commencing from the date of its appointment as Manager to the Offer till the expiry of 15 days from the date of closure of this Open Offer.

5.12 The Acquirer does not have any plans to alienate any significant assets of the Target Company whether by way of sale, lease, encumbrance or otherwise for a period of two years except in the ordinary course of business. The Target Company's future policy for disposal of its assets, if any, within two years from the completion of Offer will be decided by its Board of Directors, subject to the applicable provisions of the law and subject to the approval of the shareholders through Special Resolution passed by way of postal ballot and the notice for such postal ballot shall contain reasons as to why such alienation is necessary in terms of Regulation 25(2) of SEBI (SAST) Regulations.

5.13 In accordance with Regulation 38 of the LODR Regulations read with Rule 19A of the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, as amended (SCRR), the Target Company is required to maintain at least 25% (Twenty five per cent) public shareholding (Minimum Public Shareholding), as determined in accordance with the SCRR, on a continuous basis for listing. However, if as a result of the purchase of the Offer Shares tendered under the Open Offer and the Shares allotted pursuant to the Preferential Allotment, during the Open Offer period, the public shareholding in the Target Company falls below the Minimum Public Shareholding, the Acquirer and PAC undertake to reduce their shareholding in the Target Company in accordance with Regulation 7(4) of the SEBI (SAST) Regulations, within the time period specified in the SCRR, such that the Target Company complies with the Minimum Public Shareholding requirement.

II. BACKGROUND TO THE OFFER

1. The Board of Directors of the Target Company in their meeting held on September 05, 2019, have decided to acquire around 33.94% of total equity of Xenosoft Technologies (India) Private Limited (Xenosoft) from the existing shareholders of Xenosoft. Accordingly a resolution has been passed to allot 4,40,00,000 Equity shares of ₹ 1 each at a premium of ₹ 2.50 per share amounting to ₹ 15,40,00,000 on a preferential basis (Preferential Allotment) to the shareholders of Xenosoft in proportion to their respective shareholding in the Xenosoft for consideration other than cash, subject to approval by shareholders at the ensuing Annual General Meeting and statutory / regulatory approvals.
2. The Acquirer, being a majority shareholder in Xenosoft, along with PAC (daughter of the Acquirer), who is also a shareholder in Xenosoft, have therefore triggered Regulation 3(2) of the SEBI (SAST) Regulations.
3. The pre and post Preferential Allotment capital of the Target Company would be as follows:

Particulars	No of Shares	Nominal Value (₹)
Pre Preferential Allotment	5,09,55,198	5,09,55,198
Proposed Preferential Allotment	4,40,00,000	4,40,00,000
Emerging Voting Share Capital	9,49,55,198	9,49,55,198

4. The Offer Price is payable in cash, in accordance with Regulation 9 (1) of the SEBI (SAST) Regulations.
5. The Acquirer is one of the Promoters of the Target Company and exercises significant degree of control over the Target Company. After the completion of this Open Offer, and pursuant to preferential allotment of Shares the Acquirer along with PAC will continue to exercise a significant degree of control over the Target Company

III. SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS

1. The current and proposed Shareholding of the Acquirer and PAC in the Target Company and the details of the acquisition are as follows:

Details	Acquirer		PAC	
	Number of Shares	%of Emerging Voting Share Capital	Number of Shares	%of Emerging Voting Share Capita
Shareholding as on the PA date	2,55,00,125	26.85	--	--
Shares acquired between the Public Announcement date and the DPS date	--	--	--	--
Shares proposed to be acquired in the Offer (assuming full acceptance)	2,46,88,352	26.00	--	--
*Post Offer Shareholding on diluted basis on 10th working day after closing of Tendering period	8,42,82,171	88.76	*29,24,942	3.08%

**The Board of Directors of the Target Company in their meeting held on September 05, 2019 have subject to receipt of shareholders approvals and other applicable approvals, resolved to allot 4,40,00,000 Shares to the Acquirer, PAC and others shareholders of Xenosoft (as detailed in para 4.6) on preferential basis in terms of Section 62 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and in terms of SEBI (ICDR) Regulations 2018. Of the same, the Acquirer and the PAC shall be allotted 3,40,93,694 and 29,24,942 equity shares respectively.*

Post offer shareholding includes shares acquired by the Acquirer, assuming full acceptance in the open offer.

In case the public shareholding in the Target Company falls below the Minimum Public Shareholding, the Acquirer and PAC hereby undertake to reduce their shareholding in the Target Company in accordance with Regulation 7(4) of the SEBI (SAST) Regulations, within the time period specified in the SCRR, such that the Target Company complies with the Minimum Public Shareholding requirement.

2. Other than the above as disclosed, the Acquirer and the PAC do not hold any other Shares in the Target Company.

IV. OFFER PRICE

1. The Shares of the Target Company are listed on BSE only.
2. The annualized trading turnover in the Shares of the Target Company on BSE based on trading volume during the twelve calendar months prior to the month of PA (obtained from www.bseindia.com) is as given below:

Stock Exchange	Total no. of equity shares traded during the twelve calendar months prior to the month of PA	Total no. of listed equity shares	Annualized trading turnover (as % of shares listed)
BSE	99,897	5,09,55,198	0.20

3. Based on the information provided in point above, the Shares of the Target Company are infrequently traded on the BSE within the meaning of explanation provided in regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations.
4. The Offer Price of ₹ 3.50 (Rupees three and paise fifty only) is justified in terms of regulation 8 of the SEBI (SAST) Regulations, being the highest of the following:

a)	Highest negotiated price per share for acquisition under the agreement attracting the obligations to make a public announcement for the offer	Not Applicable
b)	The volume weighted average price paid or payable for acquisition(s), whether by the Acquirer or by any person(s) acting in concert, during the fifty two weeks immediately preceding the date of public announcement	₹ 1.00
c)	The highest price paid or payable for any acquisition, whether by the Acquirer or by any person(s) acting in concert, during the twenty six weeks immediately preceding the date of the Public Announcement	₹ 1.00
d)	The volume weighted average market price of shares for a period of sixty trading days immediately preceding the date of the public announcement as traded on the stock exchange where the maximum volume of trading in the shares of the target company are recorded during such period, provided such shares are frequently traded	Not Applicable
e)	^Where the shares are not frequently traded, the price determined by the Acquirer and the Manager to the Open Offer taking into account valuation parameters per Share including, book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares	₹ 0.23
	Other Financial Parameters as at March 31, 2019	
	- Return on Net Worth (%)	(0.02)
	- Book Value per share (₹)	(1.39)
	- Earnings per share (Diluted) (₹)	0.02
	- Price Earnings Multiple (w.r.t offer price of ₹ 3.50 per share)	175

^Rajesh Shah, proprietor of S R R & Co, Chartered Accountants (Membership No. 104961, FRN: 119254W) having office at 102, Sai Astha, 29, Ashok Nagar, Cross Road No.1, Kandivli (East), Mumbai – 400 101, Maharashtra, India; Email: ca.rrshah@gmail.com, vide certificate dated September 05, 2019, has certified that the fair value of the Share of Frontier Informatics Limited as on March 31, 2019 is ₹ 0.23 (Paise twenty three only) based on the Supreme Court decision in the case of Hindustan Lever Employee Union V/s. Hindustan Lever Limited (1995) (83 Companies Cases 30).

5. In view of the above parameters considered and in the opinion of the Acquirer, PAC and the Manager to the Offer, the Offer Price of ₹ 3.50 (Rupees three and paise fifty only) per Share is justified in terms of regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations.
6. There have been no corporate actions undertaken by the Target Company warranting adjustment of any of the relevant price parameters under Regulation 8(9) of the SEBI (SAST) Regulations.
7. There has been no revision in the Offer Price or to the size of this Offer as on the date of this DPS.
8. An upward revision in the Offer Price or to the size of this Offer, if any, on account of competing offers or otherwise, will be done at any time prior to the commencement of the last one working day before the commencement of the tendering period of this Offer in accordance with Regulation 18(4) of the SEBI (SAST) Regulations. In the event of such revision, the Acquirer shall (i) make corresponding increases to the escrow amounts, as more particularly set out in paragraph V(5) of this DPS; (ii) make a public announcement in the same newspapers in which this DPS has been published; and (iii) simultaneously with the issue of such announcement, inform SEBI, BSE and the Target Company at its registered office of such revision.
9. In the event of acquisition of the Shares by the Acquirer and/or the PAC during the Open Offer period, whether by subscription or purchase, at a price higher than the Offer Price, then the Offer Price will be revised upwards to be equal to the highest price paid for such acquisition in terms of Regulation 8(8) of the SEBI (SAST) Regulations. However, the Acquirer and/or the PAC shall not acquire or sell any Shares after the 3rd working day prior to the commencement of the tendering period of this Open Offer and until the expiry of the tendering period of this Open Offer.

V. FINANCIAL ARRANGEMENTS

1. Assuming full acceptance, the total funds requirement to meet this Offer is ₹ 8,64,09,232 (Rupees Eight crore sixty four lacs nine thousand two hundred thirty two only).
2. The Acquirer and PAC have confirmed that they have adequate financial resources to meet the obligations under the Open Offer.
3. The Net Worth of Acquirer and PAC as on September 05, 2019 is ₹ 63.82 crores (Rupees Sixty three crores eighty two lacs), which is certified by C Ramachandram, Partner of C Ramachandram & Co, Chartered Accountants (Membership Number 025834; Firm Registration Number 002864S; Email: crcoca@gmail.com) having his office at 3-6-237,Unit #606, Lingapur La Builde Complex, Himayatnagar, Hyderabad – 500 029, Telangana, India, vide a certificate dated September 05, 2019, bearing Unique Document Identification Number (UDIN) 19025834AAAAPO1586
4. As a part of their Net Worth, the Acquirer and the PAC have liquid assets of ₹ 11.09 crores (Rupees eleven crores nine lacs only) as on September 05, 2019, which is certified by C Ramachandram, Partner of C Ramachandram & Co, Chartered Accountants (Membership Number 025834; Firm Registration Number 002864S; Email: crcoca@gmail.com) having his office at 3-6-237,Unit #606, Lingapur La Builde Complex, Himayatnagar, Hyderabad – 500 029, Telangana, India, vide a certificate dated September 05, 2019, bearing UDIN 19025834AAAAPP2185.
5. In accordance with Regulation 17(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirer and PAC have opened an escrow cash account ("Escrow Cash Account") with ICICI Bank Limited and have made a deposit of ₹ 1,32,00,000 (Rupees One crore thirty two lacs only) in the Escrow Cash Account and have provided a Bank Guarantee of ₹ 1,78,00,000 (Rupees one crore seventy eight lacs only) issued by ICICI Bank Limited in favor of Manager to the Offer dated August 31, 2019, collectively being more than 25% of the maximum consideration payable under the Offer, for the purposes of the Open Offer. The Acquirer and PAC have empowered the Manager to the Offer to operate and to realize the value of the Escrow Cash Account and Bank Guarantee in terms of the SEBI (SAST) Regulations.
6. In case of any upward revision in the Offer Price or the size of this Offer, the value in cash of the Escrow Amount shall be computed on the revised consideration calculated at such revised offer price or offer size and any additional amounts required will be funded by the Acquirer and PAC, prior to effecting such revision, in terms of Regulation 17(2) of the SEBI (SAST) Regulations.
7. Based on the above, Saffron Capital Advisors Private Limited, the Manager to the Offer is satisfied that firm arrangements have been put in place by the Acquirer and PAC to implement the Offer in full, in accordance with the SEBI (SAST) Regulations.

VI. STATUTORY AND OTHER APPROVALS

1. As of the date of this DPS, to the best of the knowledge of the Acquirer and PAC, there are no statutory approvals required to complete this Offer. However, in case of any such statutory approvals are required by the Acquirer and PAC at a later date before the expiry of the tendering period, this Offer shall be subject to such approvals and the Acquirer and PAC shall make the necessary applications for such statutory approvals.
2. All Public Shareholders, including non-residents holders of Shares, must obtain all requisite approvals required, if any, to tender the Offer Shares (including without limitation, the approval from the RBI) and submit such approvals, along with the other documents required to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirer and the PAC reserve the right to reject such Shares tendered in this Offer. Further, if the holders of the Shares who are not persons resident in India had required any approvals (including from the RBI, or any other regulatory body) in respect of the Shares held by them, they will be required to submit such previous approvals, that they would have obtained for holding the Shares, to tender the Offer Shares, along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirer and the PAC reserve the right to reject such Offer Shares.
3. The Acquirer and PAC shall complete all procedures relating to payment of consideration under this Offer within 10 working days from the date of expiry of the tendering period to those shareholders who have tendered Shares and are found valid and are accepted for acquisition by the Acquirer and PAC.
4. In case of delay in receipt of any statutory approval, SEBI may, if satisfied that delayed receipt of the requisite approvals was not due to any willful default or neglect of the Acquirer and PAC or the failure of the Acquirer and PAC to diligently pursue the application for the approval, grant extension of time for the purpose, subject to the Acquirer and PAC agreeing to pay interest to the shareholders as directed by the SEBI, in terms of regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations. Further, if delay occurs on account of willful default by the Acquirer and PAC in obtaining the requisite approvals, regulation 17(9) of the SEBI (SAST) Regulations will also become applicable and the amount lying in the Escrow Account shall become liable for forfeiture.
5. In terms of Regulation 23(1) of the SEBI (SAST) Regulations, if the approvals mentioned in paragraph VI (1) are not satisfactorily complied with or any of the statutory approvals are refused, the Acquirer and PAC have a right to withdraw the Offer. In the event of withdrawal, the Acquirer and the PAC (through the Manager), shall within two (2) working days of such withdrawal, make an announcement stating the grounds for the withdrawal in accordance with regulation 23(2) of the SEBI (SAST) Regulations, in the same newspapers in which the DPS was published and such announcement will also be sent to SEBI, the Stock Exchanges and the Target Company at its registered office.
6. The Acquirer and PAC may withdraw the Open Offer under Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations.

VII. TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITY

Sr. No	Activity	Day and Date
1.	Issue of PA	Thursday, September 05, 2019
2.	Publication of DPS in the newspapers	Friday, September 13, 2019
3.	Filing of the draft letter of offer with SEBI	Friday, September 20, 2019
4.	Last date for a competitive bid	Monday, October 07, 2019
5.	Last date for SEBI observations on draft letter of offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager to the Offer)	Tuesday, October 15, 2019
6.	Identified Date*	Thursday, October 17, 2019
7.	Last date by which the Letter of Offer, duly incorporating SEBI's comments to the Draft Letter of Offer, is required to be dispatched to shareholders	Thursday, October 24, 2019
8.	Last date for upward revision of the Offer price/ Offer size	Thursday, October 31, 2019
9.	Last Date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall give its recommendation on the Open Offer to the Public Shareholders	Wednesday, October 30, 2019
10.	Last date of publication of the Open Offer opening public announcement, announcing the schedule of activities of this Open Offer, status of statutory and other approvals, if any, and procedure for tendering acceptances	Thursday, October 31, 2019
11.	Date of commencement of tendering period (Offer Opening Date)	Friday, November 01, 2019
12.	Date of expiry of tendering period (Offer Closing Date)	Friday, November 15, 2019
13.	Date by which all requirements including payment of consideration, rejection/acceptance and return of Shares to the Public Shareholders of the Target Company whose Shares have been rejected in this Open Offer	Friday, November 29, 2019
14.	Last date for issue of post offer advertisement	Friday, December 06, 2019

**The Identified Date is only for the purpose of determining the Equity Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be posted.*

ELIGIBILITY TO PARTICIPATE IN THE OFFER AND PROCEDURE FOR TENDERING THE SHARES IN CASE OF NON RECEIPT OF LETTER OF OFFER

1. All Public Shareholders, registered or unregistered, holding the shares in dematerialized form or holding locked in shares are eligible to participate in this Open Offer at any time during the tendering period for this Open Offer. Please refer to para 10 below of this part, for details in relation to tendering of Offer Shares held in physical form.
2. Persons who have acquired Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Open Offer.
3. The Open Offer will be implemented by the Target Company through Stock Exchange Mechanism made available by BSE in the form of separate window (Acquisition Window) as provided under the SEBI SAST Regulations read with SEBI Circular CIR/CFD/POLICY/CELL/1/2015 dated April 13, 2015 and CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016 as may be amended from time to time, issued by SEBI.

Cont.2

epaper.jansatta.com

बैंकों के विलय के खिलाफ 26 सितंबर से बैंककर्मियों की दो दिन की हड़ताल

नवंबर के दूसरे सप्ताह से बेमियादी हड़ताल पर जाने की धमकी भी दी

चंडीगढ़-धर्मशाला, 12 सितंबर (भाषा)।

बैंक कर्मचारियों की चार यूनियनों ने सार्वजनिक क्षेत्र के दस बैंकों के विलय की घोषणा के विरोध में 25 सितंबर की आधी रात से दो दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। साथ ही बैंक यूनियनों ने बैंकों के एकीकरण की इस योजना के खिलाफ नवंबर के दूसरे सप्ताह से बेमियादी हड़ताल पर जाने की भी धमकी दी है।

इसके अलावा कर्मचारी यूनियनें बैंक कर्मियों के वेतन संशोधन की प्रक्रिया तेज करने और पांच दिन के हफ्ते की भी मांग कर रही हैं। हड़ताल का आह्वान आल इंडिया बैंक आफिसर्स कनफेडरेशन (एआइबीओसी), आल इंडिया बैंक आफिसर्स एसोसिएशन (एआइबीओए), इंडियन नेशनल बैंक आफिसर्स कांग्रेस (आइएनबीओसी) और नेशनल आर्गेनाइजेशन आफ बैंक आफिसर्स (एनओबीओ) ने किया है। एआइबीओसी (चंडीगढ़) के महासचिव दीपक कुमार शर्मा ने यह जानकारी दी। शर्मा ने कहा कि देशभर में राष्ट्रीयकृत बैंक 25 सितंबर की आधीरात से 27 सितंबर की आधीरात तक हड़ताल पर रहेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के विरोध और अपनी अन्य मांगों के समर्थन में बैंक किर्मयों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि नवंबर के दूसरे हफ्ते से राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर जा सकते हैं।

सरकार ने दस राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने की घोषणा की है। इसके तहत यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया और ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया जाएगा। इसके बाद अस्तित्व में आने वाला बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। इसी तरह सिंडिकेट का विलय केनरा बैंक में किया जाएगा। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया जाना है। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक आफ इंडिया में मिलाया जाएगा।

शेयर बाजारों में तेजी थमी, बैंकिंग और वाहन कंपनियों के शेयरों में गिरावट

मुंबई,12 सितंबर (भाषा)।

औद्योगिक वृद्धि और मुद्रास्फीति जैसे वृहद आर्थिक आंकड़े जारी होने से पहले निवेशकों की मुनाफावसूली से गुरुवार को सूचकांक 166.54 अंक गिरकर बंद हुआ। बंबई शेयर बाजार (बीएसई) का 30 शेयरों वाला सूचकांक दिनभर के कारोबार में भारी उतार - चढ़ाव के बाद 166.54 अंक यानी 0.45 फीसद की गिरावट के साथ 37,104.28 अंक पर बंद हुआ।

इसी प्रकार , नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी भी 52.90 अंक यानी 0.48 फीसद गिरकर 10,982.80 अंक पर बंद हुआ। कारोबारियों ने कहा कि औद्योगिक उत्पादन और मुद्रास्फीति के आंकड़े आने से पहले घरेलू निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीन से आयात होने वाली वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाने को 15 दिन टालने के बाद विवाद सुलझने की उम्मीदों के बीच वैश्विक मोर्चे पर शेयर बाजार में तेजी रही। सूचकांक के शेयरों में येस बैंक में गुरुवार को सबसे ज्यादा 5.10 फीसद की गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को इसमें सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई थी। वहीं, टाटा मोटर्स , मारुति , एक्सिस बैंक , भारती एअरटेल , रिलायंस इंडस्ट्रीज , एनटीपीसी , बजाज ऑटो , एशियन पेंट्स , आइटीसी , कोटक बैंक , बजाज फाइनेंस और टीसीएस में 4.76 फीसद तक की गिरावट आई। वहीं दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक , सन फार्मा , इंडसइंड बैंक , एचडीएफसी बैंक , एचडीएफसी , एसबीआइ , टेक महिंद्रा और ओएनजीसी के शेयरों में 2.13 फीसद तक की वृद्धि हुई।

जियोजित फाइनेंस सर्विसेज के अनुसंधान प्रमुख विनोद नायर ने कहा- पिछले एक हफ्ते में बाजार ने अच्छा प्रदर्शन किया है और इसमें सुधार देखा गया। उन्होंने कहा- निवेशक औद्योगिक वृद्धि और मुद्रास्फीति के आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि अर्थव्यवस्था में जारी सुस्ती खत्म हुई है या फिर अल्प अवधि में यह जारी रहेगी। आगामी आंकड़ों को लेकर परिदृश्य कमजोर है , जिसका असर अगले महीने वाली आरबीआइ की मौद्रिक नीति बैठक में भी दिखने की संभावना है। एशियाई बाजारों में , शंघाई कंपोजिट सूचकांक और निक्की में तेजी दर्ज की गई जबकि हेंगसेंग मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी का रुख रहा।

सरकार एक राष्ट्र, एक मानक पर गंभीरता से काम कर रही है : पासवान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली,12 सितंबर।

केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद व सेवाएं सुनिश्चित करने के वास्ते 'एक राष्ट्र, एक मानक' पर गंभीरता से काम कर रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। पासवान ने मानक को लेकर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस), नीति आयोग और वाणिज्य और एफएसएसएआई समेत 14 अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया को इसकी जानकारी दी।

इस बैठक में उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव और भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक रोहित कुमार परमार आदि मौजूद थे।अभी बीआइएस अकेली राष्ट्रीय इकाई है जो मानक तय करती है। इसने अभी तक विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लिए 20 हजार से अधिक मानक तय किए हैं। इसके अलावा करीब 50 अन्य एजंसियां हैं जिन्होंने करीब 400 मानक तय किए हैं।

पासवान ने संवाददाताओं से कहा कि एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड की तरह ही हम देश में उत्पादों की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 'एक देश, एक मानक' की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में एक ही उत्पाद या सेवा के लिये कई मानक विद्यमान हैं। हमारा उद्देश्य है कि इन सभी को बीआइएस के साथ मिला दिया जाए। उन्होंने कहा कि एक समान राष्ट्रीय मानक से अधिक उत्पादों के लिए इसे अनिवार्य बनाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय को दीवाली से पहले स्वर्ण आभूषणों के लिए बीआईएस हॉलमार्किंग अनिवार्य करने के प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देनी चाहिये।

वर्तमान में सोने की हॉलमार्किंग स्वैच्छिक है। इसे बहुमूल्य धातु की शुद्धता का प्रमाण माना जाता है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) हॉलमार्किंग की देखरेख करने वाला प्रशासनिक प्राधिकरण है। सोने के आभूषण के लिए उसे हॉलमार्किंग के तीन ग्रेड - 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट तय किए हैं। हालांकि, वाणिज्य मंत्रालय विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को सूचित करने के बाद किसी भी अनिवार्य विनियमन को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है।

पासवान ने संवाददाताओं से कहा कि हमने सोने के आभूषणों के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग की अनुमति देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। उपभोक्ताओं के हित में इसे दिवाली से पहले प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी दी जानी चाहिए।

चार सौ रेलवे स्टेशनों पर मिट्टी के कुल्हड़, गिलास में मिलेगी चाय, लस्सी

नई दिल्ली,12 सितंबर (भाषा)।

रेल यात्रियों को जल्दी ही 400 रेलवे स्टेशनों पर चाय, लस्सी और खाने-पीने का सामान मिट्टी से बने कुल्हड़, गिलास और दूसरे बर्तनों में मिलने लगेगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआइसी) ने गुरुवार को कहा कि रेल मंत्रालय ने 400 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को खाने-पीने का सामान मिट्टी से बने बर्तनों में उपलब्ध कराने का निर्णय किया है।

इस कदम से जहां एक तरफ स्थानीय और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, प्लास्टिक के उपयोग पर अंकुश लगेगा वहीं दूसरी तरफ कुम्हारों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। केवीआइसी के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि रेलवे की इस पहल से उत्साहित आयोग कुम्हारों के बीच 30,000 इलेक्ट्रिक चाक का वितरण करने का फैसला किया है। साथ ही मिट्टी के बने सामानों को पुनर्चक्रमण और नष्ट करने के लिये मशीन (ग्राइंडिंग मशीन) भी उपलब्ध कराएगा।

उन्होंने कहा- हम इस साल 30,000 इलेक्ट्रिक चाक दे रहे हैं। इससे रोजाना दो करोड़ कुल्हड़ और मिट्टी के सामान बनाये जा सकते हैं। प्रक्रिया अगले 15 दिनों में शुरू हो जानी चाहिए। केवीआइसी के बयान के अनुसार केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले महीने इस बारे में रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ जैसे मिट्टी के बर्तन के उपयोग को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का आग्रह किया था। उसके बाद केवीआइसी के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना ने भी इस संदर्भ में रेल मंत्री से मुलाकात की थी।

उल्लेखनीय है कि रेलवे प्रयोग के तौर पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी और रायबरेली रेलवे स्टेशनों पर इस साल जनवरी से मिट्टी के बने बर्तनों का उपयोग कर रहा था। इन दोनों स्टेशनों पर इस पहल से प्लास्टिक की समस्या से निपटने में मदद मिली है।

केवीआइसी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए रेलवे ने विभिन्न रेल मंडलों के सभी प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों और आइआरसीटीसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को पत्र लिखकर स्थानीय रूप से उत्पादित पर्यावरण अनुकूल मिट्टी से बने कुल्हड़, गिलास और प्लेट के उपयोग करने का निर्देश दिया है।

औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर जुलाई में 4.3 फीसद रही

नई दिल्ली,12 सितंबर (भाषा)।

विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन से जुलाई महीने में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि कमजोर पड़कर 4.3 फीसद रह गई। गुरुवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) के आधार पर मापी जाने वाली औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर एक साल पहले जुलाई में 6.5 फीसद रही थी। आइआइपी में विनिर्माण क्षेत्र में नरमी देखी गयी। जुलाई महीने में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 4.2 फीसद रही जबकि एक साल पहले इसमें सात फीसद की वृद्धि हुई थी।

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है, कि **अमित जैन पुत्र श्री देवेन्द्र जैन** जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के रूप में हमारी कंपनी में कार्यरत थे और आखिरी बार मौजपुर शाखा, दिल्ली में पदस्थ थे, दिनांक **01.08.2018** से कंपनी के रोजगार में नही है। उनके पास किसी भी व्यवसाय का संचालन करने या धन प्राप्त करने या किसी भी तरीके से कंपनी की ओर से कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। उनके साथ लेन देन करने वाला कोई भी व्यक्ति, अपने जोखिम और परिणाम पर ऐसा करेगा। कंपनी उनके किसी भी दावे आदि और/या उनके किसी भी कार्य या प्रतिनिधित्व के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगी।

(हस्ताक्षर)
स्थानः दिल्ली — रीजनल मैनेजर
दिनांकः 13.09.2019 — मुथूट फाईनान्स लिमिटेड (दिल्ली रीजन)

नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
(सीआईएन-L74899DL1974GOI007417)
ए-11, सेक्टर-24, नोएडा-201301, दूरभाष. 0120-2412294, एक्सटेंशन. 2220

संदर्भ सं. 14-1920-एआरसी-एलपीआईए — दिनांक: 13.09.2019

वैश्विक ई-निविदा आमंत्रण सूचना

सऊदी अरब एवं चीन के बंदरगाहों से आयात किए जाने वाले उर्वरकों के निरीक्षण हेतु निरीक्षण एजेंसियों के साथ **पूर्व योग्यता एवं वार्षिक दर अनुबंध** के लिए बोलियाँ आमंत्रित की जाती है। विवरण के लिए वेबसाइटः **www.nationalfertilizers.com, www.eprocure.gov.in, www.tenderwizard.com/NFL देखें (ई-निविदा संख्या एनएफएल-1287)।** ऑनलाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि 03 अक्तूबर, 2019 (1400 बजे आईएसटी)। शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि होगा तो, केवल ऊपर दी गई वेबसाइट पर दिया जाएगा। **कार्यकारी निदेशक (सामग्री)**

ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ओ.ए. नं. 681/2018
यूनियन बैंक आवेदक — बनाम — अवनीत सिंह नरुला एवं अन्य प्रतिवादीगण

सेवा में,
1. अवनीत सिंह नरुला, पुत्र नरिन्दर सिंह नरुला निवासीः ए-17, दूसरा तल, शंकर गार्डन, विकासपुरी, दिल्ली-110018 साथ हीः एबी एसोसिएट्स पी.लि., शॉप नं. एच-1/140, विकासपुरी, दिल्ली-110018
2. रीता नरुला, पत्नी नरिन्दर सिंह नरुला, निवासीः ए-17, दूसरा तल, शंकर गार्डन, विकासपुरी, दिल्ली-110018 साथ हीः एबी एसोसिएट्स पी.लि., शॉप नं. एच-1/140, विकासपुरी, दिल्ली-110018
3. नरिन्दर सिंह नरुला, पुत्र स्व. एस भुपेन्दर सिंह नरुला, निवासीः ए-17, दूसरा तल, शंकर गार्डन, विकासपुरी, दिल्ली-110018 साथ हीः एबी एसोसिएट्स पी.लि., शॉप नं. एच-1/140, विकासपुरी, दिल्ली-110018

जैसा कि, ऊपर नामित आवेदक ने रु. 11,43,802/- (रुपये ग्यारह लाख तैंतालिस हजार आठ सौ दो मात्र) की वसूली के लिये आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है, तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 31.10.2019 को 10.30 पूर्वा. में विद्वान रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जाएगी।
मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 31 अगस्त, 2019 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से
रजिस्ट्रार के लिये

वसूली अधिकारी-।। का कार्यालय, ऋण वसूली न्यायाधिकरण-।।।, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001
ई-नीलामी बिक्री सूचना

आर.सी. सं. 320/2017 — दिनांकित : 13-08-2019

साउथ इंडियन बैंक बनाम श्री महीपाल सिंह एवं अन्य
"आदेश"

मेरे आदेश दिनांकित **13-08-2019** के अनुसार **साउथ इंडियन बैंक बनाम श्री महीपाल सिंह एवं अन्य** के मामले में निम्नलिखित सम्पत्ति ई-नीलामी बिक्री द्वारा बेची जाएगी।
नीलामी बिक्री वेबसाइट :- **http://www.bankeauctions.com** के माध्यम से "ऑनलाइन ई-नीलामी" होगी।
नीलामी की तिथि और समय : **05-10-2019 अप. 03.00 बजे से अप. 04.00 बजे** के बीच (समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बिड के मामले में स्वतः विस्तार क्लॉज के साथ, यदि अपेक्षित है)।

क्र. सं.	सम्पत्ति का वर्णन	सुरक्षित मूल्य/ईएमडी
1.	**सम्पत्ति सम्पूर्ण प्रथम तल, परिमाप 25.90 वर्ग मीटर, छत का अधिकार नहीं, नंबर 163, पाकेट-2, ब्लॉक-सी, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली**	रू. 19,00,000/- ईएमडी रू. 1,90,000/-

नियम एवं शर्तें
1. नीलामी/बोलीदान वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक विधि से किया जाएगा।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को बोलीदान में भाग लेने के लिए सेवा प्रदाता के साथ पर्याप्त अग्रिम में पंजीकरण करवा कर **ई-नीलामी** में भाग लेने के लिए यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर लेना चाहिए। यह केवल तब ही प्राप्त किया जा सकता है जब आवश्यक धरोहर राशि निर्धारित विधि में जमा कर दी गई हो।
3. ईएमडी **वसूली अधिकारी-।।, डीआरटी-।।।, दिल्ली के पक्ष में आहरित डीडी/पे आर्डर के माध्यम से वसूली अधिकारी-।।, डीआरटी-।।।, दिल्ली** के पास **03-10-2019** तक जमा करनी होगी। उसके बाद प्राप्त ईएमडी पर ई-नीलामी में प्रतिभागिता हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
4. पैन कार्ड, पता प्रमाण और पहचान प्रमाण की प्रति, ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्बर तथा घोषणा कि वे अपनी स्वयं की ओर से बोली दे रहे हैं अथवा अपने प्रधान की ओर से बोली दे रहे हैं। उत्तरवर्ती मामले में उनको अपना प्राधिकारपत्र जमा करना होगा और इस में चूक करने पर उनकी बोलियां अस्वीकार्य होंगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कोई अन्य दस्तावेज जो कम्पनी के प्रतिनिधित्व/प्राधिकार की पुष्टि करता हो, जमा करना होगा और उसकी रसीद/प्रतिपन्ना उक्त सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक को ई-मेल द्वारा अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त हो जाना चाहिए तथा उसकी हार्ड कॉपी **वसूली अधिकारी-।।, डीआरटी-।।।, दिल्ली** के पास उक्त तिथि तक जमा करनी होगी।
5. प्रत्याशित बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स **सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उद्योग विहार, फेज-2, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नंबर 301, प्रथम तल, गुरूग्राम, हरियाणा-122015, हेल्पलाइन नंबर +91-124-4302020/21/22/23/24 मोबाइल नंबर : 09813887931, ई-मेल आईडी : support@bankeauctions.com** से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
5क. **किसी संदेह एवं सम्पत्ति के निरीक्षण के मामले में, इच्छुक बोलीदाता डीआरटी-।।।, दिल्ली (श्री पवन कुमार, सहायक) से सम्पर्क करे।**
6. संभावित बोलीदाताओं को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने से पहले बिक्री के नियम एवं शर्तों की जानकारी के लिए वेबसाइट : **http://www.bankeauctions.com** ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है।
7. सम्पत्ति सुरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।
8. बोलीदाता अपनी बोली **रू. 50,000/-** के गुणज में बढ़ाएंगे।
9. सम्पत्ति की बिक्री **"जैसा है जहां है आधार** तथा **जो है जैसा है आधार"** पर की जाएगी।
10. सफल बोलीदाता को बिक्री प्राप्तियों की **25 प्रतिशत** राशि का भुगतान, ईएमडी का समायोजन करने के पश्चात, बोली उसके पक्ष में छूटने पर अगले दिन यानी अप. 3.00 बजे तक उक्त खाते में ऊपर पैरा 3 में दिए गए विवरण के अनुसार जमा करनी होगी। अगला दिन अवकाश दिवस या रविवार होने की स्थिति में अगले पहले कार्यदिवस को जमा करनी होगी।
11. सफल उच्चतम बोलीदाता को अंतिम बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि, अधोहस्ताक्षरी के समक्ष, सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन को अथवा पूर्व जमा करनी होगी। यदि 15वां दिन रविवार या अवकाश है तब 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस को ऊपर पैरा में दिए गए विवरण के अनुसार जमा करनी होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त रू. 1,000/- तक 2 प्रतिशत की दर पर तथा रू. 1000 से अधिक ऐसी सकल राशि पर 1 प्रतिशत की दर पर निरोध-शुल्क, रजिस्ट्रार, डीआरटी-।।।, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से वसूली अधिकारी-।।, डीआरटी-।।।, दिल्ली के पास जमा करना होगा।
12. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, जमा राशि, बिक्री संबंधी व्यय चुकाने के पश्चात, यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा चूककर्ता क्रेता के सम्पत्ति अथवा जमा की गई राशि के संबंध में सभी दावे जब्त मान्य होंगे। सम्पत्ति की बिक्री तत्संबंधी घोषणा जारी करने के बाद नए सिरे से की जाएगी। इसके अतिरिक्त, क्रेता को अपनी अंतिम बोली राशि तथा अनुवर्ती बिक्री से प्राप्त राशि के बीच कमी अथवा अंतर की पूर्ति भी करनी होगी।
13. वसूली अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री प्रास्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।
14. असफल बोलीदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी ईएमडी की वापसी के लिए आरसी की सुनवाई की अनुसूचित तिथि को अथवा उससे पहले डीआरटी-।।। की रजिस्ट्री में एक आवेदन अपनी पहचान के प्रमाण के साथ जमा करें, उनकी ईएमडी आरसी की सुनवाई की अनुसूचित तिथि/अनुवर्ती तिथि को वापस की जाएगी।

(विकास जेटली)
वसूली अधिकारी-।।, डीआरटी-।।।, दिल्ली

वसूली अधिकारी-।। का कार्यालय, ऋण वसूली न्यायाधिकरण-।।।, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001
ई-नीलामी बिक्री सूचना

आर.सी. सं. 320/2017 — दिनांकित : 13-08-2019

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के तहत बिक्री की उद्घोषणा

साउथ इंडियन बैंक बनाम श्री महीपाल सिंह एवं अन्य

सीडी सं. 1 श्री महीपाल सिंह, पुत्र श्री राजा राम, जीएच 5 एवं 7/682, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063
अन्य पता : मकान नंबर जीएच-13/141, गेट नंबर 3, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063
अन्य पता : एफएफ, 163, पाकेट सी-2, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110085
सीडी सं. 2 श्रीमती रूचि सिंह पत्नी श्री महीपाल सिंह, जीएच 5 एवं 7/682, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063
अन्य पता : मकान नंबर जीएच-13/141, गेट नंबर 3, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063

जबकि आप पीठ अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दिल्ली द्वारा **ओ.ए. सं. 622/2013/डीआरटी-।।।, दिल्ली दिनांकित 16-07-2013** में आहरित वसूली प्रमाणपत्र के संबंध में देय **रू. 10,55,059/- (रूपए दस लाख पचपन हजार उनसठ मात्र) की राशि प्रमाणपत्र के अनुसार देय ब्याज एवं लागतों** सहित चुकाने में असफल रहे हैं।
और जबकि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त वसूली प्रमाणपत्र के समाधान में नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री करने का आदेश दिया है।
और जबकि **रू. 10,55,059/- (रूपए दस लाख पचपन हजार उनसठ मात्र) की राशि उस पर ओए दाखिल की जाने की तिथि अर्थात 16-07-2013 से इसकी पूर्ण वसूली तक 13 प्रतिशत वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज एवं अनुषंगी खर्चों सहित आप/सीडी'ज के विरूद्ध संयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से बकाया है।**
एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कोई स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में, **उक्त सम्पत्ति 05-10-2019 को अप. 3.00 बजे से अप. 4.00 बजे के बीच** (समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में कोई बोली आने की स्थिति में स्वतः विस्तार क्लॉज सहित, यदि अपेक्षित है) **ई-नीलामी द्वारा बेची जाएगी तथा बोलीदान : मैसर्स सी 1 इंडिया प्रा. लि. उद्योग विहार फेज-2, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नंबर 301, गुरूग्राम, प्रथम तल, हरियाणा-122015, हेल्प लाइन नंबर +91-124-4302020/21/22/23/24, मोबाइल : 09813887931, ई-मेल आईडी : support@bankeauctions.com** के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक बोलीदान" होगा।
किसी संदेह एवं सम्पत्ति के निरीक्षण के मामले में इच्छुक बोलीदाता डीआरटी-।।।, दिल्ली (श्री पवन कुमार, सहायक) से सम्पर्क करें।
उपरोक्त नामक प्रतिवादी की जिस सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी, उसका वर्णन नीचे अनुसूची में किया गया है तथा उक्त सम्पत्ति की देयताओं तथा जब्ती दावों, जिनका अभी तक अभिनिश्चयन किया गया है, अनुसूची में प्रत्येक लॉट के सामने वर्णित अनुसार हैं।
सम्पत्ति बिक्री के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार लॉट्स में रखी जाएगी। यदि वसूल की जाने वाली राशि सम्पत्ति के एक भाग की बिक्री से प्राप्त हो जाती है तब शेष भाग की बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी। यह बिक्री तब भी रोक दी जाएगी, यदि नीलामी से पहले, उक्त प्रमाणपत्र में बकाया राशि, मय ब्याज (बिक्री की लागत सहित) नीलामी संचालनकर्ता अधिकारी को सौंप दी जाती है अथवा उसकी संतुष्टि हेतु यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त प्रमाणपत्र की राशि मय ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी को अदा कर दी गई है।
बिक्री से संबंधित कोई ड्यूटी करने वाला कोई भी अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति के लिए बोली नहीं लगाएगा, बेची गई सम्पत्ति में कोई हित अर्जित नहीं करेगा अथवा अर्जित करने का प्रयास नहीं करेगा। यह बिक्री आय कर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित शर्तों और उनके तहत बनाए गए नियमों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के तहत होगी।
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं, परंतु अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, असत्यकथन या विलोपन के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।
1. सुरक्षित मूल्य जिससे कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी :

क्र. सं.	सम्पत्ति का वर्णन	सुरक्षित मूल्य/ईएमडी
1.	**सम्पत्ति सम्पूर्ण प्रथम तल, परिमाप 25.90 वर्ग मीटर, छत का अधिकार नहीं, नंबर 163, पाकेट-2, ब्लॉक-सी, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली**	रू. 19,00,000/- ईएमडी रू. 1,90,000/-

2. बोली कम से कम **रू. 50,000/- (रू. पचास हजार मात्र) बढ़ाई** जा सकेगी। बोली अथवा बोलीदाता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में लॉट की नीलामी दोबारा की जाएगी।
3. किसी लॉट के उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाएगा। उच्चतम बोली को अस्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी का विवेकाधिकार होगा, यदि पेश की गई ऑफर उसको स्वीकार किए जाने हेतु स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है।
4. ईएमडी **वसूली अधिकारी-।।, डीआरटी-।।।, दिल्ली के पक्ष में डीडी/पे आर्डर के रूप में वसूली अधिकारी, डीआरटी-।।।, दिल्ली** के पास **03-10-2019** तक सीलबंद लिफाफे में जमा की जाएगी। उसके बाद जमा की गई ईएमडी ई-नीलामी में भाग लेने हेतु स्वीकार्य नहीं होगी।
5. पैन कार्ड, पता प्रमाण तथा पहचान प्रमाण की प्रति, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा घोषणा यदि वे अपनी स्वयं की ओर से अथवा अपने प्रधानों की ओर से बोली दे रहे हैं। उत्तरवर्ती मामले में, उन्हें प्राधिकारपत्र प्रस्तुत करना होगा तथा चूक करने पर उनकी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति या कोई अन्य दस्तावेज, जो कम्पनी के प्रतिनिधित्व/अटॉर्नी की पुष्टि करता हो, जमा करना होगा और ऐसी जमा की रसीद/प्रतिपन्ना उक्त सेवा प्रदाता या सीएच बैंक को ई-मेल द्वारा या अन्य प्रकार से उक्त तिथि तक प्राप्त हो जानी चाहिए और उसकी हार्ड कॉपी वसूली अधिकारी-।।, डीआरटी-।।।, नई दिल्ली को दी जाएगी।
6. असफल बोलीदाता/ओं को अपनी ईएमडी की वापसी के लिए आरसी की सुनवाई की नियत तिथि को या पूर्व डीआरटी-।।। की रजिस्ट्री में एक आवेदन पहचान के प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना होगा, ईएमडी तदनुसार आरसी की सुनवाई की नियत तिथि/अनुवर्ती तिथि को वापस की जाएगी।
7. सफल बोलीदाता को अपनी **अंतिम बोली की 25 प्रतिशत राशि**, ईएमडी समायोजन के बाद, अगले बैंक कार्य दिवस को अर्थात **अप. 03.00 बजे तक उक्त खाते में ऊपर पैरा 4 में वर्णित विवरण के अनुसार जमा करनी होगी।**
8. क्रेता को अंतिम बोली की **75 प्रतिशत राशि सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15 वें दिन को अथवा पूर्व** जमा करनी होगी। **यदि 15वां दिन रविवार या अवकाश है,** तब 15वें दिन के बाद पहले बैंक कार्य दिवस को ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त क्रेता को **रू. 1,000/- तक 2 प्रतिशत की दर पर तथा रू. 1,000/- से अधिक पर 1 प्रतिशत की दर पर निरोध शुल्क रजिस्ट्रार, डीआरटी-।।।, दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में वसूली अधिकारी-।।, डीआरटी-।।।, दिल्ली के पास जमा करना होगा।**
9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, जमा राशि, बिक्री संबंधी व्यय चुकाने के पश्चात, यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा चूककर्ता क्रेता के सम्पत्ति अथवा जमा की गई राशि के संबंध में सभी दावे जब्त मान्य होंगे। सम्पत्ति की बिक्री तत्संबंधी घोषणा जारी करने के बाद नए सिरे से की जाएगी। इसके अतिरिक्त, क्रेता को अपनी अंतिम बोली राशि तथा अनुवर्ती बिक्री से प्राप्त राशि के बीच कमी अथवा अंतर की पूर्ति

कला शिक्षा अनिवार्य करेगा सीबीएसई

पहली कक्षा से दसवीं तक हर सप्ताह कला के दो पीरियड अनिवार्य किए जाएंगे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 सितंबर।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध स्कूलों की कक्षा एक से दस तक सह शैक्षणिक क्षेत्र के रूप में कला शिक्षा अनिवार्य होगी। इसके तहत हर कक्षा के लिए प्रत्येक सप्ताह में कला के दो पीरियड अनिवार्य किए जाएंगे।

सीबीएसई की अध्यक्ष अनिता करवाल ने बताया कि कला समेकित शिक्षा प्रायोगिक ज्ञान की ओर पहल के तहत कक्षा एक से 10 तक कला शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जब कला शिक्षा के साथ एकीकृत होती है तो यह अवधारणाओं और विषयों की गहन समझ के लिए बच्चों में कला आधारित जिज्ञासा, जांच एवं अन्वेषण, महत्त्वपूर्ण सोच और रचनात्मकता को आगे बढ़ाने में सहायता करती है। सीबीएसई के कला प्रवेशिका दिशानिर्देशिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए कला एकीकरण बहुत जरूरी प्रक्रिया है। कला की पढ़ाई प्रमुख रूप से चार वर्गों में विभाजित होगी। इसमें संगीत, नृत्य, दृश्य कला और नाटक शामिल हैं। इसके अलावा खानपान की कला को भी शामिल किया जा सकता है। इसके तहत स्कूलों को कहा गया है कि वे कक्षा एक से बारह तक के सभी विषयों में कला के जुड़ाव को ढूंढ़ें और उसका उपयोग करें। जैसे कुछ शिक्षक संगीत के माध्यम से अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हैं। वहीं, कुछ शिक्षकों ने नृत्य के माध्यम से विद्यार्थियों को गणित सिखाने का कार्य भी किया है।

●सीबीएसई की अध्यक्ष अनिता करवाल ने बताया कि कला समेकित शिक्षा प्रायोगिक ज्ञान की ओर पहल के तहत कक्षा एक से 10 तक कला शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया है।

सीबीएसई के एक अधिकारी के मुताबिक भारत कला के मामले में बहुत समृद्ध है। हमारे देश में हर राज्य का अलग संगीत, अलग नृत्य और खानपान है। ऐसे में कला के माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों को विभिन्न राज्यों के बारे में बेहत समझ विकसित कर पाएंगे। इतना ही नहीं हर कला का अपना इतिहास भी है। विद्यार्थी इसके जरिए अपने इतिहास को भी बेहतर समझ पाएंगे।

प्लास्टिक पर रोक के अभियान में हिस्सेदारी करें स्कूल : निशंक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 सितंबर।

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को स्कूलों के बच्चों से प्रतिदिन एक लीटर पानी बचाने और अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाने को कहा। उन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री के एक बार उपयोग वाले प्लास्टिक पर रोक लगाने के आह्वाहन में हिस्सेदारी करने को भी कहा। निशंक ने 2018-19 के लिए 34 शिक्षकों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के शिक्षक पुरस्कार प्रदान करने के कार्यक्रम में यह बात कही। इन 3 शिक्षकों में से 13 दिल्ली के हैं। मंत्री ने कहा कि सीबीएसई के 22 हजार स्कूलों में 15 लाख शिक्षक पढ़ाते हैं और जहां लाखों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ते हैं।

चिदंबरम की समर्पण याचिका पर फैसला सुरक्षित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 सितंबर।

ईडी की ओर से दर्ज धनशोधन मामले में आत्मसमर्पण के लिए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंरबम की याचिका पर अदालत ने गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत इस पर आज फैसला सुना सकती है। चिदंबरम आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में अभी तिहाड़ जेल में हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार को बताया कि आइएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में चिदंबरम की गिरफ्तारी आवश्यक है, लेकिन यह उचित समय पर होगी। महान्यायवादी तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआइ की ओर से दर्ज मामले में चिदंबरम (73) पहले से न्यायिक हिरासत में हैं और सबूतों से छेड़छाड़ की स्थिति में नहीं हैं। चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि ईडी का प्रत्यावेदन दुर्भावनापूर्ण है। यह उनके मुवक्किल को नुकसान पहुंचाने पर केंद्रित है। उन्होंने अदालत से यह भी कहा कि चिदंबरम जब चाहें समर्पण कर सकते हैं,यह तो उनका नागरिक अधिकार है। सुनवाई के दौरान मेहता ने दलील दी कि चिदंबरम से हिरासत में पूछताछ करने से पहले कुछ पहलुओं की जांच करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एजंसी चिदंबरम से हिरासत में सवाल पूछने से पहले छह अन्य लोगों से पूछताछ करना चाहती है और वह धनशोधन के ऐसे मामले की जांच कर रही है, जो देश के बाहर तक फैला हुआ है।

मेहता और वकील नीतेश राणा ने कहा, 'फिलहाल हम उनकी हिरासत नहीं चाहते हैं। हम उपयुक्त समय पर इस अदालत का रुख करेंगे। हम 15 दिन का अधिकतम इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी जांच को निर्देशित नहीं कर सकता और उन्हें अभी हिरासत में लेने के आदेश से जांच एजंसी के कार्य पर असर पड़ेगा। ईडी की दलीलों का विरोध करते हुए सिब्बल और वकील अर्शदीप सिंह ने दावा किया कि एजंसी चिदंबरम को परेशान करना चाहती है। उन्होंने कहा कि 21 अगस्त के बाद से क्या बदल गया जब वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे? ईडी को उन्हें हिरासत में लेने का निर्देश दिया जाना चाहिए। सिब्बल ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी उसने (ईडी) कहा था कि वह उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। अब क्या हो गया। आज का उनका रुख है कि उनकी गिरफ्तारी से पहले वह छह अन्य से पूछताछ करना चाहती है।

रॉबर्ट वाड्रा को विदेश यात्रा की इजाजत से जांच हो सकती है प्रभावित : ईडी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 सितंबर।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली की अदालत को बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा को स्पेन और अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा की अनुमति देने पर जांच में बाधा आ सकती है। वाड्रा के खिलाफ धनशोधन निषेध कानून (पीएमएलए) के तहत जांच चल रही है। एजंसी ने विशेष प्रयोजनों के लिए 21 सितंबर से 8 अक्तूबर तक विदेश यात्रा की मांग करने वाले वाड्रा के आवेदन का विरोध करते हुए विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष यह बात रखी है।

एजंसी ने अदालत को बताया कि इसकी संभावना है कि अगर जाने की अनुमति दी जाती है तो आरोपी गवाहों को प्रभावित करने और मामले में सबूत नष्ट करने की कोशिश कर सकता है। बकौल ईडी वह सह-अभियुक्तों से मिलने का प्रयास कर सकता है। हालांकि वाड्रा के वकील व वरिष्ठ वकील के टीएस तुलसी ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि एजंसी का आरोप निराधार है। अदालत शुक्रवार को वाड्रा की याचिका पर आदेश सुनाएगी। इससे पहले अदालत ने जून में वाड्रा को स्वास्थ्य कारणों से छह हफ्ते के लिए अमेरिका और नीदरलैंड जाने की अनुमति दी थी। हालांकि अदालत ने वाड्रा को ब्रिटेन जाने की अनुमति नहीं दी थी। क्योंकि वाड्रा के खिलाफ जो मामला चल रहा है, वह ब्रिटेन की संपत्ति से जुड़ा है। ईडी ने आशंका जताई थी कि यदि आरोपी को ब्रिटेन भेजा गया तो वह साक्ष्य नष्ट कर सकता है।

मध्य प्रदेश में अब तक सामान्य से 28 प्रतिशत अधिक बारिश

भोपाल, 12 सितंबर (भाषा)।

मध्य प्रदेश में इस मानसून के दौरान अब तक सामान्य से 28 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। भारत मौसम विभाग के भोपाल केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने गुरुवार को कहा, 'मध्य प्रदेश में एक जून से 12 सितंबर सुबह तक 1100 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो इस अवधि में होने वाली सामान्य बारिश से 28 प्रतिशत अधिक है।' उन्होंने कहा कि इस अवधि में राज्य में 861 मिलीमीटर बारिश सामान्य मानी जाती है। शुक्ला ने बताया कि एक जून से 30 सितंबर तक मध्य प्रदेश में औसतन 952 मिलीमीटर बारिश होती है। उन्होंने कहा कि यदि अब इस मानसून में मध्य प्रदेश में बारिश नहीं भी होती है, तो भी राज्य में साल भर के लिए पर्याप्त पानी हो जाएगा।

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
जन संपर्क कार्यालय (डब्ल्यू)
वरुणालय फेज-II, झण्डेवालान, करोलबाग, नई दिल्ली
संक्षिप्त एनआईटी सं.-01 (2019-20)

क्रम सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत/ धरोहर राशि	निविदा शुल्क	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	लिफाफे के साथ पत्र का मुद्रण।	मद दर/ रु. 2.1 लाख	रु. 1500/-	2.9.2019 (निविदा आईडी: 2019_DJB_180046_1)	23.9.2019 के 3.00 बजे अप. तक।

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://delhi.govtprocurement.com पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी — हस्ता/-
विज्ञापन सं. जे.एस.वी. 2019-20/354 — उप निदेशक (पीआर)

झारखंड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मामले)
मुख्य अभियंता का कार्यालय
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, रांची
ई- अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना
ई-निविदा संख्या:- 73/RI/2019-20/RDD(RWA)/GODDA दिनांक- 11.09.2019
मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), झारखंड, राँची द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0 सं0	आईडेन्टी फिकेशन संख्या / पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में) अंक में	अक्षर में	कार्य समाप्ति की तिथि	टेण्डर कॉल नं0
1.	RDD(RWA)/ GODDA/03/ 2019 - 20	कपेटा मोड़ से कैथपुरा माया विशन्भरचक तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य (लं- 4.000 कि0मी0)	1,24,18,809.00	एक करोड़ चौबीस लाख अठारह हजार आठ सौ नौ रू0 मात्र	09 माह	द्वितीय

2. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि:- 18.09.2019
3. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय:- 26.09.2019 अपराह्न 5.00 बजे।
4. जिला नियंत्रण कक्ष, रांची में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ पत्र के मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि:- 27.09.2019 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय:- 30.09.2019 पूर्वाह्न 11.30 बजे।
6. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता:- मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मामले), झारखंड, रांची, 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, रांची।
7. ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0- 0651-2207818
8. निविदा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मामले), कार्य प्रमंडल, गोड्डा के पक्ष में भुगतेय होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है। — नोडल पदाधिकारी, ई-प्रोक्युर्मेन्ट सेल
PR 216686 Rural Work Department (19-20)_D

उत्तरी दिल्ली नगर निगम
अधिशासी अभियंता (परियोजना) रोहिणी का कार्यालय
द्वितीय तल, उप-जोनल कार्यालय भवन, सेक्टर-17, रोहिणी: दिल्ली
ई-मेल पता: eeprojectrohini.1@gmail.com
एन.आई.टी.सं. ईई(परि.) रोहिणी/टीसी/2019-20/07 दिनांक: 11.09.2019
निविदा आमंत्रण सूचना
निविदा दस्तावेज खरीदने तथा डाउनलोड करने की अंतिम तारीख : 01.10.2019 अपराह्न 15.00 बजे तक
बोली तैयार करने की अंतिम तारीख : 03.10.2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
वित्तीय बोली खोलना : 03.10.2019 पूर्वाह्न 11.01 बजे
कमिश्नर, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से अधिशासी अभियंता (परियोजना) रोहिणी द्वारा अनुमोदित तथा पात्र संविदाकारों से सीलबंद प्रतिशत/मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। अधिशासी अभियंता (परियोजना) रोहिणी द्वारा निविदाएं वेबसाइट www.tenderwizard.com/NORTHDMCTENDER पर खोली जाएंगी। दरे मान्य रहने की अवधि 6 महीने है।
क्र.सं.: 1, **कार्य का नाम:** रोहिणी जोन में वार्ड सं. 40एन में निठारी गाँव में खसरा नं. 16/25 में श्मशान भूमि का सुधार और विकास, **लेखा शीर्ष:** XL-IX-E, एफटीसी कोड: 19/66/XL/IX-E/PC-359, **अनुमानित लागत (रुपये में):** 8163900/-, **निविदा राशि (रुपये में):** 6702783/-, **धरोहर राशि (रुपये में):** 163300/-, **निविदा लागत (रुपये में):** 1000/-, **कार्य पूरा करने की अवधि:** 9 महीने
क्र.सं.: 2, **कार्य का नाम:** रोहिणी जोन में वार्ड सं. 40एन में एम.सी.पी.एस. निठारी नं. 2 में हॉल का निर्माण, **लेखा शीर्ष:** XL-VII-Education, एफटीसी कोड: 19/66/XL/VII-Edu/PC-201, **अनुमानित लागत (रुपये में):** 9274722/-, **निविदा राशि (रुपये में):** पार्ट 'ए' हेतु 7120188/- और पार्ट 'बी' हेतु मद दर, **धरोहर राशि (रुपये में):** 185500/-, **निविदा लागत (रुपये में):** 1000/-, **कार्य पूरा करने की अवधि:** 9 महीने
निविदा दस्तावेज को दिल्ली नगर निगम के अनुमोदित/पात्र संविदाकारों द्वारा बोली लगाने के लिए वेबसाइट http://www.tenderwizard.com से डाउनलोड किया जा सकता है। विस्तृत एनआईटी को उक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है। - हस्ता. -
R.O. No. 85/North/DPI/2019-20 अधिशासी अभियंता (परियोजना) रोहिणी जोन

सिंडिकेट बैंक
भू तल, पारस्वनाथ, मेट्रो टावर, शाहदरा मेट्रो स्टे. के सामने, दिल्ली-110032
कब्जा सूचना
(अधिनियम- नियम 8 (1) के अंतर्गत परिशिष्ट IV)
जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 13.5.2019 जारी कर ऋणधारक/स्युरिटी/सम्पत्ति के स्वामी, पृथ्वी राज सैनी, विकास सैनी, प्रेम लता को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में नीचे वर्णित राशि 01.05.2019 को रु. 20,90,355.10/- (रुपये बीस लाख नब्बे हजार तीन सौ पचपन एवं पैसे दस मात्र) के साथ अनुबंधित दर पर उस पर आगे के ब्याज, भुगतान की तिथि तक लागत, चार्जेज एवं खर्चे वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक/स्युरिटी/सम्पत्ति के स्वामी इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/स्युरिटी/सम्पत्ति के स्वामी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 9 सितम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
ऋणधारक/स्युरिटी/सम्पत्ति के स्वामी का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
विशेष रूप से ऋणधारकों/ गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 20,90,355.10/- तथा उस पर ब्याज, लागत आदि के लिये सिंडिकेट बैंक, भू तल, पारस्वनाथ मेट्रो टावर, शाहदरा मेट्रो स्टे. के सामने, दिल्ली-110032 शाखा के चार्ज के अधीन होगा।
अचल सम्पत्ति का विवरण
पृथ्वीराज सैनी, पुत्र श्री राम चन्द सैनी एवं श्रीमती प्रेम लता सैनी, पत्नी पृथ्वी राज सैनी के नाम में अहिंसा खंड, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद, सुपर एरिया 1592 वर्ग फीट (147.89) में स्थित ग्रुप हाउसिंग प्लॉट नं. 12ए पर "जयपुरिया सनराइज ग्रीन" में प्रथम तल टाइप-2, ब्लॉक "एफ" में फ्लैट नं. एफ-101 का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी: पूर्व: फ्लैट नं. 102, पश्चिम: बाल्कॉनी एवं रोड, उत्तर: बाल्कॉनी, दक्षिण: प्रवेश एवं कॉमन पैसेज
तिथि: 9.9.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: दिल्ली — सिंडिकेट बैंक

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
कार्यकारी अभियंता का कार्यालय,
सी-10 इन्द्रलोक, दिल्ली-110035
ई-निविदा आमंत्रण सूचना
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की ओर से कार्यपालक अभियंता, सी-10, डी.यू.एस.आई.बी., इन्द्रलोक, दिल्ली-110035 निम्नलिखित कार्यों के लिए दो निविदा प्रणाली में प्रतिशत दर निविदा (ऑनलाइन) आमंत्रित करते हैं:
(1) एनआईटी संख्या: 45/EEC-10/DUSIB/2019-20 निविदा संख्या: 2019_DUSIB_179577_1
कार्य का नाम: एम.एल.ए. एल.ए.डी. फंड.
उप शीर्ष: शाषिंग कम्पलेक्स विवेकानन्द पुरी (सराय रोहिल्ला) विधान सभा-19: सदर बाजार में सीमेन्ट कंक्रीट के फर्श व बरसाती पानी की निकास व्यवस्था
अनुमानित लागत: Rs. 56,42,273.00 — धरोहर राशि: Rs. 1,13,000.00
निविदा मूल्य: Rs. 1000.00 — कार्य अवधि: 180 Days
(2) एनआईटी संख्या: 50/EEC-10/DUSIB/2019-20 निविदा संख्या: 2019_DUSIB_179746_1
कार्य का नाम: अनुसूचित जाति/जन जाति बस्तियों में सुधारीकरण कार्य: दिल्ली सरकार, दिल्ली
उप शीर्ष: विधान सभा क्षेत्र-ए.सी.39 (राजेन्द्र नगर) की जे जे आर कालोनी इन्द्र पुरी (ई.बी. 15, 18, 0016-01, 28 ,29, 33, 37, 38, 40, 41 और 42) के ब्लाक ए और बी में सीमेन्ट कंक्रीट की गलियां और सीवरेज प्रणाली का सुधार कार्य
अनुमानित लागत: Rs. 40,59,613.00 — धरोहर राशि: Rs. 81,200.00
निविदा मूल्य: Rs. 500.00 — कार्य अवधि: 180 Days
(2) एनआईटी संख्या: 51/EEC-10/DUSIB/2019-20 निविदा संख्या: 2019_DUSIB_1797467_1
कार्य का नाम: एम.एल.ए. एल.ए.डी. फंड: दिल्ली सरकार-दिल्ली
उप शीर्ष: विधान सभा क्षेत्र-ए.सी. 39 (राजेन्द्र नगर) की जे जे आर कॉलोनी इन्द्र पुरी के ब्लाक बी, ई, एफ और जे में सीमेन्ट कंक्रीट की गलियां और टूटी फूटी गलियों का जीर्णोद्धार कार्य
अनुमानित लागत: Rs. 45,33,915.00 — धरोहर राशि: Rs. 91,000.00
निविदा मूल्य: Rs. 500.00 — कार्य अवधि: 180 Days
(4) एनआईटी संख्या: 52/EEC-10/DUSIB/2019-20 निविदा संख्या: 2019_DUSIB_179748_1
कार्य का नाम: कटरा निवासियों के लिए संरचनात्मक सुधार व पुनर्वास
उप शीर्ष: कटरा नं. 1435-36 मजहर-उल-इस्लाम स्कूल, छत्ता नवाब शाह, फराशखाना: बल्लीमारान विधान सभा क्षेत्र-22 में संरचनात्मक सुधार व पुनर्वास
अनुमानित लागत: Rs. 46,41,891.00 — धरोहर राशि: Rs. 98,850.00
निविदा मूल्य: Rs. 500.00 — कार्य अवधि: 300 Days
(5) एनआईटी संख्या: 53/EEC-10/DUSIB/2019-20 निविदा संख्या: 2019_DUSIB_179749_1
कार्य का नाम: अनुसूचित जाति/जन जाति बस्तियों में सुधारीकरण कार्य: दिल्ली सरकार, दिल्ली
उप शीर्ष: विधान सभा क्षेत्र-ए.सी.39 (राजेन्द्र नगर) के जे जे आर कालोनी पाण्डव नगर (ई.बी. 33,37,38,39,40,41,42 और 45) के ब्लाक ए और बी में सीमेन्ट कंक्रीट की गलियां और सीवरेज प्रणाली का सुधार कार्य
अनुमानित लागत: Rs. 59,42,930.00 — धरोहर राशि: Rs. 1,18,900.00
निविदा मूल्य: Rs. 1000.00 — कार्य अवधि: 180 Days
* निविदा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि व समय: 24th Sept. 2019 के 15.00 बजे तक
* निविदा खोलने की तिथि: 24th Sept. 2019 के 15.30 बजे के बाद
निविदा प्रपत्र एवं अन्य विवरण वेबसाईट https://eprocurement.delhi.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।
** सभी इच्छुक निविदादाताओं से अनुरोध है कि वह उक्त निविदा से संबंधित किसी भी अद्यतन/ सुधार के लिए नियमित रूप से उपरोक्त साइट का अवलोकन करते रहें, अद्यतन/ सुधार प्रेस में विज्ञापित नहीं किया जाएगा।
हस्ता./- कार्यकारी अभियन्ता
DIP/Shabdarth/0646/19-20 — सी-10, डी.यू.एस.आई.बी.

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ शाखा के समक्ष
कॉर्पोरेट भवन, प्लॉट नं. 4 बी, सेक्टर- 27-बी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़
नं. एनसीएलटी/ सीएचडी/ आरईजी/ 322 तिथि: 11.9.2019
सीए नं. 233/ 2019
सीपी (आईबी) नं. 80/ सीएचडी/ एचआरवाई/ 2018 में
मामले में
मै. टाटा ब्लू स्कोप स्टील लिमिटेड - याचिकाकर्ता ऑपरेशनल क्रेडीटर
बनाम
मै. रिचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड - प्रतिवादी कॉर्पोरेट डेब्टर
सेवा में
आर 3 मै. एस.के. एण्टरप्राईजेज, 126 (भू तल), ब्लॉक-सी, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, दिल्ली- 110028, द्वारा उसके प्रॉपाईटर श्री अंकित गुप्ता
कृपया ध्यान रहे कि 3.9.2019 को इस अधिकरण के समक्ष सुनवाई के लिये उपरोक्त कम्पनी आवेदन (कॉपी संलग्न) प्रस्तुत किया गया है तथा उसकी अब 16 अक्टूबर, 2019 को 10.30 पूर्वा. में सुनवाई निर्धारित की गई है।
आपको निर्देश दिया जाता है कि व्यक्तिगत अथवा किसी प्राधिकृत एजेन्ट या वकील के माध्यम से निर्धारित तिथि को इस अधिकरण के सिटिंग मेम्बर्स के समक्ष उपस्थित हों तथा यह कारण बतायें कि इस याचिका को क्यूं न स्वीकार की जाये तथा आपको विपक्ष के काउंसल के पास उसकी प्रति अग्रसारित करने के साथ निर्धारित तिथि से कम से कम दो सप्ताह पूर्व अपना जवाब/ आपत्तियां, यदि कोई हो, दाखिल करने का अवसर दिया जाता है।
मेरे हाथ से तथा इस अधिकरण की मुहर लगाकर 9 सितम्बर, 2019 को दी गई।
सहायक रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के लिये
एनसीएलटी, चंडीगढ़ पीठ

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
एक नवरत्न कंपनी (भारत सरकार का उपक्रम)
(A Govt. of India Navratna Undertaking)
सी-3, मथुरा रोड, अपोलो अस्पताल के सामने, नई दिल्ली-110076
निविदा सूचना
कॉनकॉर द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए दो निविदाओं में खुली ई-निविदा आमंत्रित की जाती है:

निविदा सं.	CON/D&L/Chennai-II/2019
कार्य का नाम	कॉनकॉर ब्रांडिंग के तहत और चेन्नई के आस पास वेयरहाउस पार्टनर की पट्टे पर और स्वामित्व वाली भूमि पर एकीकृत आधुनिक वेयरहाउसिंग सुविधा के निर्माण, प्रचालन और रखरखाव हेतु वेयरहाउस पार्टनर का चयन।
निविदा सं.	CON/D&L/Mumbai/2019
कार्य का नाम	कॉनकॉर ब्रांडिंग के तहत और मुम्बई के आस पास वेयरहाउस पार्टनर की पट्टे पर और स्वामित्व वाली भूमि पर एकीकृत आधुनिक वेयरहाउसिंग सुविधा के निर्माण, प्रचालन और रखरखाव हेतु वेयरहाउस पार्टनर का चयन।
निविदा सं.	CON/D&L/Bengaluru/2019
कार्य का नाम	कॉनकॉर ब्रांडिंग के तहत और बैंगलोर के आस पास वेयरहाउस पार्टनर की पट्टे पर और स्वामित्व वाली भूमि पर एकीकृत आधुनिक वेयरहाउसिंग सुविधा के निर्माण, प्रचालन और रखरखाव हेतु वेयरहाउस पार्टनर का चयन।
संविदा की अवधि/बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	30 वर्ष/13.09.2019 को 11.00 बजे से 04.10.2019 तक

अन्य विवरणों और महत्वपूर्ण तिथियों के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट www.concorindia.co.in देखें। अनुशेष/शुद्धिपत्र, यदि कोई हों तो केवल वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। सम्पूर्ण निविदा दस्तावेज केवल वेबसाइट www.tenderwizard.com/CCIL से डाउनलोड किए जा सकते है।
कार्यपालक निदेशक (डीएल एवं कोस्टल)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
बीओ: प्रीत विहार, नई दिल्ली, फोन: 011-22540502 (एम.:9953086802)
ईमेल: bom905@mahabank.co.in] brmgr905@mahabank.co.in
तात्कालिक-हमारे माननीय लॉकर धारकों के लिये सार्वजनिक सूचना
सूचित किया जाता है कि अधोलिखित लॉकर खाताओं से संबंधित हमारी प्रीत विहार शाखा के लॉकर धारक हमारी विभिन्न सूचनाओं तथा उनसे की गई मांगों के वावजूद लम्बे समय से निर्धारित लॉकर किराये का भुगतान नहीं कर रहे हैं तथा उसकी अनदेखी कर रहे हैं। लॉकर-धारकों द्वारा स्वीकृत नियमों एवं शर्तों के अनुसार किराये का भुगतान नहीं करने की स्थिति में बैंक उक्त लॉकरों को तोड़कर खोलने के लिये स्वतंत्र है। तदनुसार, इस औपचारिकताओं की सेवा देकर 15 दिनों पर बैंक उक्त लॉकर को तोड़कर खोलने का प्रस्ताव करता है तथा लॉकर धारकों को सलाह दी जाती है कि नियत तिथि से पूर्व शाखा में सम्पर्क करें तथा उक्त कार्रवाई से बचने के लिये बकाये का निपटारा करें। यदि लॉकर धारक बकाये का निपटारा करने में विफल होते हैं तो बैंक लॉकर को तोड़कर खोलने की कार्रवाई करेगा। तोड़कर खोलने के शुल्कों का वहन रेन्टरों को करना होगा तथा बैंक को बकाये किराये/अन्य चार्जेज आदि के साथ उसकी वसूली के लिये कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है।

क्रम सं.	लॉकर नं.	से देय	लॉकर धारक का नाम एवं पता
1.	582	2016	श्री चौ. सतीश, एच. नं. 50, एफएफ, चित्रा विहार, दिल्ली-110092
2.	7	2009	उषा स्वैन, सी 141, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
3.	63ए	2018	अनती गुप्ता, बी 48, ब्लॉक बी, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
4.	39	2009	श्रीमती सरोज जैन, ई-107, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
5.	64ए	2008	श्री हर्ष वर्धन डुपहारे, 62, सेवेल लाइन, मरिएट्टा, जीए-30068, यूएसए

तिथि: 12.09.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: दिल्ली — बैंक ऑफ महाराष्ट्र

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर
अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण सूचना
ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-42/2019-20 प०नि०वि०/जमशेदपुर/ दिनांक-12.09.2019

1	कार्य का नाम	Improvement of Important roads of Jamshedpur (West) from:- 1) Mango Hira Hotel to Subhash Colony, Teachers colony via Sai mandir (Length 1.4km, (2) Kerala Public School in Jawaharnagar road no. 15, Mango to NH-33 (Length 0.80 km, (3) Mango Dimna road to Rajiv Path Moon City (Length 0.36km). (4) Mango, Baliguma Kharia Basti to PWD road Danga via. Gurudwara. (Length: 2.82 K.M.) (Total Length-5.38km)।
2	प्राक्कलित राशि	₹ 2,18,05,837/- (दो करोड़ अठारह लाख पांच हजार आठ सौ सैतीस रुपये) मात्र।
3	कार्य पूर्ण करने की अवधि	04(चार) माह।
4	वेबसाईट पर निविदा प्रकाशन की तिथि	16.09.2019 (10:30 पूर्वाह्न)
5	निविदा प्राप्त करने का अंतिम तिथि एवं समय	30.09.2019 (दोपहर 12:30 बजे तक)।
6	निविदा खुलने की तिथि	03.10.2019 (दोपहर 12.30 बजे)
7	निविदा आमंत्रित करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर।
8	ई-मेल पता :-	eercdjamshed-jhr@nic.in
9	विज्ञापनदाता का दूरभाष संख्या-	0657-2227724
10	ई-प्रोक्यूरमेन्ट सेल का दूरभाष संख्या	0651-2401010

विस्तृत जानकारी वेबसाईट http://jharkhandtenders.gov.in पर देखा जा सकता है।
बूंद - बूंद नहीं बरसेंगे तो बूंद को तरसेंगे
कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर
PR 216768 (Road)19-20#D

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि0, उदयपुर
क्रमांक: एफ ( )राजससंघ/विपणन/2019-2020/394 दिनांक 04.09.2019
ई-निविदा क्रमांक 390, 391, 392, 393
क्षेत्रीय/सहायक प्रबन्धक उदयपुर, बांसवाडा, डूंगरपुर एवं आबूरोड़ कार्यालय में नियन्त्रित खाद्यान्न परिवहन कार्य वर्ष 2019-2020 के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न परिवहन हेतु ऑनलाईन निविदा दिनांक 20.09.2019 को सांय 6:00 पी.एम. तक आमन्त्

खबर कोना

पोकर खिलाड़ी डैन बिलजेरियन गुरुवार को मुंबई पहुंचे।

एआइपीएस टी-20 टूर्नामेंट 29 अक्तूबर से

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 सितंबर।

ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (एआइपीएसएसपीबी) के तत्वावधान में एआइपीएस टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 29 अक्तूबर से चार नवंबर तक पुणे में किया जा रहा है। सभी मैच चार अलग-अलग मैदानों पर लीग-कम-नॉकआउट आधार पर खेले जाएंगे। क्वार्टर फाइनल, सेमी फाइनल और फाइनल मैचों का सीधा प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग) किया जाएगा। गुरुवार को एक कार्यक्रम में इस टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण किया गया। इस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता टीम को चार लाख और उप विजेता को दो लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। यह टूर्नामेंट भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

यूपीसीए में यदुपति अध्यक्ष और युद्धवीर सिंह सचिव चुने गए

लखनऊ, 12 सितंबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ (यूपीसीए) के सचिव पद पर युद्धवीर सिंह एक बार फिर चुने गए हैं। बुधवार की शाम को कानपुर के कमला क्लब में हुई वार्षिक बैठक (एजीएम) में निर्विरोध रूप से युद्धवीर के अलावा नए उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष चुने गए। सिंह ने बताया कि यदुपति सिंहानिया अध्यक्ष, प्रदीप कुमार गुप्ता को उपाध्यक्ष, मोहम्मद फहीम को संयुक्त सचिव और अरविंद कुमार को कोषाध्यक्ष चुन लिया गया। शीर्ष समिति में मनोज पुंडीर, अहमद अली खान तालिब, असद अहमद, अभिषेक शुक्ला, पूरन चंद डावर, अजीज खान, संजय कपूर, राकेश मिश्रा, चौधरी अहमद जावेद, कमल चावला और श्याम बाबू होंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष और सदस्यों समेत 18 सदस्यों वाली शीर्ष समिति में उत्तर प्रदेश के दो पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाएगा।

टैस्ट कप्तान बने रहेंगे शाकिब : बीसीबी

ढाका, 12 सितंबर (एएफपी)।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड प्रमुख नजमुल हसन ने कहा कि शाकिब अल हसन पांच दिवसीय क्रिकेट प्रारूप नापसंद होने के बावजूद टैस्ट कप्तान बने रहेंगे। इस हफ्ते अफगानिस्तान से एकमात्र टैस्ट में मिली शर्मनाक हार के बाद शाकिब ने कप्तानी पद से हटने की इच्छा व्यक्त की थी। नजमुल ने स्वीकार किया कि इस ऑलराउंडर ने पांच दिवसीय क्रिकेट में ज्यादा उत्साह या दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। नजमुल ने कहा कि हमने देखा कि उनकी टैस्ट क्रिकेट में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। आपने ऐसा हमारे विदेशी दौरों पर देखा होगा, वह टैस्ट के दौरान ब्रेक लेना चाहते थे।

पद्म पुरस्कार के लिए नौ खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश

नई दिल्ली, 12 सितंबर (भाषा)।

खेल मंत्रालय ने गुरुवार को भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री के लिए तीरंदाज तरुणदीप राय और हॉकी ओलंपियन एमपी गणेश के अलावा सात महिला खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की। पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, क्रिकेटर हरमनप्रीत सिंह, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, पूर्व निशानेबाज सुमा शिरूर और पर्वतारोही जुड़वां बहनें ताशी और नुनग्शी मलिक के नाम की सिफारिश भी पद्मश्री के लिए की गई। तरुणदीप और गणेश के नाम बाद में सूची में शामिल किए गए जिसे अभी खेल मंत्री किरन रिजीजू की मंजूरी मिलनी बाकी है।

छह बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम के रूप में खेल मंत्रालय ने पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए पहली बार महिला एथलीट के नाम की सिफारिश की। यह भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। मैरी कॉम को 2013 में पद्म भूषण और 2006 में पद्म श्री मिला था। खेल मंत्रालय ने विश्व चैंपियन और ओलंपिक रजत पदकधारी बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू के नाम की भी सिफारिश पद्म भूषण के लिए की है जो देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है।

2017 में भी सिंधू के नाम की सिफारिश पद्म भूषण के लिए की गई थी लेकिन वह अंतिम सूची में आने में विफल रही थीं। उन्हें 2015 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था। तरुणदीप उस भारतीय रिकर्व टीम का हिस्सा थे जिसने इस साल जून में नीदरलैंड में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। अतनु दास और प्रवीण जाधव के साथ उनकी टीम ने पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में तीन एकल कोटा हासिल करने के साथ इसमें भी ओलंपिक कोटा हासिल किया था।

गणेश उस भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे जिसने 1972 म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक, 1971 बार्सीलोना विश्व कप में कांस्य पदक और एम्सटरडम में 1973 में रजत पदक जीता था। खेल मंत्रालय के सूत्र ने पुष्टि की कि पद्म पुरस्कारों की सिफारिशों में दो खिलाड़ियों के नाम जोड़े गए हैं लेकिन कहा कि इन्हें अभी मंत्री की मंजूरी नहीं मिली है। अगले साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म विजेताओं के नामों का पता चलेगा।

पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, *क्रिकेटर हरमनप्रीत सिंह*, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, पूर्व निशानेबाज सुमा शिरूर और पर्वतारोही जुड़वां बहनें ताशी और नुनग्शी मलिक के नाम की सिफारिश भी पद्मश्री के लिए की गई।

दो हैट्रिक लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनीं मेगान स्कट

नॉर्थ साउंड (एंटीगा), 12 सितंबर (भाषा)।

आस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मेगान स्कट ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया। इसकी बदौलत वह सफेद गेंद के क्रिकेट में दो हैट्रिक लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गईं। मेगान (24 रन देकर तीन विकेट) ने वेस्ट इंडीज के पुछल्ले खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा जिससे वह वनडे में हैट्रिक लेने वाली पहली आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गईं। उनकी इस उपलब्धि से आस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज टीम को महज 180 रन पर समेट दिया।

बाद में 181 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आस्ट्रेलिया ने एलिसा हीली (61) और कप्तान मेग लैनिंग (59) के अर्धशतकों से पांच मैचों की श्रृंखला के तीसरे मैच में बुधवार को मेजबान टीम को आठ विकेट से शिकस्त देकर 3-0 की अजेय बढ़त हासिल की। स्कट ने 9.3 ओवर तक कोई भी विकेट हासिल नहीं लिया था लेकिन उन्होंने अगली तीन गेंद में चिनेल हेनरी, करिश्मा रामहाराक और एफी फ्लेचर को आउट कर यह कारनामा किया।

छब्बीस साल की स्कट ने पहली हैट्रिक पिछले साल मार्च में भारत के खिलाफ टी-20 मैच में हासिल की थी। इसमें उन्होंने मुंबई में ब्रैबोर्न स्टेडियम में सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना, कप्तान मिताली राज और दीप्ति शर्मा को आउट किया था।

स्कट ने 9.3 ओवर तक कोई भी विकेट हासिल नहीं लिया था लेकिन उन्होंने अगली तीन गेंद में चिनेल हेनरी, करिश्मा रामहाराक और एफी फ्लेचर को आउट कर यह कारनामा किया।

राहुल टीम से बाहर, गिल को टैस्ट में मौका

दक्षिण अफ्रीका का भारत दौरा

नई दिल्ली, 12 सितंबर (भाषा)।

सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल को भारत की टैस्ट टीम से बाहर कर दिया गया है। चयन समिति के इस फैसले से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी श्रृंखला में रोहित शर्मा टैस्ट में पारी का आगाज कर सकते हैं। पंजाब के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को 'बैकअप फ्लोटर' के रूप में टीम में जगह मिली है।

चयन समिति के अध्यक्ष एमएस प्रसाद ने समिति की बैठक के बाद कहा कि हां, निश्चित तौर पर हमारी निगाहें रोहित पर हैं और हम उन्हें शीर्ष क्रम में मौका देना चाहते हैं। वह पारी का आगाज करने के लिए उत्सुक हैं। चयन समिति और सभी लोग (टीम प्रबंधन) भी उत्सुक हैं। हम देखना चाहते हैं कि वह कैसा प्रदर्शन करते हैं और फिर फैसला करेंगे।

उन्होंने कहा कि शुभमन गिल के संदर्भ में हम उन्हें सलामी बल्लेबाज के अलावा मध्यक्रम के बल्लेबाज के रूप में भी देखते हैं। हम दोनों स्थान के लिए उन्हें बैकअप के रूप में देख रहे हैं। हम जैसे-जैसे अधिक खेलेंगे, उन्हें मौके मिलेंगे क्योंकि वह तीनों प्रारूपों के खिलाड़ी हैं। दूसरी तरफ टीम में जगह बचाने के बावजूद ऋषभ पंत अंतिम एकादश में अपना स्थान अधिक अनुभवी और तकनीकी रूप से सक्षम ऋद्धिमान साहा को गंवा सकते हैं।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टैस्ट दो अक्तूबर से विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 10 अक्तूबर से पुणे में होगा। तीसरा और अंतिम टैस्ट रांची में 19 अक्तूबर से खेला जाएगा। उमेश यादव को टीम से बाहर कर दिया गया है क्योंकि अंतिम एकादश में संभवतः सिर्फ दो तेज गेंदबाजों को जगह मिलने के कारण टीम में चार तेज गेंदबाजों की जगह नहीं बनती।

शुभमन गिल

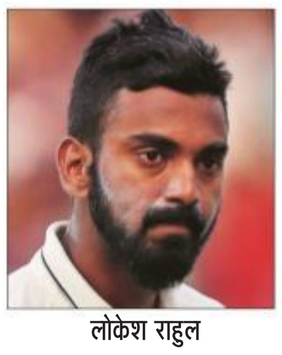

लोकेश राहुल

रोहित शर्मा

टैस्ट टीम

विराट कोहली (कप्तान), मयंक अग्रवाल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, ऋद्धिमान साहा, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, शुभमन गिल।

बोर्ड अध्यक्ष एकादश

रोहित शर्मा (कप्तान), मयंक अग्रवाल, प्रियांक पांचाल, एआर ईश्वरन, करुण नायर, सिद्धेश लाड, केएस भरत, जलज सक्सेना, धर्मेंद्र सिंह जडेजा, आवेश खान, ईशान पोरेल, शार्दुल ठाकुर और उमेश यादव।

रोहित बोर्ड अध्यक्ष एकादश की भी अगुआई करेंगे जो विजयनगर में 26 सितंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेलेगी। यह अनुभवी बल्लेबाज इस मैच में सलामी बल्लेबाज की नई भूमिका में खुद को परख सकता है। प्रसाद ने कहा कि वह सीमित ओवरों के क्रिकेट में एक दशक (छह साल) से पारी का आगाज कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि उनमें शीर्ष क्रम में बल्लेबाजी करने की क्षमता है।

पिछले 18 महीने में सिर्फ एक टैस्ट शतक जड़ने वाले राहुल के संदर्भ में प्रसाद ने कहा कि उन्हें पर्याप्त मौके मिले। लेकिन फॉर्म में गिरावट के कारण समिति को बदलाव के लिए बाध्य होना पड़ा। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर हमने लोकेश राहुल को बता दिया है। वह बेजोड़ प्रतिभा हैं और दुर्भाग्य से लाल गेंद के क्रिकेट में उनकी फॉर्म में गिरावट आई है।

प्रसाद ने कहा कि शिखर धवन और मुरली विजय के जाने के बाद, हम टीम के दोनों सलामी बल्लेबाजों को नहीं बदल सकते। किसी को बरकार रहना होगा। संभवतः मौजूदा सीनियर खिलाड़ियों में लोकेश राहुल को अधिक मौके मिले। दुर्भाग्य से वह निरंतर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। राहुल के भविष्य के बारे में पूछने पर प्रसाद ने वीवीएस लक्ष्मण का उदाहरण दिया।

प्रसाद ने कहा कि वीवीएस लक्ष्मण को जब एक बार भारतीय टीम से बाहर किया गया तो वह घरेलू क्रिकेट खेलने गए। रणजी ट्रॉफी में 1400 रन बनाए और वापसी की। लोकेश राहुल को भी ऐसा ही करना होगा। चयनकर्ताओं ने संकेत दिए कि उन्होंने सलामी बल्लेबाजों का पूल तैयार कर लिया है।

फिरोजशाह कोटला का नाम अरुण जेटली स्टेडियम हुआ

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय कप्तान विराट कोहली व अन्य।

नई दिल्ली, 12 सितंबर (भाषा)।

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने गुरुवार को दिवंगत राजनेता और खेल प्रशासक अरुण जेटली की याद में फिरोजशाह कोटला का नमा अरुण जेटली स्टेडियम रखा। रंगारंग समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व वित्त मंत्री जेटली के परिवार की मौजूदगी में इसका डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया।

डीडीसीए ने भारतीय कप्तान विराट कोहली के नाम पर भी फिरोजशाह कोटला पर नए पवेलियन स्टैंड का अनावरण किया। कोहली हाल में टैस्ट क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे सफल कप्तान बने। इस मौके पर अंडर-19 खिलाड़ी से लेकर भारतीय कप्तान बनने के कोहली के सफर को वीडियो और एनिमेशन फिल्म के जरिए दिखाया गया। अनावरण समारोह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के भारोत्तोलन हॉल में हुआ। जेटली के परिवार के सदस्यों के अलावा इस मौके पर खेल मंत्री किरन रिजीजू, पूर्व खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव, पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज चेतन चौहान और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मनोज तिवारी आदि मौजूद थे।

अपने नाम पर स्टैंड के अनावरण पर पुरानी यादों में खो गए कोहली : कोटला के नए पवेलियन स्टैंड का उनके नाम पर नामकरण होने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली पुरानी यादों में खो गए। कोहली ने कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर सम्मान मिलेगा। समझ में नहीं आता कि क्या कहूं क्योंकि मेरा परिवार यहां है। उन्होंने कहा कि 2001 में जिंबाब्वे के खिलाफ मैच के दौरान मेरे बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने मुझे दो टिकट दिए। मुझे याद है कि जवागल श्रीनाथ के आटोग्राफ के लिए मैंने गैलरी फांद दी थी। मैं अपने भाई को बता रहा था कि हम कहां से कहां आ गए। आज इसी स्टेडियम में मेरे नाम से पवेलियन होना सपने जैसा है। दिवंगत अरुण जेटली से अपने संबंध के बारे में कोहली ने कहा कि मैंने अरुण जी के परिवार से कहा कि दुनिया उन्हें अलग तरीके से जानती हो लेकिन मैं उन्हें एक अच्छे इंसान के रूप में ही जानता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे पिता के निधन पर वह मेरे घर आए थे और मुझे ढांढस बंधाया था।

सौरभ वियतनाम ओपन के क्वार्टर फाइनल में

हो ची मिन्ह सिटी (वियतनाम), 12 सितंबर (भाषा)।

भारत के सौरभ वर्मा ने बेहद कड़े मुकाबले में जापान के यू इगारशी को हराकर गुरुवार को वियतनाम ओपन बीडब्लूएफ टूर सुपर 100 टूर्नामेंट के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। दूसरे वरीय सौरभ ने 25-23, 24-22 की जीत के साथ अंतिम आठ में प्रवेश किया जहां उनका सामना स्थानीय दावेदार टिएन मिन्ह एनगुएन से होगा। पहले दौर में बाई हासिल करने वाले सौरभ ने दूसरे दौर में जापान के कोडाई नारोका को 54 मिनट में 22-20, 22-20 से शिकस्त दी थी। गुरुवार को सिरिल वर्मा और शुभंकर डे की हार के बाद सौरभ पुरुष एकल में एकमात्र भारतीय बचे हैं।

भारत 'ए' ने दक्षिण अफ्रीका 'ए' को सात विकेट से हराया

तिरूवनंतपुरम, 12 सितंबर (भाषा)।

भारत 'ए' ने गुरुवार को पहले अनौपचारिक टैस्ट के अंतिम दिन सुबह दक्षिण अफ्रीका 'ए' को आसानी से सात विकेट से शिकस्त देकर दो मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। मुंबई के हरफनमौला शिवम दुबे ने लगातार गेंद में दो छक्के जड़कर मेजबानों की जीत सुनिश्चित की। महज 48 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने दूसरी पारी में कप्तान शुभमन गिल (05), अंकित बावने (06) और केएस भरत (05) के रूप में विकेट गंवा दिए लेकिन दुबे (नाबाद 12) और रिकी भुई (नाबाद 20) ने औपचारिकता पूरी की।

दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने पहली पारी में 90 रन बनाने वाले गिल को बोल्ड किया जिससे भारत ने 10 रन पर पहला विकेट गंवा दिया। बावने 17 गेंद खेलने के बाद एनगिडी को विकेट दे बैठे जबकि भरत को ऑफ स्पिनर दाने पिएट ने पवेलियन भेजा।

दुबे ने पिएट की लगातार गेंदों पर दो गगनचुंबी छक्के जड़कर टीम को जीत दिलाई। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में नौ विकेट पर 179 रन से खेलना शुरू किया और टीम 186 रन पर सिमट गई। मेजबानों को जीत हासिल करने में केवल 3.5 ओवर लगे। शारदुल ठाकुर ने लुथो सिपमाला को आठ रन पर बोल्ड किया जिससे उन्होंने 31 रन देकर दो विकेट हासिल किए।

ओलंपिक स्वर्ण के लिए कैबिनेट में जगह खाली : सिंधू

नई दिल्ली, 12 सितंबर (भाषा)।

शीर्ष भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू ने कहा कि विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक ने रियो ओलंपिक को छोड़कर पिछले सभी फाइनल में हारने के जख्म को भर दिया है। उन्हें उम्मीद है कि अगले साल तोक्यो में वह इस कमी को भी पूरा कर लेंगी। इसके लिए उन्होंने ट्रॉफियों की कैबिनेट में एक जगह खाली रखी है।

ओलंपिक रजत पदक विजेता सिंधू ने बासेल में अपने लगातार तीसरे फाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा को 21-7, 21-7 से हराकर विश्व चैंपियनशिप का ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता।

इस ऐतिहासिक दिन से पहले 24 साल की इस भारतीय को रियो ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप (2017, 2018), 2017 दुबई सुपर सीरीज फाइनल्स, 2018 राष्ट्रमंडल खेलों और जकार्ता एशियाई खेलों के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। सिंधू ने कहा कि विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण उन सभी शिकस्त की भरपाई है। लोग फाइनल में हारने के मेरे डर के बारे में बात करते रहे हैं कि मैं कैसे दबाव में आज जाती हूं। लेकिन अब मैं कह सकती हूं कि मैंने अपने रैकेट से जवाब दिया।

उन्होंने कहा कि लेकिन ओलंपिक पूरी तरह से अलग है। रियो (ओलंपिक) और विश्व चैंपियनशिप ने मुझे अलग तरह की यादें दीं। लेकिन हां अभी एक स्वर्ण पदक और जीतना है। इसके लिए निश्चित रूप से मैं कड़ी मेहनत करूंगी और तोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने की कोशिश करूंगी। सिंधू ने हसंते हुए कहा, 'उस स्वर्ण पदक के लिए मेरी कैबिनेट में एक स्थान खाली है। ओलंपिक क्वालीफिकेशन चल रहे हैं और इस जीत से आगे बढ़ने के लिए मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा।'

उन्होंने कहा कि तोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक की डगर काफी कठिन होगी क्योंकि अब उनकी प्रतिद्वंद्वी उनकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। सफलता हासिल करने के लिए उन्हें अपने गेम में कुछ नया करने की जरूरत होगी।

सिंधू ने कहा कि 2016 में (रियो) मेरा पहला ओलंपिक था और तब मुझे कोई ज्यादा नहीं जानता था। मैं खिलाड़ियों में से महज एक थी। लेकिन रियो के बाद सब कुछ बदल गया और अब विश्व चैंपियनशिप के बाद हर कोई नई चीजों को सीखने की कोशिश करेगा। मुझे भी प्रत्येक टूर्नामेंट में नई चीजों को सीखना चाहिए क्योंकि प्रतिद्वंद्वियों के पास मेरे लिए भी कुछ तरह की रणनीति होगी।

अपनी ट्रेनर के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं किम के साथ काम कर रही हूं। उन्होंने मुझमें कुछ बदलाव किए हैं और इससे मुझे मदद मिली। लेकिन अब मुझे कुछ नई चीजें सीखनी हैं। मुझे नेट-प्ले पर काम करने की जरूरत है। विश्व रैंकिंग में पांचवें स्थान से सिंधू ने ओलंपिक क्वालीफिकेशन में अपना स्थान लगभग पक्का कर दिया है।

जब तोक्यो ओलंपिक का ड्रॉ होगा तो ऊंची रैंकिंग निश्चित रूप से उन्हें शीर्ष खिलाड़ियों से भिड़ंत से बचने में मदद करेगी। इस मुद्दे पर बात करते हुए सिंधू ने कहा कि रैंकिंग मायने रखती है क्योंकि ड्रॉ इसी पर निर्भर होगा लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती क्योंकि अगर मैं अच्छा खेल सकती हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर अंत में आपको इन शीर्ष खिलाड़ियों को फिर से हराकर स्वर्ण हासिल करना होगा।

विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण सभी शिकस्त की भरपाई है। लोग फाइनल में हारने के मेरे डर के बारे में बात करते रहे हैं लेकिन अब मैं कह सकती हूं कि मैंने अपने रैकेट से जवाब दिया। रियो ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप ने मुझे अलग तरह की यादें दीं। लेकिन अभी एक स्वर्ण पदक और जीतना है। उस पदक के लिए मेरी कैबिनेट में एक स्थान खाली है।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 299, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

MARUTI SUZUKI

NEXA

THE BEST OFFERS OF THE YEAR

LIMITED PERIOD OFFERS ONLY

VALID TILL 30th SEPTEMBER 2019

BRAND	BALENO (P)	BALENO (D)	IGNIS	S-CROSS	CIAZ (P)	CIAZ (D)
CONSUMER OFFER*	₹15,000	₹20,000+ 5 YEAR WARRANTY	₹30,000	₹50,000+5 YEAR WARRANTY	₹25,000	₹25,000+5 YEAR WARRANTY
EXCHANGE OFFER	₹15,000	₹15,000	₹20,000	₹30,000	₹30,000	₹30,000
CORPORATE OFFER	₹5,000	₹10,000	₹7,000	₹10,000	₹10,000	₹10,000
TOTAL SAVINGS#	**₹35,000**	**₹62,400**	**₹57,000**	**₹1,12,900**	**₹65,000**	**₹87,700**

Contact us at
1800-200-[6392]
1800-102-[NEXA]
www.nexaexperience.com
NOW YOU CAN ALSO BOOK ONLINE

SOUTH DELHI: NEXA LAJPAT NAGAR, BAGGA LINK MOTORS, PH: 9818199367 | NEXA OKHLA PHASE 1, PREM MOTORS, PH: 011-42900000, 7065074531 | NEXA GREEN PARK, TR SAWHNEY AUTOMOBILES, PH: 7290099520 | NEXA MOHAN CO-OPERATIVE, PLATINUM MOTO CORP, PH: 011-40347777, 9899118890 | NEXA KAILASH COLONY, RANA MOTORS, PH: 9999788886

CENTRAL DELHI: NEXA KAROL BAGH, DD MOTORS, PH: 9081900800

WEST DELHI: NEXA RAJOURI GARDEN, TR SAWHNEY AUTOMOBILES, PH: 9999525750 | NEXA JANAKPURI, DD MOTORS, PH: 9081900800 | NEXA MAYAPURI, KRISH AUTOMOTORS, PH: 7838555076 | NEXA DWARKA SECTOR 14, COMPETENT AUTOMOBILES COMPANY, PH: 8860011600

EAST DELHI: NEXA MOTI NAGAR, AAA VEHICLEADES PVT. LTD., PH: 8448993400 | NEXA WEST PUNJABI BAGH, JAGMOHAN AUTOMOTIVES PVT. LTD., PH: 7290054930 | NEXA DWARKA SECTOR 9, MAGIC AUTO, PH: 7290055667 | NEXA PREET VIHAR, TR SAWHNEY AUTOMOBILES, PH: 7290091122 | NEXA AKSHARDHAM, FAIRDEAL CARS, PH: 9999525161 | NEXA GHAZIPUR, MAGIC AUTO, PH: 9871755000

NORTH DELHI: NEXA DILSHAD GARDEN, COMPETENT AUTOMOBILES, PH: 8377007962 | NEXA GOKULPURI, VIPUL MOTORS PVT. LTD., PH: 9870194313 | NEXA NARELA, DD MOTORS, PH: 9081900800 | NEXA PITAMPURA, KRISH MOTORS, PH: 7838555047

GHAZIABAD: NEXA GT KARNAL ROAD, RANA MOTORS, PH: 7289999111 | NEXA WAZIRPUR, COMPETENT AUTOMOBILES, PH: 9582668646 | NEXA ROHINI SECTOR 10, SAYA AUTOMOBILES LTD., PH: 9582777477 | NEXA MEERUT ROAD, ROHAN MOTORS LTD., PH: 9599040601

FARIDABAD: NEXA SAHIBABAD, MOTORCRAFT SALES, PH: 8130582222 | NEXA NIT, BVA AUTO, PH: 1294121212 | NEXA FARIDABAD CENTRAL, VIPUL MOTORS, PH: 9599814771

GURGAON: NEXA MATHURA ROAD, PASCO AUTOMOBILES, PH: 9999120572 | NEXA SOHNA ROAD, COMPETENT AUTOMOBILES, PH: 0124-2877000, 7290025353 | NEXA SECTOR 62, VIPUL MOTORS, PH: 9205899710 | NEXA IDC SEC 14, PREM MOTORS, PH: 124-4440000, 7065074501

SOHNA: NEXA RAJIV CHOWK GURGAON, RANA MOTORS, PH: 8585991111 | NEXA MG ROAD, PASCO AUTOMOBILES, PH: 9711290001 | NEXA GOLF COURSE ROAD, TR SAWHNEY AUTOMOBILES, PH: 9999525740 | NEXA SOHNA, PASCO AUTOMOBILES, PH: 9899961000

REWARI: NEXA DELHI ROAD, DINCO 4 WHEELS LLP, PH: 7082100301

NOIDA: NEXA SECTOR 63, VIPUL MOTORS, PH: 9599814775 | NEXA SECTOR 10, FAIR DEAL CARS, PH: 9953993450 | NEXA SECTOR 1, ROHAN MOTORS, PH: 8376800026

GREATER NOIDA: NEXA IND AREA, ROHAN MOTORS, PH: 8744000600

MANESAR: NEXA IMT MANESAR, PLATINUM MOTO CORP, PH: 9953345344

*Offer may vary from variant to variant. #Total savings include Consumer Offer + Exchange Offer + Highest Corporate Offer and 5 year warranty (2 year standard warranty + 3 year extended warranty) on NEXA Diesel cars.

SUZUKI connect
ADVANCED TELEMATICS SOLUTION

A REVOLUTIONARY WAY TO CONNECT TO YOUR CAR
- Vehicle Tracking
- Emergency Alert
- Driving Behaviour Analysis
- Live Vehicle Status
- Vehicle Alerts

*Offered separately as Genuine NEXA Accessory